लोक-सभा वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

3rd Lok Sabha

Preservation Unit 14-5-92
Fumigated On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई स ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से ११११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	३४०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . .	३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . .	३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२	३४९०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३	३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ .	३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . .	३५२९
स्थगन प्रस्ताव—	
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य	३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य	३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें	३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड .	३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५३४
अनुदानों की मांगें	३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	३५३४—४८
विधि मंत्रालय	३५४८—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय	३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका	३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ .	३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . . ३६६०—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९९—३८१३
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३
दैनिक संक्षेपिका . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४, १२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६
निधन संबंधी उल्लेख ३८९६
३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९
फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९
सभा का कार्य ३८९९
राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०
अनुदानों की मांगें—
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५
पहला प्रतिवेदन ३९२५
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७
अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५
दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३
प्रश्नों के लिखित उत्तर— .
तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१०	३९७९—४०२३
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	४०२४—२६
अनुदानों की मांगें—	
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . .	४०२६
गृह-कार्य मंत्रालय . . .	४०३६–४०
हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	४०७०
दैनिक संक्षेपिका	४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९	४०८७—४११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८	४११०—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४	४१२०—७२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . .	४१७२
(२) कनाट प्लेस में आग	४१७२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१७४–७५
सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में	४१७५
लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . .	४१७५
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . .	४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—८७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १ जून, १९६२

११ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

(लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में स्टार्च के कारखाने

+
†*१२२६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
ी पोट्टेकाट्ट :
श्री मे० क० कुमारन : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तीसरी योजनावधि में टैपीओका से स्टार्च (मांडी) बनाने वाले कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) ये कारखाने कहां स्थापित होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†**श्री अ० के० गोपालन** : क्या केरल में, सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में, स्टार्च के इन कारखानों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : हमें केवल एक कारखाने के बारे में अर्थात् कुन्डारा में लक्ष्मी स्टार्च कारखाने के बारे में जानकारी है । हमें इस बारे में और कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है ।

†**श्री अ० के० गोपालन** : केरल में टैपिओका का उत्पादन कितना और क्या पिछले एक साल में वह उत्पादन कम हो गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

1194 (Ai) LSD—1.

†श्री कानूनगो : उत्पादन कम नहीं हुआ है। वह अपना उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

†श्री उमानाथ : क्या टैपिओका से बनाई गई स्टार्च से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में उस के कारखाने खोलने का सरकार का विचार है ?

†श्री कानूनगो : सरकारी क्षेत्र में ऐसी कोई चीज आरम्भ करने का हमारा विचार नहीं है। स्टार्च से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। उस से विदेशी मुद्रा तभी कमाई जा सकती है जब उत्पादन की लागत कम हो ।

†श्री मे० क० कुमारन : इस बात को देखते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में किसान टैपीओका की खेती कर रहे हैं, क्या सरकार ने इस क्षेत्र में सहकारी समितियां चालू करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†श्री कानूनगो : केरल सरकार इस बारे में विचार करेगी। मैं जानता हूं कि वह इस बारे में कुछ योजना बना रही है।

†श्री वारियर : टैक्सटाइल स्टार्च तैयार करने में मुख्य कच्चा माल कौनसा है और क्या टैपीओका का मूल्य उस की तुलना में कम है ? क्या सरकार ने उस संभावना की छानबीन की है ?

†श्री कानूनगो : इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन औद्योगिक स्टार्च के अलावा, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज भी बनाया जा सकता है और मौजूदा कारखाना वह तैयार कर रहा है।

†श्री का० रा० गुप्त : स्टार्च के उत्पादन की ऊंची लागत के क्या कारण हैं और वह लागत कैसे कम की जा सकती है ?

†श्री कानूनगो : वह ऊंची लागत निर्यात के संबंध में है लेकिन देशी उत्पादन की तुलना में वह कम है। जिस समस्या का अध्ययन किया जाना है वह यह है कि स्टार्च सहित सभी उत्पादन की मुख्य लागत किस प्रकार कम की जा सकती है।

†श्री नटराज पिल्ले : क्या टैपीओका पाउडर से ग्लूकोज़ तैयार करने का कोई प्रयोग किया गया था ; क्या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सोचा गया था ?

†श्री कानूनगो : मैं ने यही बताया था अर्थात् कारखाने में उसी का उत्पादन शुरू होने वाला है।

†श्री क० न० तिवारी : टेपिओका एक ऐसा पदार्थ है, जो खाने में इस्तेमाल हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरे प्राविन्सिज़ में—जैसे बिहार है—इस के प्रचार के लिये क्या किया जा रहा है।

†श्री कानूनगो : अभी तो बिहार में उस को नहीं खाते हैं। शायद वहां के लोगों को स्वाद नहीं लगा है।

†श्री क० न० तिवारी : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि बिहार में इस के प्रचार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : हम प्रचार की कोई जरूरत नहीं समझते, क्योंकि हम अधिकांश को औद्योगिक स्टार्च में परिवर्तित करना चाहेंगे ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार को तीसरी योजना के दौरान स्टार्च की मांग और सप्लाई के बारे में कोई अनुमान है और यदि हां, तो क्या स्टार्च तैयार करने वाले उद्योगों के विकास के लिये काफी गुंजाइश है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, मांग संभवतः बढ़ेंगी और विस्तार की गुंजाइश है ।

काफी बोर्ड के कर्मचारी

†*१२२७. **श्री मणियंगाडन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड के जो कर्मचारी हाल में नौकरी से अलग किये गये थे क्या उन में से किसी को पुनर्नियुक्त किया गया है ;

(ख) कितने कर्मचारी नौकरी से अलग किये गये और कितने पुनर्नियुक्त किये गये ; और

(ग) जो कर्मचारी पुनर्नियुक्त किये गये हैं उन की सेवा की दशा नौकरी से अलग किये जाने से पहले की सेवा की दशा की तुलना में कैसी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों की संख्या :	वर्ग ३—३८
	वर्ग ४—६५२
पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की संख्या :	वर्ग ३— ५
	वर्ग ४—९२

(ग) वरिष्ठता को छोड़ कर, वर्ग ३ और वर्ग ४ के अलग किये गये और पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

†**श्री मणियंगाडन** : जिन लोगों को पुनर्नियुक्त किया गया है, क्या उन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है और उन्हें भविष्य निधि में अंशदान देने की अनुमति नहीं दी जाती ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं, उनकी कोई अलग श्रेणी नहीं है । लेकिन उनकी सेवा भंग हो जाने के कारण, सेवा की अवधि के अनुसार वरिष्ठता के मामले में उन्हें कुछ नुकसान हुआ है ।

†**श्री मणियंगाडन** : क्या उनकी उपलब्धियां निर्धारित करने में उनकी पहले की नौकरी गिनी जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह हमारा मत है कि हम उस पहलु पर विचार करें ।

†**श्री श्याम लाल शराफ** : क्या विदेशों को काफी के निर्यात से काफी बोर्ड का कोई सम्बन्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : वह केन्द्रीय अभिकरण है। वास्तव में काफी बोर्ड काफी के सभी निर्यातों के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए एक निर्यात अभिकरण है।

†श्री वारियर : जिस कारण से सरकार कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने के लिए बाध्य हुई क्या वह कारण अब दूर किया जा चुका है और प्रचार अनुभाग फिर चालू किया जायगा और नये कर्मचारी लिये जायेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सब कई साल पहले निश्चित किया जा चुका है क्योंकि अब प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज वास्तव में हमारे पास काफी की कमी है, हमें १०,००० टन तक निर्यात कम कर देना पड़ा और देश में उपभोग के लिए भी काफी की कमी है। इसलिए प्रचार के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने की जरूरत नहीं है।

सोडा एश और कास्टिक सोडा

†*१२२. { श्री महेश्वर नायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू खपत तथा औद्योगिक कार्यों के लिये फिलहाल कितने सोडा एश और कास्टिक सोडे की आवश्यकता होती है;

(ख) देश में इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले एकक (यूनिट) इस आवश्यकता को किस हद तक पूरा करते हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये भावी कार्यक्रम क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सोडा एश और कास्टिक सोडा की वर्तमान आवश्यकताओं का अनुमान इस प्रकार है :—

(१) सोडा एश

(१) लाइट	२८०,००० मेट्रिक टन प्रति वर्ष
(२) हेवी	५०,००० मेट्रिक टन प्रति वर्ष
कुल	३३०,००० मेट्रिक टन प्रति वर्ष
(२) कास्टिक सोडा	२२५,००० मेट्रिक टन प्रति वर्ष

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सोडा एश और कास्टिक सोडा का देश में उत्पादन इस प्रकार है :—

	१९६१	१९६२ (अनुमानित)
	मेट्रिक टन	मेट्रिक टन
(१) सोडा एश		
(१) लाइट	१७६,६३८	२२०,०००
(२) हेवी	..	६,०००
कुल	१७६,६३८	२२६,०००
(२) कास्टिक सोडा	११६,८५४	१३०,०००

(ग) तीसरी योजना अवधि में सोडा एश और कास्टिक सोडा तैयार करने के लिए निम्न-लिखित अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है :—

(१) सोडा एश . . . ३१०,००० मेट्रिक टन

(२) कास्टिक सोडा . . . २८८,००० मेट्रिक टन

†**श्री महेश्वर नायक :** विवरण से मुझे यह दिखायी देता है कि हमारी आवश्यकता और उत्पादन के बीच अब भी काफी अन्तर है। यह अन्तर दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो :** लाइसेंस जारी किये गये हैं और प्रस्ताव प्राप्त होने पर और अधिक लाइसेंस जारी किये जायेंगे।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या यह सच है कि उत्पादन लागत अब भी बहुत ऊंची है और इस उद्योग को अब भी संरक्षण प्राप्त है और यदि हां तो यह संरक्षण कब तक जारी रखा जायगा ?

†**श्री कानूनगो :** यह तो प्रशुल्क आयोग बता सकता है और बाद में सरकार निश्चित करेगी। लेकिन हमें आशा है कि और अधिक प्रतिष्ठान स्थापित होने तथा अधिक अच्छी प्रणालियां आरम्भ होने के बाद, उत्पादन लागत कम हो जायगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या क्षार उद्योग के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उद्योग के सामने बड़ी भारी कठिनाई है और यदि हां, तो क्या उस कठिनाई का अंदाज लगाया गया है और उस पर क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां, हम कठिनाइयों के बारे में जानते हैं। वे अधिकतर कोयला और परिवहन न मिलने के कारण हैं। सरकार उस दिशा में प्रयत्न कर रही है।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** इस बात को देखते हुए कि लाइसेंस लेने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, क्या सरकार ऐसे कारखाने कायम करने का प्रयत्न करेगी जिससे देश इस मामले में आत्म-निर्भर हो जाये ?

†**श्री कानूनगो :** सरकार के लिए इसकी अपेक्षा अधिक ऊंची प्राथमिकता वाले दूसरे विषय भी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** इस बात को देखते हुए कि यह एक मूलभूत उद्योग है और देश के औद्योगिक विकास के लिए यह अत्यावश्यक है, सरकार आत्मनिर्भरता की स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** यह बिलकुल निरुत्साहजनक नहीं है क्योंकि ३१०,००० मेट्रिक टन सोडा एश और २८८,००० मेट्रिक टन कास्टिक सोडा तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं और दूसरे प्रस्ताव भी प्राप्त होने की उम्मीद है। इसलिए चिन्ता की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि तीसरी योजना की अवधि तक वह पर्याप्त होगा।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या यह सच है कि कारखाने उस क्लोराइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो सोडा एश और कास्टिक सोडा के साथ संभवतः तैयार किया जा सकता है और उसे बरबाद होने दिया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** हमेशा नहीं। क्लोरीन की मांग भी बहुत ज्यादा है।

†**श्री भगवत झा आजाद :** क्या सरकार की राय के अनुसार वह अतिरिक्त क्षमता जिसके लिए तीसरी योजना में लाइसेंस दिया गया है, विवरण में दी गयी अनुसूची के अनुसार काम कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां। वह अनुसूची उद्योग विकास अधिनियम में निर्धारित एक विनियम है। जब तक अनुसूची का पालन नहीं किया जाता, लाइसेंस रद्द कर दिये जाते हैं। अब तक लाइसेंस रद्द करने का कोई मौका नहीं आया है।

प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी कार्यकारी दल

†*१२३०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोगकी प्राकृतिक संसाधन समिति ने देश में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषज्ञ कार्यकारी दल बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने दल बनाये गये हैं और वे किन विषयों पर अपना अध्ययन करेंगे; और

(ग) दल कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्):** (क) जी हां।

(ख) भूमि, जल, शक्ति और खनिज संसाधनों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अब तक १७ कार्यकारी दल बनाये गये हैं।

(ग) अनेक अध्ययन अभी प्रारम्भिक दशाओं में हैं और इस समय यह बताना संभव नहीं है कि कार्यकारी दल अपनी रिपोर्टें कब प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** कार्यकारी दल इन विषयों के किन पहलुओं का अध्ययन करेंगे ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** वे मुख्यतः भूमि, शक्ति, जल के बारे में अध्ययन करेंगे और इस्पात के लिए कच्चे माल के अध्ययन पर विशेष जोर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियार : क्या इन में से किसी कार्यकारी दल ने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जी नहीं, अभी तक कोई नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री नम्बियार : वे कितना समय लेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : वह बहुत देर से खड़े हुए हैं ।

घटिया चीजों का निर्यात

†*१२३१. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कभी कभी घटिया चीजों का निर्यात होता है जिनसे विदेशों में भारत की ख्याति कम होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गलत काम को रोकने के लिये कार्यवाही करने का है ; और

(ग) प्रस्तावित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) यद्यपि निर्यात की हुई चीजों की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, फिर भी शिकायतों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, न ही अनेक मामलों में ऐसी शिकायतों की सचाई साबित हुई है ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]

†श्री हरि विष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह दिखाई पड़ता है कि निर्यात की वस्तुओं के किस्म नियंत्रण, श्रेणीकरण और जहाज में माल लादने से पहले उनके निरीक्षण की पद्धति को अधिक विस्तृत और सुगठित बनाने के लिए सरकार ने पिछले साल एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी । क्या मैं यह समझूं कि कुप्रथा केवल पिछले साल ही सरकार को मालम हुई और उससे पहले स्वतंत्रता के बाद से, इसे दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी ?

†श्री मनुभाई शाह : इस प्रथा को ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है । हम स्थिति की ओर बराबर ध्यान दे रहे हैं और जैसा कि मैं ने विवरण में बताया, व्यापार बोर्ड की बैठक में किस्म नियंत्रण और निर्यात निरीक्षण परिषद् की स्थापना पर विचार किया जाने वाला है । इससे नियमित किस्म नियंत्रण और जहाज में लादने से पहले निर्यात की सभी वस्तुओं का निरीक्षण आरम्भ हो जायगा ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि भारत से घटिया चीजों के निर्यात की ऐसी शिकायतें किन देशों से प्राप्त हुई हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : पहले तो घटिया शब्द बहुत कड़ा है । कुछ शिकायतें आई हैं और बहुत अधिक परिमाण के व्यापार में कभी कभी ऐसा हो जाता है । सभा यह न मान ले कि किस्म के पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । भविष्य में हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पूर्ण देश में इस परिषद के निरीक्षण के अधीन अनेक परीक्षण गृह और नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की जायें । इसलिये यह बुराई दूर करने के लिये ये सभी कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन देशों से शिकायतें आई हैं उनके नाम वह चाहते थे ।

†**श्री मनुभाई शाह** । प्रत्येक देश से ही कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती हैं । ऐसी बात नहीं कि कोई खास देश शिकायत कर रहा हो । यह माल पर निर्भर करता है । व्यापार सारी दुनियां के साथ होता है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार को मालूम हुआ है कि भारतीय मानक संस्था इस समस्या क पूर्ण अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि कई वस्तुओं के निर्माण में यह अवांछनीय प्रथा चल रही है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए इस विशिष्ट संस्था ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारतीय मानक संस्था ने इस व्यापक ढंग का ऐसा कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस समाचार का उल्लेख कर रहे हैं । मैंने भारतीय मानक संस्था की कोई रिपोर्ट नहीं देखी है । मानक निर्धारित करने के विशिष्ट उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित संस्था ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगी । मैं सभा से केवल यही कहना चाहता हूं कि हम उस ढांचे के दोषों से परिचित हैं और हम यथासम्भव उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री वारियर** : जब निर्यात करने वालों और आयात करने वालों के बीच स्तर से गिरी हुई किस्म या उसी तरह की बातों के कारण झगड़े पैदा हो जाते हैं तो निर्यात करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या उपाय करती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी ठेकों में मध्यस्थता सम्बन्धी उपबन्ध होते हैं । फिर दावा समितियां भी होती हैं और दावों के निबटारे के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी हैं । मुझे ऐसे कोई बड़े दावों के बारे में जानकारी नहीं है जो हमारे निर्यातकों या आयातकों के विरुद्ध पड़े हुए हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जिन निर्यातकों के मामले में—हो सकता है कि उनकी संख्या बहुत कम हो—सरकार को इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है, उन्हें चेतावनी देने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में बारम्बार उल्लंघन के मामले में क्या भविष्य में उन्हें निर्यात लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, जो लोग बराबर इस तरह की गलती करते हैं उन्हें काली सूची में डालने की सामान्य प्रक्रिया है । किस्म नियंत्रण के सम्बन्ध में मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं क्योंकि सभी निर्यात की वृद्धि माल की किस्म पर निर्भर होगी और न केवल किस्म पर बल्कि माल बेचे जाने के बाद की जाने वाली सेवा के प्रकार पर भी । इसलिये हम स्थिति के बारे में पूर्ण सावधान हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या तदर्थ समिति की सिफारिश के अनुसार, किस्म नियंत्रण के लिये कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई अलग कानून जरूरी नहीं है । भारतीय मानक संस्था अधिनियम मौजद है । फिर देश के दूसरे कानूनों में कई दूसरे उपबन्ध भी हैं । हम सिर्फ एक ऐसी सर्वोच्च संस्था

†मूल अंग्रेजी में

चाहते हैं जो देशी और खास कर विदेशी व्यापार में अधिकतर वस्तुओं के लिए किस्म नियंत्रण का आधार संगठित करे ।

श्री अचल सिंह : जो माल विदेशों को भेजा जाता है, उस पर क्या क्वालिटी मार्क लगाया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** बहुत सी कमोडिटीज़ पर क्वालिटी मार्क लगाना शुरू किया है। लेकिन मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि वे कमोडिटीज़ कम हैं और ज्यादा पर यह मार्क लगना चाहिये।

†**श्री अब्दुल वहीद :** क्या सरकार को आयात की हुई चीज़ों की खराब किस्म के बारे में शिकायतें मिली हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमें अभी हाल में एक बड़े देश से ऐसे काफी टायर प्राप्त हुए हैं जिन्हें बेचना आज कठिन हो गया है। इसलिए इस तरह की गलतियां व्यापार में होती हैं लेकिन हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहते। हम अपने दोषों को यथासंभव दूर करना चाहते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** किन किन चीज़ों के बारे में यह अनिवार्य है कि जहाज़ में माल लादने से पहले निरीक्षण किया जाये और क्या निर्यातक को उसके लिए कुछ देना पड़ता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां, माल लादने से पहले निरीक्षण की व्यवस्था करना हमारा उद्देश्य है क्योंकि हम अपने निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। जब तक कि हमें यह विश्वास न दिलाया जाये कि इस देश से गुजरने वाले सभी जहाजों का ठीक ढंग से निरीक्षण होता है, हम वैसा नहीं कर सकते। इसीलिए इस निरीक्षण को यथासंभव अनिवार्य बनाना पहला काम होगा।

निरीक्षण के लिए कुछ प्रभार तो लगाने ही पड़ेंगे और उनमें से कुछ तो सरकार द्वारा अनुदान के रूप में होंगे ताकि निर्यात कीमतों में बहुत अधिक बोझ न पड़े।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

†*१२३२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वारियर :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० क० भट्टाचार्य :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंकाशायर सूती कपड़ा उद्योग ने ब्रिटेन की सरकार से आग्रह किया है कि वह ब्रिटेन में भारतीय कपड़े का आयात कम करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) अधिक निर्यात की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निर्यात कम करने की बजाय बढ़ाना चाहेगी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस संघ ने कितनी कटौती की इच्छा व्यक्त की है और वह कमी पूरी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अब तक कोई कमी नहीं की गयी है। लंकाशायर में कपड़ा उद्योगपतियों के बीच बातचीत हुई है और उनके द्वारा अभ्यावेदन भी किये गये हैं। लेकिन हम ने साफ साफ बता दिया है कि जहां तक हमारी सरकार का संबंध हैं, हम न केवल कोई कमी ही चाहेंगे बल्कि ब्रिटेन द्वारा कपड़े के आयात में पूरी तरह वृद्धि चाहगे ; हमने बताया है कि नये विकास में हमारा उचित हिस्सा होना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अगर ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करता है तो ब्रिटेन को कपड़े के हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : वह सभी जानते हैं। इसीलिए हम अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रतिनिधि श्री लाल ने प्रत्येक वस्तु के अनुसार संपूर्ण ढांचा ब्रिटिश अधिकारियों और यूरोपीय साझा बाजार के 'इनर सिक्स' के सामने रखा था ।

†**श्री वारियर :** लंकाशायर कपड़ा उद्योग की इच्छा के अलावा, क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार के साथ, हमारे देश से सूती कपड़े का आयात कम कर देने के मामले में, सहमत हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि १९५७ में लंकाशायर कपड़ा उद्योग ने भारत के मिल मालिक संघ से यह प्रार्थना की थी कि कपड़े का निर्यात सीमित कर दिया जाये और भारतीय मिल मालिकों ने वह मंजूर कर लिया था और यदि हां, तो उस प्रथा से अलग होने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न के पहले भाग की बात तो वार्षिक है। वे प्रत्येक वर्ष अभ्यावेदन करते हैं और हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग की बात जिस मे यह कहा गया है कि हम ने कोई कमी मंजूर कर ली है, गलत है । वास्तव में हम अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच पाये हैं; हम कोशिश कर रहे हैं । मैं सभा को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भविष्य में कोई कटौती या कमी मंजूर नहीं करेंगे । ब्रिटेन में सूती कपड़े के आयात संबंधी विकास में हमारा हिस्सा होना चाहिये । भारतीय व्यापार वहां भी अनुपात से बढ़ना चाहिये ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लंकाशायर कपड़ा समुदाय ने लंदन में विदेशी कपड़ा जला देने का निश्चय किया है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य से ही मुझे यह जानकारी मिली है ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** ब्रिटेन में भारत से कपड़ा उस देश में उपभोग के लिये मंगाया जाता है या उस में रद्दोबदल कर फिर निर्यात करने के लिए मंगाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ तो देश में ही उपयोग के लिए होता है और कुछ विदेशी व्यापार के लिए पुनः परिष्कृत किया जाता है ।

†**श्री त्यागी :** ब्रिटेन के साथ हमारे कपड़ा व्यापार की मात्रा कितनी है और उसका मूल्य कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह १९५० लाख गज प्रति वर्ष है। उसका मूल्य समय समय पर प्रचलित व्यापारिक कीमतों के अनुसार होता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार ने इस बात की छानबीन कर ली है कि यह प्रस्तावित कमी लंकाशायर उद्योग के सामने किन्हीं कठिनाइयों के कारण नहीं बल्कि यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रस्तावित प्रवेश के कारण है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** यूरोपीय साझा बाजार की कल्पना से पहले भी यह एक वार्षिक बात थी। वहां के कपड़ा हितों ने ब्रिटिश सरकार और हमारे साथ इस मामले पर चर्चा की है। वह सब सभा को अच्छी तरह मालूम है। इसलिये वह कोई नयी स्थिति नहीं है। हम दोनों ही स्थितियों, अर्थात् यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश और ब्रिटेन के साथ निर्यात व्यापार की कठिनाइयों, के बारे में जागरूक हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि अभी हाल में ब्रिटिश सरकार ने सरकारी स्तर पर एक करार का प्रस्ताव रखा है और उद्योगों के स्तर पर नहीं ? यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह दृष्टिकोण नहीं है। दृष्टिकोण यह है कि दोनों ओर व्यापार और उद्योग के बीच जो चर्चाएं होती हैं उनके बारे में दोनों ओर की सरकारों को जानकारी दी जाती है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** इन निर्यातों में हथकरघे के कपड़े का निर्यात कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह तो अधिकतर संगठित कपड़ा उद्योग के लिये है, उस कपड़े के लिये नहीं ।

कांगो में भारतीय सैनिक

+
†*१२३४. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दिनों में कांगो की स्थिति बहुत सुधर गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी तारीख निर्धारित की है जिससे पहिले सरकार कांगो से हमारे सारे सैनिकों को बुला लेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, नहीं । जब तक कटंगा के श्री शोम्बे और कांगोली केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री, श्री अदौला, के बीच

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई समझौता नहीं हो जाता, निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कांगो में स्थिति सुधर गयी है। कटंगा की पृथकता, जो कांगो में मुख्य समस्या है, को समाप्त करने में कोई प्रगति नहीं हुई है : श्री शोम्बे और श्री अदौला में पुनः बातचीत हो रही है और उनके परिणामों बर बहुत कुछ निर्भर है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ :** श्री अदौला और श्री शोम्बे के, अपनी सशस्त्र सेनाओं को कांगोली सेना में मिलाने और कांगो में कटंगा के सम्पूर्ण विलय के लिये कदम उठाने के लिये हाल ही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम अपनी सेनायें वापस बुला लें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी, नहीं। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपनी सेनायें वापस बुला लें। माननीय सदस्य आज के समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार पढ़ें।

†**श्री हेम बरुआ :** मैंने पढ़े हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** श्री शोम्बे का कहना है कि जब तक कांगोली सेना का आना-जाना नहीं रोका जाता और इससे कटंगाई सशस्त्र सेना को खतरा दूर नहीं हो जाता तब तक वह आगे बातचीत नहीं करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** मैंने भी यह समाचर पढ़ा है। स्थिति यह है कि कांगोली सेना को कटंगा में स्थान लेने की संभावना है। दूसरी ओर, उन्होंने कांगो में कटंगा के पूर्ण रूप से विलय के प्रश्न की जांच के लिये एक समिति अथवा आयोग नियुक्त किया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बहस कर रहे हैं। वह सीधे प्रश्न पूछें।

†**श्री हेम बरुआ :** पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ौसियों द्वारा सीमान्त पर स्थिति बिगाड़ने के कारण सीमान्त पर अधिक सेना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि हम .....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बहस कर रहे हैं। सीधा प्रश्न क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सेनाएं वापस बुलाना उचित नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रधान मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हम आवश्यकता से एक दिन भी अधिक अपनी सेनाएं कांगो में नहीं रखना चाहते। हमने ये सेनाएं राष्ट्र संघ को दी हैं। और यह तै करना राष्ट्र संघ का काम है कि उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर दिया है या नहीं। इस समय, यद्यपि कुछ आशा के चिह्न हैं—शोम्बे और अदौला के बीच वार्ता—हमारा पुराना अनुभव यह है कि वह कभी भी टूट जाती है और ऐसे मामलों में श्री शोम्बे विश्वसनीय नहीं है। अतः अब कोई भी कार्य करना ठीक नहीं होगा और इससे अब तक किया गया कार्य बेकार हो जायेगा और इनकी अग्रेतर वार्ता भी टूट जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** कांगों में सेना भेजना और कांगोली कार्यवाही में उनका भाग लेना किस हद तक सरकार की विवाद को शांतिपूर्वक हल करने की नीति, अन्तर्देशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय और पंचशील के सिद्धान्तों के अनुरूप है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अपनी-अपनी राय है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह दोनों के अनुरूप है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं सुन नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह दोनों के अनुरूप है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गिर्जेंगा का जीवन खतरे में है, और यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार को कुछ पता है ? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तर के प्रथम भाग में कहा गया है कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हमने श्री गिर्जेंगा के खतरे में होने के बारे में समाचार पढ़े हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर :** संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं की उपस्थिति का एक प्रमुख उद्देश्य कटंगा में विदेशी स्वार्थियों को निकालना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र सेना वह उद्देश्य पूरा कर चुकी है अथवा वह इस उद्देश्य में असफल रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता कि इसने यह उद्देश्य पूरा किया है या नहीं। परन्तु यदि समूची कटंगाई सेना को कांगोली सेना के एकीकृत नियंत्रण में रखा जाये, तो यह स्पष्ट है कि भाड़े के सैनिक भी उस सेना के अधीन रहेंगे जिनके विरुद्ध वह कार्य कर रहे हैं अथवा चले जायेंगे।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या हम यह समझें कि जब तक कटंगा कांगो में नहीं मिल जाता कांगो से संयुक्त राष्ट्र सेनायें नहीं हटायी जायेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** एक काल्पनिक प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री याज्ञिक।

कपड़े का दाम

†*१२३५. { †**श्री याज्ञिक :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कपड़ा मिलों ने नवीन उत्पादन शुल्क की समूची राशि कपड़े के मूल दामों में जोड़ दी है और उस पर कुल लागत छाप दी है ; और

(ख) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

कपड़े पर उत्पादन-शुल्क में सूत पर शुल्क और कपड़े पर शुल्क शामिल है। नये उत्पादन-शुल्क के अधीन मोटे कपड़े पर शुल्क में कमी कर दी गई है जब कि सूत पर और तैयार कपड़े पर शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। जहां तक सूत पर शुल्क का सम्बन्ध है, उद्योग ने मिश्रित शुल्क का लगभग छटा हिस्सा मूल्य में शामिल किया है। कपड़े पर मूल्य नियंत्रण की ऐच्छिक पद्धति केवल कपड़े के मिल से निकलने के समय के मूल्य के बारे में है। इसके अतिरिक्त मिलें कपड़े पर इस मूल्य के साथ-साथ उत्पादन-शुल्क भी छाप सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए, इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री याज्ञिक :** क्या मंत्री महोदय को वित्त मंत्री जी के इस वक्तव्य का पता है कि बढ़िया कपड़े पर बढ़ाये गये उत्पादन-शुल्क को मिलें अपनी लागत में शामिल कर लेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था कि वह सब भार वे उठायेंगे। तैयार कपड़े, विशषतः बढ़िया और बहुत बढ़िया, पर शुल्क में वृद्धि अधिक है और वर्तमान मूल्य में उसको सारी को खपाना संभव नहीं है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कपड़े पर छपे हुये दामों में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, नहीं। एच्छिक मूल्य नियंत्रण कार्य, जो प्रत्येक प्रदेश में सरकारी पदाधिकारियों के परामर्श से किया जाता है, सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। परन्तु व्यापारियों और मिलों ने कुछ गलत काम किये हैं और उनकी विरुद्ध हमेशा कार्यवाही की जाती है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह सच नहीं है कि समूचा उत्पादन शुल्क निर्माताओं ने उपभोक्ताओं पर डाल दिया है।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने कहा है कि सूत पर शुल्क को इस प्रकार रखा गया है कि इसका छटा भाग मिलें सहने को तैयार हो गयी हैं और बाकी पांच भाग उपभोक्ताओं पर डाले जायेंगे। बाकी के लिये मूल्य छापा जायगा। हमारी यह आशा है कि उद्योग यथा संभव अतिरिक्त भार वहन करें।

श्री ब्र० बि० महरोत्रा : क्या मंत्री जी को इस तरह की शिकायत मिली है कि फाइन कपड़े पर जो प्राइस छपी हुई होती है उससे ज्यादा देनी पड़ती है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी शिकायत तो नहीं आयी है। लेकिन जो पिछले दिनों बजट के बारे में एनाउंसमेंट हुआ था जिसमें तीन पैसे से २१ पैसे की एक्साइज ड्यूटी कर दी गयी है, उस बारे में कुछ शिकायत आयी है।

†**श्री याज्ञिक :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि बढ़े हूये उत्पादन शुल्क का सारा भार उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक, मोटे, मीडियम और लोअर मीडियम किस्म के कपड़े का संबंध है, पुनरीक्षित शुल्क के परिणामस्वरूप इसमें कमी हुई है। केवल फाइन सुपर फाइन जैसे आरंकडी

---

†मूल अंग्रेजी में

आरकंडी अथवा मर्सराइज्ड कपड़े पर ३ नये पैसे से लेकर २१ नये पैसे तक की उत्पादन-शुल्क में वृद्धि की गयी है। सरकार यह आशा नहीं कर सकती कि सारा भार उद्योग को वहन करना पड़ेगा। फिर भी किस हद तक इसे वहन किया जा सकता है, प्रयत्न यह करने का है।

अफगानिस्तान से आयात किये गये मेवों के दाम

†*१२३६. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान से आयात किये जाने वाले मेवों के दाम काफी बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने हालत को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पिछले वर्ष मूल्य बढ़ गये थे परन्तु हाल ही में उनमें काफी गिरावट आयी है।

(ख) सितम्बर, १९६१ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग बन्द हो जाने से मेवे भारत में हवाई जहाज से लाने पर जिससे भाड़ा में व्यय से मूल्यों में वृद्धि हुई।

(ग) सरकार ने अफगानिस्तान से ईरानी पत्तनों के जरिये मेवे के आयात की अनुमति दी है। इससे मूल्यों में काफी गिरावट आयी है।

†**श्री हेम राज :** क्या यह सच है कि विमान भाड़े में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच है कि क्योंकि सड़क मार्ग से मेवे लाना संभव नहीं था और वे विमान द्वारा लाये जाने थे। अतः मूल्यों में कुछ वृद्धि हूई है।

†**श्री हेम राज :** क्या यह भी सच है कि विमान भाड़ा अधिक होने से अफगानिस्तान को, विशेषतः चाय के निर्यात में भी कमी हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमारे निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है। हम ध्यान दे रहे हैं और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि निर्यात बढ़ाने के लिये भारत और अफगानिस्तान के बीच एयर इंडिया की भाड़ा सेवाओं की उड़ान होती रहे।

†**श्री हेमराज :** जहां तक इन चीजों के निर्यात का संबंध है, क्या किराये और भाड़े में कमी करने के प्रयत्न किये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकारी क्षेत्र द्वारा चल रही वाणिज्यिक सेवा अपने भाड़े और किराये में कमी क्यों करे ? हमें यह देखना है कि हम निर्यात में किस प्रकार सहायता दे सकते हैं परन्तु इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेंसर बोर्ड नियम

*१२३७. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सप्ताह पूर्व बम्बई में दिये गये वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि फिल्म सेंसर नियमों में कुछ और ढिलाई की जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कहा था कि नियमों में प्रस्तावित ढिलाई के परिणाम-स्वरूप सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का लाभ होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सेंसर नियमों में ढिलाई करने की योजना तैयार कर ली गई है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) एक सामाजिक जलसे में फिल्म उद्योग के एक प्रतिनिधि ने यह सुझाव रखा था कि सिर्फ देश के बाहर दिखाई जाने वाली भारतीय फिल्मों के लिये सेंसरशिप के नियम नरम रखे जायें। जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस बारे में जांच कराने का वायदा किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस सुझाव पर अभी विचार हो रहा है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि अगर इस तरह की फिल्मों पर से प्रति-बन्ध ढीला कर दिया गया तो जो हमारी फिल्में बाहर जाती हैं उनका स्तर गिर जायेगा ?

श्री शाम नाथ : यह बिल्कुल सही है कि अगर हम दो स्टेंडर्ड अपनायेंगे, एक यहां दिखायी जाने वाली फिल्मों के लिये और दूसरा बाहर जाने वाली फिल्मों के लिये, तो उससे दूसरे लोग यह कहेंगे कि एक चीज जो हम अपने मुल्क के लिये मुनासिब नहीं समझते वह दूसरे मुल्कों के लिये मुनासिब ख्याल करते हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि इस तरह का आश्वासन देने से वहां उनका उत्साहवर्धन हुआ है और यह आश्वासन बेसलैस है ?

श्री शाम नाथ : जनाब, मैंने अभी अर्ज किया कि कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। सिर्फ यह कहा गया है कि जो कुछ सजेशन है उस पर विचार किया जायेगा। लेकिन यह बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है और इस पर गौर करने के बाद ही कोई राय कायम की जा सकती है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अक्सर ऐसे चित्रों, जिनके शीर्षक ऐसे गिरे हुये होते हैं कि जिससे समूचे देश पर कलंक लगता है, जैसे "दिल्ली का ठग" की अनुमति दे दी जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह बात मेरी जानकारी के लिये है ?

†**श्री हेम बरुआ :** जी, नहीं। मैं प्रश्न पूछता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अक्सर ऐसे चित्रों, जिनके शीर्षक गिरे हुये होते हैं और जिनसे समूचे नगर पर कलंक लगता है, जैसे उदाहरणत: "दिल्ली का ठग" को पास कर दिया जाता है और यदि हां, तो क्या हम यह समझें कि शीर्षक पर सेंसर बोर्ड विचार नहीं कर सकता ?

†**श्री शाम नाथ :** ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि सेंसर बोर्ड शीर्षक पर भी विचार करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्रभात कार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि २८ चित्रों में से कुछ के बारे में जिनका इस देश के युवकों पर कुप्रभाव पड़ता है, कलकत्ता निगम बहुत चिन्तित है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन चित्रों को पास करने वाले सेंसर बोर्ड के बारे में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†श्री शाम नाथ : सरकार ने सेंसर बोर्ड के लिये कुछ सिद्धांत बनाये हैं और इन चित्रों को पास करते समय और प्रमाणित करते समय सेंसर बोर्ड द्वारा वे सिद्धांत अपनाये जाते हैं।

†श्री मे० कृ० कुमारन : क्या सरकार संविहित आधार पर चित्रों की हस्तलिपि का अनौपचारिक रूप से परीक्षण करने के लिये कदम उठायेगी ?

†श्री शाम नाथ : वह बात विचाराधीन है। परन्तु इससे अधिक लाभ नहीं होगा। हमारा ऐसा विचार है।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि हमारे सेंसर के नियम अभी भी बहुत ढीले हैं जिससे कि इस तरह के चित्र आ जाते हैं जिससे हमारे यहां का नैतिक स्तर बिगड़ रहा है ? क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं कर सकती कि ये नियम और भी कड़े किये जायें ?

†श्री शाम नाथ : यह अपनी-अपनी राय है।

†श्री प्र० का० भट्टाचार्य : क्या पहले मंत्रालय के अधीन सेंसर बोर्ड द्वारा अपनाये जा रहे सिद्धांतों में अब परिवर्तन किया जा रहा है ?

†श्री शाम नाथ : जी, नहीं। ऐसा कोई इरादा नहीं है।

†श्री त्यागी : सेंसर बोर्ड फिल्म तैयार हो जाने के बाद ही परीक्षण करता है या यह 'स्क्रिप्ट' का परीक्षण भी करता है ?

†श्री शाम नाथ : वाज दफा वे 'स्क्रिप्ट' भी देखते हैं परन्तु सामान्यतया वे फिल्म तैयार हो जाने के बाद ही उसे देखते हैं।

†श्री नी० श्रीकांतन नायर : क्या यह सच है कि सेंसर बोर्ड द्वारा नैष्तिकतावाद का इतना अनुसरण किया जाता है कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय उपभोग के लिये बनाई गई फिल्मों की किस्म ही गिरा दी है ?

†श्री शाम नाथ : यह अपनी-अपनी राय है।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या आन्तरिक उपभोग के लिये भी परीक्षण के नियमों में ढील देने के लिये चलचित्र उद्योग द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया गया है ?

†श्री शाम नाथ : चलचित्र उद्योग समय-समय पर ऐसे अभ्यावेदन देता रहा है। उन पर, जैसे ही वे प्राप्त होते हैं, विचार किया जाता है परन्तु सरकार की राय में परीक्षण की वर्तमान नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

†श्री वारियर : सेंसर बोर्ड उन 'स्क्रिप्ट्स' का कैसे परीक्षण करता है जो उन कार्यों पर आधारित होते हैं जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा प्रमाणपत्र अथवा पारितोषिक दिये गये हैं ?

†श्री शाम नाथ : हमें इसका पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : ऐसे उदाहरण हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

जीवन बीमा निगम द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता

+

*†१२३८. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किस रूप में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रीलय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जीवन बीमा निगम ने सहकारी संस्थाओं और संयुक्त स्कन्ध समवायों को ऋण देना स्वीकार कर लिया है, जो संबद्ध राज्य सरकार द्वारा मूलधन तथा उस पर ब्याज की अदायगी की शत प्रति शत गारंटी दे कर औद्योगिक बस्तियों की कुल लागत के ६० प्रतिशत तक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या जीवन बीमा निगम ने कोई संकेत दिया है कि आया यह बिना शर्त उन को धन सौंप देगा, या क्या यह ठोस धन विनियोजन के सिद्धांतों पर कोई प्राथमिकता का संकेत देगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह विवरण में बताया गया है । जीवन बीमा निगम ने यह सिद्धांत स्वीकार कर किया है कि यह एक औद्योगिक सम्पदा की ६० प्रतिशत लागत तक ऋण देगी, यदि शेष धन संवर्धकों द्वारा लगाया जाए और समूची राशि की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या अब तक किसी राज्य सरकार ने ऋण की गारंटी दी है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं, अभी नहीं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसे ऋण के लिये किस दर पर ब्याज लिया जाता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : इस का निश्चय समय समय पर किया जाएगा।

†श्री प्रभात कार : विवरण में कहा है कि जीवन बीमा निगम ने ऋण देना स्वीकार कर लिया है। क्या कोई ऋण छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये दिया गया है ?

†श्री कानूनगो : जी नहीं।

†श्री श्यामलाल शर्राफ : क्या इसमें उद्योगों के लिये इमारत, मशीनरी और पूंजी के लिये ऋण शामिल है ?

†श्री कनूनगो : यह औद्योगिक बस्तियों के लिये जो सहकारी संस्थाओं या संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा चलाई जाएगी जिन में इमारतें और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

†श्री महेश्वर नायक : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मत पूछे गये हैं और यदि हां, तो किन राज्यों ने अपने मत बताये हैं और क्या मत दिये हैं ?

†श्री कानूनगो : यह बहुत जल्दी है। यह रियायत है जो जीवन बीमा निगम ने दी है और इस का लाभ उठाना संवर्धकों और राज्य सरकार का काम है ;।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : इस बात को दृष्टि से कि कोई राज्य सरकार गारंटी देने के लिये अभी तैयार नहीं हुई, क्या हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकारें मांगी गई राशि के लिये गारंटी देने की इच्छुक नहीं हैं ?

†श्री कानूनगो : इतने शीघ्र कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रस्ताव पर लगभग तीन महीने पहले फैसला किया गया था।

†श्री प्र० चं० बरुआ : आगामी वर्ष के लिये इस योजना के लिये कितनी राशि अब तक आवंटित की गई है ?

†श्री कानूनगो : यह किसी व्यक्ति के द्वारा आवंटन का प्रश्न नहीं है। यह ऋण के लिये होने वाले प्रस्ताव का प्रश्न है।

प्रधान मंत्री को फिजो का तार

†*१२४०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री फिजो ने उनको एक तार भेजा है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत द्वारा नागाओं के मामले को सुलझाने की अपील की है और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तार का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या कोई उत्तर भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री डा० एरिंग) : (क) जी हां।

(ख) तार में लिखा है "नागाओं को मारने से हम सब को दुख होता है और हमारा मान घटता है। हमें बातचीत कर के अपने मामलों को वास्तविक सभ्य लोगों के समान सुलझाना चाहिये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** प्रधान मंत्री ने श्री फिजो के साथ क्यों कोई बातचीत नहीं की ? वह विद्रोही गतिविधियों को रुकवा सकते थे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) :** मुझे बिल्कुल स्पष्ट पता नहीं लगा कि माननीय सदस्य ने क्या कहा है । उन्होंने मुझे पूछा है कि मैंने श्री फिजो के साथ बातचीत क्यों नहीं की । मैंने बातचीत इस लिये नहीं की कि मैंने ऐसा करना उचित नहीं समझा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सही नहीं है कि सरकार की नीति यह है कि श्री फिजो के साथ कोई बात न की जाए जब तक कि वह विद्रोही नागा संगठन को भंग नहीं कर देता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** ऐसी कोई अनन्य नीति नहीं है । किन्तु जहां यह स्पष्ट है कि श्री फिजो इस मामले का प्रचार लाभ उठाना चाहता है, हम उसे प्रोत्साहित करना नहीं चाहते ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान श्री शिलो आओ द्वारा श्री फिजो को हाल में ही लिखे गये एक पत्र की ओर आकर्षित करवाया गया है जिसमें लिखा है कि :

> "हमारे नागा भाइयों का, जो अभी भी छिपे हुए हैं हमेशा सामने आने और इस नवीन नागालैंड राज्य का निर्माण करने में हमारा सहयोग देने के लिये स्वागत है ।"

यदि ऐसी बात है, तो क्या सरकार विद्रोही नागाओं के साथ राजनीतिक समझौता करने का विचार करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** सरकार हमेशा अपने सभी विरोधियों के साथ राजनीतिक समझौता करना चाहती है, चाहे वे कोई भी हों और कहीं भी हों । सरकार अनन्य दृष्टिकोण नहीं अपनाती। किन्तु बात यह है कि राजनीतिक समझौता सही समझौता होना चाहिये और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिये । नागालैंड में हम जितना कर सकते थे हमने किया है, जैसेसा कि सभा को पता है, यहां शीघ्र ही उनको पूरा राज्य देने का विधेयक आयेगा। अतः विद्रोही नागाओं को सामने आ कर इसके निर्माण में भाग लेने की स्वतंत्रता है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या तार पूर्व पाकिस्तान से आया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** मैं समझता हूं यह तार इंगलैंड से आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बच्चों को नौकर रखना

+

†*१२४१. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दुकानों में काम करने के लिये और घरलू कर्मचारियों के रूप में बहुत कम मजूरी पर बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकर रखने की प्रथा बहुत फैल गई है और दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम इस प्रथा को खत्म करने में असमर्थ रहा है ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में कुछ पता लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(घ) इस बुराई को रोकने के लिये सरकार क्या कारगर उपाय कर रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों की नौकरी 'दिल्ली दूकान और प्रतिष्ठानों अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत आने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों में निषिद्ध है ।

जहां तक १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों की घरेलू नौकरों के रूप में नौकरी का प्रश्न है, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। घरेलू नौकरों की नौकरी का विनियमन करने की कोई विधि नहीं है ।

(ख) से (घ). दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियमित निरीक्षण किया जाता है किन्तु कोई बच्चा काम करता हुआ नहीं पाया गया ।

घरेलू नौकरों के तौर पर काम करते हुए १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया ।

†**श्री महेश्वर नायक :** माननीय मंत्री ने बताया है कि बच्चों की नौकरों की शर्तों के बारे में नियमित निरीक्षण किया जाता है । क्या यह देखने के लिये कि १२ वर्ष के कम आयु के बच्चे दुकानों पर नौकर रखे जाते हैं अभी तक कोई निरीक्षण किया गया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां। निरीक्षण किये जाते हैं, जांच भी की जाती है और दिल्ली प्रशासन को किसी ऐसे मामले का पता नहीं चला जहां १२ वर्ष से कम आयु के बच्चे नौकर रखे गये हों।

†**श्री महेश्वर नायक :** यदि १२ वर्ष से कम आयु के बच्चे घरेलू नौकर रखे जाते हैं, क्या उनकी शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था की जाती ।

†**श्री हाथी** : जैसा मैंने कहा घरेलू नौकरों के लिये कोई विधि नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान स्टेट्समैन के 'दूसरे आधे स्तम्भ की ओर दिलाया गया है, जिसमें दो स्तम्भ के लेख के साथ बीस साल से कम आयु के एक व्यक्ति का चित्र छापा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली की दुकानों और रैस्टरां में बीस वर्ष से कम आयु के काम करने वाले लड़कों को प्रतिदिन केवल १५ नये पैसे मिलते हैं, यदि हां, तो क्या इस समाचार के छपने के बाद कोई जांच की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** मुझे यह सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस जैसी गम्भीर समस्या की जांच करना दिल्ली प्रशासन का काम था जहां बीस वर्ष से कम आयु वाले लोगों को केवल १५ नये पैसे प्रतिदिन मिलते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या रिपोर्ट छपने के बाद सरकार ने जांच की थी । मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अभी तक उनको कोई सूचना नहीं थी और उन्हें सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है । उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन से पूछताछ की और ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली । वह और क्या चाहते हैं ?

†**श्री नम्बियार :** क्या सरकार घरेलू नौकरों की सेवाओं की शर्तों का विनियमन करने के लिये विधि बनाने का विचार करती है ?

†**श्री हाथी :** इस समय कोई विचार नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** कुछ समय पूर्व जब दिल्ली में घरेलू नौकरों ने हड़ताल की थी, श्री नन्दा ने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार एक विधि बना रही थी और में आश्वासन दिया गया था कि यह पुरःस्थापित की जायेगी । अब माननीय मंत्री का उत्तर उस आश्वासन के बिल्कुल प्रतिकूल है । स्थिति क्या है ?

†**श्री हाथी :** पिछले २ १/२ वर्षों से घरेलू नौकरों की शिकायतों और उनकी सेवा की शर्तों के लिये एक पृथक अनुभाग है । विशेष कल्याण अधिकारी भी शिकायतें प्राप्त करने और सेवा की शर्तों की जांच करने के लिये प्रभारी रखे गये थे पिछले २ १/२ वर्षों में हमें कर्मचारियों से केवल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मालिकों से ९ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । हमारे पास यही आंकड़े हैं । इसका यह अर्थ है कि इस समय ऐसी विधि बनाने के लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं है । किन्तु यदि हम देखेंगे कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो हम इस पर विचार करेंगे ।

यूरोपीय साझा बाजार

†*१२४२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटिश कामनवैल्थ रिलेशन्स सेक्रेटरी के जून, १९६२ के मध्य में केन्द्रीय सरकार के साथ यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रस्तावित प्रवेश के बारे में बातचीत करने के लिये नई दिल्ली आने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** भारत सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं आई कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय संबंध के प्रभारी सचिव जून के मध्य तक नई दिल्ली आ रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस समस्या के किन मुख्य पहलुओं पर ब्रिटिश राष्ट्रमंडलीय संबंध सचिव के साथ उनके आगामी दौरे में बातचीत की जायगी और क्या उनके साथ किन्हीं राजनीतिक मामलों की भी चर्चा की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जब उन्हें उनके आगमन की सूचना नहीं तो चर्चा का प्रश्न कैसे उठता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : क्या यह सही नहीं है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने के लिये करार कर लिया है और एसी बात चीत की जरूरत नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान श्री ख्रुश्चेव के हाल के बयान की ओर दिलाया गया है कि जिसमें सुझाव दिया गया है कि यूरोपीय साझा बाजार के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिये और यदि हां, तो इस के बारे मे सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

पाक अधिकृत काश्मीर के क्षेत्र पर चीनियों का दावा

\+

*१२४३. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी । }

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रावलपिंडी से प्रकाशित 'जम्हूरियत' नामक पाकिस्तान के सरकारी अखबार के नवीनतम संस्करण में यह समाचार छपा है कि चीनियों ने पाक-अधिकृत काश्मीर में छः हजार मील क्षेत्र का दावा किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपने दावे का समर्थन करने के लिये चीनियों ने कुछ दस्तावेजों की ओर निदेश किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री जफ़रुल्ला खां ने काश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में प्रस्तावित चीन पाकिस्तान समझौते का भी उल्लेख किया था ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने चीन सरकार, पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद को विरोधपत्र आदि भेजे हैं ?

(ङ) क्या इन विरोध पत्रों में से किसी का उत्तर मिला है ; और

(च) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकार के साप्ताहिक पत्र 'पाक जम्हूरियत' में छपे एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के लगभग ४००० से ६००० वर्गमील के इलाके पर चीनियों के दावे का उल्लेख है ।

(ख) जम्हूरियत के इस लेख में चीनी नक्शों में दिखाई गई रेखाओं की चर्चा की गई है । बहरहाल, सरकार को इसका पता नहीं है कि चीनियों ने अभी तक किसी ऐसे दस्तावेज़ का उपयोग किया है जो उनके मानचित्र संबंधी दावों का समर्थन करता हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान, दोनों की सरकारों से 'उनकी समान सीमा' का 'पता लगाने और रेखांकन करने' के लिए उनकी सहमति पर विरोध प्रकट किया है । हमारे विरोध-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पास कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा गया है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय में ले जाकर ऐसी अग्रतर बातचीत को रोकने के लिये उस न्यायालय का इंजकंशन प्राप्त करने का विचार करती है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** जी नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या हाल ही में सुरक्षा परिषद में काश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध दावों का रूस द्वारा पूर्णत: खंडन का पाकिस्तान और चीन के बीच के विवाद के बारे में चीनी नीति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सरकार क्या कह सकती है कि आया इससे उस में सहायता मिलने की संभावना है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि इस घटना को तथा इस आशय को बाद की कथित घटना की दृष्टि से कि पाकिस्तान और चीन में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की सीमा के बारे में बातचीत के लिये एक तिथि निर्धारित की है, सरकार ने पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् को यह बताने का फैसला किया है कि काश्मीर संबंधी विवाद के बारे में पाकिस्तान का कोई स्थिति बल नहीं है और इस विवाद को अन्तिम रूप से समाप्त माना जाना चाहिये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** क्या माननीय मंत्री काश्मीर संबंधी मुख्य प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं या काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र का ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं कह रहा था कि क्या पाकिस्तान का अब काश्मीर के बारे में कोई स्थिति बल नहीं रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इसे नहीं समझता एक या दो वाक्यों में उत्तर नहीं दिया जा सकता । काश्मीर संबंधी हमारे मामले पर हमारे प्रतिनिधि, प्रतिरक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले सुरक्षा परिषद में बहुत जोरदार और स्पष्ट शब्दों में प्रकाश डाला था । यह सच है कि पाकिस्तान ने हमारी दृष्टि में, चीन के साथ इस मामले पर चर्चा करने की बात उठा कर दूसरा अनौचित्य और अवैधता की है । इस ने वैधता की सीमाओं के अन्दर रह कर यह काम नही किया ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** इस घटना की दृष्टि में क्या सरकार के लिये सुरक्षा परिषद और पाकिस्तान को बताने का यह अवसर नहीं है कि काश्मीर के प्रश्न को हमेशा के लिये अन्तिम रूप से समाप्त हुआ समझा जाना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह कायार्थं सुझाव है। अगला प्रश्न।

बर्मा में काम करने वाले भारतीय डाक्टर

†*१२४४. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बा० वर्मा :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में नियुक्त भारतीय डाक्टरों की सेवायें बर्मा सरकार ने समाप्त कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, तीन महीनों के नोटिस ५ मई को बर्मी सरकार के द्वारा २४ भारतीय डाक्टरों को दिया गया था। नोटिस किये गये उस संविदा की शर्तों के अनुसार थे, जब भारतीय डाक्टर बर्मी सरकार द्वारा भरती किये गये थे। बर्मी सरकार की इस कार्रवाई का कारण यह प्रतीत होता है कि वे अपनी सेवाओं में अधिकाधिक बर्मी लोगों को रखना चाहते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उस सरकार के इस कार्य से कितने भारतीय डाक्टर प्रभावित होंगे।

†**श्री दिनेश सिंह** : २४

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि ये डाक्टर उस समय बर्मा सरकार की स्पष्ट प्रार्थना पर बर्मा भेजे गये थे विभिन्न क्षेत्रों या कार्यवाइयों में सहायता करने के लिये ?

†**श्री दिनेश सिंह** : उन्हें हमने नहीं भेजा था। वे बर्मी सरकार द्वारा यहां भरती किये गये थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन प्रभावित डाक्टरों में से कितने लोग भारत लौट आये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह बताना कठिन है। ये डाक्टर संविदा की विभिन्न अवधियों के लिये दस वर्षों की अवधि में भरती किये गये थे। संविदा समाप्त होने पर वे वापिस आ गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ**: क्योंकि इन डाक्टरों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं क्या इसका कारण यह है कि बर्मा में डाक्टर काफी हैं या यह कारण है कि वे यथा संभव अधिकाधिक भारतीयों को निकालना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार अपने राष्ट्रजनों को डाक्टर बनाना चाहती है। यह इस रूप में भारत या भारतीय डाक्टरों के विरुद्ध किया गया कोई आन्दोलन नहीं है, किन्तु आन्दोलन यह है, जैसा कि बताया गया है कि वे डाक्टरी सेवाओं में बर्मी लोगों को रखना चाहते हैं---यह प्रयोग के लिये कठिन शब्द है,---मैं नहीं जानता। बात इतनी ही है। वे उन डाक्टरों के साथ जिन्हें उन्होंने सीधे तौर पर भरती किया था, किये गये संविदाओं के अनुसार कारंवाई कर रहे हैं।

†**श्री नम्बियार :** इस तथ्य की दृष्टि से कि भारत में पहले ही डाक्टरों की कमी है, क्या सरकार इन को उनके आने पर सरकारी सेवाओं में लगाने का विचार करती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह नहीं कह सकता। मुझे पता नहीं कि ये डाक्टर कौन हैं। वे सेवानिवृत्त सूची के डाक्टर भी हो सकते हैं। फिर भी प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या ये डाक्टर भारत सरकार की सलाह से भरती किये गये थे और क्या भारत भारत सरकार ने उन की भरती के लिये कोई शर्तें रखी थीं?

†**श्री दिनेश सिंह :** भारत सरकार ने कोई विशेष शर्तें नहीं रखी थी। वे ब्रह्मी सरकार द्वारा रखे गये थे और हमें इसका ज्ञान था और शर्तें बर्मी सरकार द्वारा तय की गई थीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या ये डाक्टर वापिस भेज दिये गये हैं और यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा चुका है।

पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

†*१२४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया था;

( ) यदि हां, तो दिखाई गई फिल्मों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उनमें से किसी को कोई पुरस्कार मिला है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) और (ख). सरकार को किसी फिल्म समारोह की सूचना नहीं है।

(ग) पैरिस में।

चाय का निर्यात

†*१२२५. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय का निर्यात धीरे-धीरे घटता जा रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(क) यदि हां, तो वह कब से घटता जा रहा है; और

(ग) निर्यात घटने का क्या कारण है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं। १९६० की तुलना में १९६१ में चाय का निर्यात कुछ अधिक था।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मा० मंत्री ने कहा है कि निर्यात में कमी नहीं हुई। यदि हां, तो १९६१-६२ में कुल कितना निर्यात हुआ था?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९६० में ४३०० लाख पौंड, १२१ करोड़ रुपये के मूल्य का। १९६१ में ४५३० लाख पौण्ड, १२४ करोड़ रुपये के मूल्य का। अतः ३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई निर्यात में।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या हम वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से, अपने रुढ़िगत बाजारों में प्रतियोगी मूल्यों पर चाय दे सकते हैं, विशेषकर चाय जगत में अधिक उत्पादन होने की दृष्टि से?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस रूप में अधिक उत्पादन नहीं है। किन्तु निश्चय ही चाय का विश्व उत्पादन पिछले दस वर्षों में दुगना हो गया है। किन्तु हमने परंपरागत और गैर-परंपरागत बाजारों में अच्छा काम किया है।

†**श्री भगवत झा आजाद** : अन्य देश की उत्पादन लागत की तुलना में हमारी उत्पादन लागत कम है या अधिक, और क्या यह कहना ठीक है कि हमारी उत्पादन लागत अन्य देशों की उत्पादन लागत के समीप है?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह काफी अच्छी है और वित्त मंत्री द्वारा घोषित हाल के परिवर्तनों से विश्व बाजार में निर्यात बढ़ाने के लिये चाय व्यापार सक्षम होगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि १९५८-५९ में कुल कमी ३०० लाख किलोग्राम हुई है और यदि हां, तो उस कमी का कारण क्या था?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि १९५८ से १९५९ तक कमी हुई है और फिर १९५९ से १९६० तक। १९६०-६१ में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बर्मा में भारतीय दवाइयों की मांग

†*१२२१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो साल में बर्मा के बाजार में भारतीय दवाइयों की मांग काफी बढ़ गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में बर्मा के बाजार की पड़ताल करने की कोई व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) बर्मा में भारतीय औषधियों की मांग घटती बढ़ती रहती है। औषधि सम्बन्धी और औषधनिर्माण सम्बन्धी उत्पादों का भारत का निर्यात १९६० में १५.७७ लाख रुपये से १९५९ में बढ़ कर ११.७४ लाख रुपये हुआ किन्तु १९६१ में घट कर १०.३३ लाख रुपये हो गया ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने १९६१ में औषधों और औषध निर्माण सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में बर्मी बाजार का १९६१ में सर्वेक्षण किया। औषधि सम्बन्धी तथा औषधि-निर्माण सम्बन्धी उत्पादों के कुछ बड़े भारतीय निर्माताओं ने बर्मा में अधिकरण स्थापित किये हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*१२२२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण उद्योगीकरण और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की समस्याओं तथा केन्द्रीय सहायता के ढांचे के वैज्ञानिकन के प्रश्न पर छोटे उद्योगों की समन्वय समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) क्या इन सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन के सम्बन्ध में निर्णय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि समिति का कार्यालय

†*१२२३. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि समिति का कार्यालय नेल्लोर से हटा कर आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से अभ्रक खनन क्षेत्र के कलीछेडू केन्द्र में ले जाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) वेल्लोर कल्याण निधि के कुशल प्रशासन के लिये अधिक उत्तम स्थान है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†**१२२४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) १९६१–६२ में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कितना अंशदान किया और योजना के शेष चार वर्षों में से प्रत्येक में कितना अंशदान होने का अनुमान है ;

(ख) क्या तीसरी योजना में दिये गये अनुमान में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखें गये ४४० करोड़ रुपये का विस्तृत ब्योरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) १९६१–६२ में सरकारी उपक्रमों के वास्तविक अंशदान तब मालूम होगा जब उस वर्ष के लेखा परीक्षित लेखा उपलब्ध हो जाएंगे। ज्यों ज्यों योजना बढ़ती है, वर्ष प्रति वर्ष के प्राक्कलन बनाये जाते हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

४०० करोड़ रुपये का प्राक्कलन प्रारूप रूप रेखा में दिया गया था । बाद में इसको बढ़ा कर ४५० करोड़ रुपया कर दिया गया जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

१. केन्द्र		(करोड़ रुपयों में)
	१. इस्पात संयंत्र	१११
	२. उर्वरक फक्टरियां	३३
	३. डाक व तार	२८
	४. अन्य उपक्रम	१२८
	योग	३००

†मूल अंग्रेजी में

२. राज्य (करोड़ रुपयों में)

१.	बिजली बोर्ड	११०
२.	सड़क परिवहन उपक्रम	२०
३.	औद्योगिक उपक्रम तथा अन्य विभागीय योजना .	२०
	योग	१५०

३. केन्द्र और राज्य (१+२)
कुल जोड़. . . . . . ४५० करोड़ रुपये ।

बम्बई में सहकारी आधार पर समाचार पत्र

***१२२८. श्रीमती मिनीमाता :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के कुछ पत्रकारों ने यह सुझाव दिया है कि सरकार उन्हें सहकारी समाचार पत्र चलाने में सहायता दे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मंगला बांध के निकट हवाई अड्डा

***१२३३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् को जो पहले से ही मंगला बांध के प्रश्न पर विचार कर रही है, मंगला बांध के निकट एक हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में कोई पत्र भेजा है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं । लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने ३ मई, १९६२ को सुरक्षा परिषद् के सामने अपना बयान देते हुए उसका ध्यान इस उल्लंघन की ओर दिलाया था ।

(ख) जी नहीं ।

निर्यात की जा रही वस्तुओं का लागत मूल्य

†***१२३९. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या हमारी निर्यात सूची में विभिन्न वस्तुओं के लागत मूल्य के बारे में वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि अनेक वस्तुओं की लागत कई अन्य देशों की अपेक्षा लगभग १०० प्रतिशत से २०० प्रतिशत तक अधिक है ;

(ग) क्या अधिक लागत के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है और लागत में कमी करने के लिये कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). लागत अध्ययन अभी तक देशी उद्योगों को संरक्षण देने की मुख्य दृष्टि से किये गये हैं । कुछ बड़े निर्यात उद्योगों के लिये निर्यात के दृष्टिकोण से लागत प्रश्न के अध्ययन की ओर अब ध्यान दिया जा रहा है । मोटे अनुमानों से पता चलता है कि यद्यपि हमारी लागत कुछ थोड़ी अधिक है, अन्तर १०० प्रतिशत से २०० प्रतिशत तक का नहीं है ।

विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगी स्थिति को सुधारने में निम्न कुछ बड़ी कार्रवाई की गई है :—

(१) सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क का हटाया जाना ।

(२) उत्पादन शुल्क पर छूट ।

(३) सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क दोनों के लिये बोर्ड में निर्माण की सुविधाएं ।

(४) रेलवे भाड़े में रियायत ।

(५) कच्चे माल और पुर्जों के संभरण की विशेष निर्यात संवर्धन योजनाएं ।

(६) जहाज समवायों को समुद्र भाड़ा घटाने के लिये प्रेरित करना ।

(घ) उत्पादकता तथा लागत विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा आरंभ की जा चुकी है । वस्तुवार और उत्पादनवार अधिक गहन अध्ययन 'लागत घटाना कार्यक्रमों के अध्ययन' के लिये विशेषज्ञों का एक समिति के द्वारा करवाये जाने का विचार है ।

पश्चिम बंगाल में रोजगार दफ्तर

†२३७९. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कितने रिक्त स्थान राज्य के विभिन्न रोज़गार दफ्तरों की रजिस्टर्ड सूचियों से भरे गये ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने यहां के रिक्त स्थानों की सूचना रोज़गार दफ्तरों को दें ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के ज़रिये इस कार्यवाही के परिणामों का अध्ययन किया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों में यही कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और प्रतिष्ठानों में रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज कराये उम्मीदवारों द्वारा १९६१ में भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

सरकारी क्षेत्र	१५,६४३
गैर-सरकारी क्षेत्र	६,९६३
	२२,६०६

(ख) जी, हां । रोजगार दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत २५ या इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठान कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता की सूचना रोजगार दफ्तरों को देते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ शेष सभी राज्यों में रोजगार दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, १९५९ लागू कर दिया गया है ।

आन्ध्र में अखबारी कागज का कारखाना

†२३८०. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में ऐतिहासिक स्मारकों पर चलचित्र

†२३८१. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के फिल्मस डिवीजन ने मार्च, १९५७ से लेकर अब तक उड़ीसा के ऐतिहासिक स्मारकों व मन्दिरों पर कितने प्रलेखीय चलचित्र बनाये ; और

(ख) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) दो ।

(ख) ७५,५०८ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

कुटीर और लघु उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण

†२३८२ { श्री उलाका :
　　　{ श्री मलिक :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर और लघु उद्योगों के प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा से मार्च, १९५८ से लेकर अब तक कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये ; और

(ख) ये व्यक्ति किन-किन देशों को भेजे गये ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) लघु उद्योगों के प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा से मार्च, १९५८ से लेकर अब तक पांच व्यक्ति विदेश भेजे गये।

(ख) ये व्यक्ति स्वीडन, पश्चिम जर्मनी और डेनमार्क भेजे गये।

फिल्म सेन्सर बोर्ड

†२३८३. श्री उलाका : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड ने गत दस वर्षों में कोई चलचित्र अस्वीकार किये हों तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) चलचित्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) :

	फीचर	छोटे चल-चित्र	योग
भारतीय	५६	६	६१
विदेशी	३१८	१७६	४९४

(ख) बोर्ड आव फिल्म सेंसर ने चलचित्र इसलिये अस्वीकार किये कि वे उन निदेशों का उल्लंघन करते थे जो सरकार ने चलचित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये अनुमति देने के बारे में बोर्ड के मार्ग-दर्शन के लिये बनाये हैं।

आन्ध्र प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज किये व्यक्तियों की संख्या

†२३८४. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में (विभिन्न व्यवसायों के लिये) १९६१-६२ के दौरान कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये ; और

(ख) आंध्र प्रदेश में रोजगार दफ्तरों के जरिये कितने व्यक्तियों ने विभिन्न व्यवसायों में रोजगार प्राप्त किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1194 (Ai) LSD—3.

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). क्रमशः १,९५,५०० और २९,३३७ व्यक्ति। व्यवसायवार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

*२३८५. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में तेल घानियां

†२३८६. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत इस समय कुल कितनी तेल घानियां काम कर रही हैं (संभव हो तो जिलों और स्थानों की अलग-अलग संख्या दी जाये) ; और

(ख) ग्रामीणों को तेल घानियां खोलने के लिये क्या सुविधायें दी गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १४३०।

(ख) रियायती दरों पर बढ़िया तेल घानियां देने के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये ऋण और अनुदान के तौर पर आर्थिक सहायता दी जाती है :—

(क) घानी बनाने वाले वर्कशाप स्थापित करना ;

(ख) काम करने के शेड का निर्माण ;

(ग) तेल का विपणन ;

(घ) वर्तमान पुरानी घानियों में परिवर्तन कर उन्हें बढ़िया घानी बनाना ;

(ङ) तिलहन की खरीद और उनका संग्रह ;

(च) कारीगरों की सहकारी समितियां बनाना ;

(छ) तेलियों, मिस्त्रियों और इन्स्पेक्टरों का प्रशिक्षण ;

(ज) प्रतिष्ठान का स्थापना व्यय पूरा करना।

उड़ीसा में हथकरघा उद्योग

†२३८७. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में हथकरघे के कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में सूत की कुल खपत कितनी रही ; और

(ग) उड़ीसा को तीसरी योजनावधि में दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ११५ लाख रुपये ।

उड़ीसा म खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

†२३८८. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कुल कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) तीसरी योजनावधि में कितना अनुदान देने का इरादा है ;

(ग) अप्रैल, १९५९ से लेकर मार्च, १९६२ तक पुराने ढंग की खादी का कितना उत्पादन हुआ ;

(घ) उक्त अवधि में खादी की कुल कितनी बिक्री हुई ; और

(ङ) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को पूरे समय व अंशकालिक (पार्ट टाइम) रोजगार दिया गया ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ६९.६९ लाख रुपये ।

(ख) राज्यों के बोर्डों को प्रत्येक वर्ष में उनके द्वारा की गई प्रगति के आधार पर धन उपलब्ध किया जाता है । उड़ीसा राज्य के बोर्ड को तीसरी योजना के पहले वर्ष में १४.९१ लाख रुपये दिये गये ।

(ग) ११.१७ लाख वर्ग गज ।

(घ) इस अवधि में ३१.०९ लाख रुपये की खादी बेची गयी ; और

(ङ) अप्रैल, १९५९ से लेकर मार्च, १९६२ तक २१,५३९ व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार दिया गया और १९६०–६१ में १३,७१३ व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार दिया गया । १९६१–६२ के बारे में यह जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है ।

मीट्रिक बांट

†२३८९. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में व्यापार के प्रयोजन के लिये केवल मीट्रिक बांटों का प्रयोग अनिवार्य घोषित कर दिया गया है ;

(ख) उड़ीसा के अधिकांश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता पिछड़ी और निरक्षर होने के कारण क्या वहां मीट्रिक बांटों के साथ-साथ पुराने बांटों के प्रयोग के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह अवधि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ शेष सारे भारत में मीट्रिक बांटों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(ख) और (ग). दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी जो ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हो गई है।

भारत-चीन सीमा विवाद

२३९०. **श्रीमती मिनिमाता : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक ५ अप्रैल १९६२ के रूसी पत्र "प्रवदा" में भारत-चीन सीमा विवाद पर एक पक्षीय समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसमें भारतीय पक्ष की अपेक्षा की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं। ५ अप्रैल, १९६२ को "प्रवदा" में भारत-चीन सीमा प्रश्न का एक पक्षीय समाचार प्रकाशित नहीं किया गया था। बहरहाल, 'प्रवदा' के १५ अप्रैल, १९६२ के अंक में पीकिंग से प्राप्त टास की रिपोर्ट छपी थी जिसमें इस आरोप का उल्लेख किया गया था कि चीन ने भारत के साथ व्यापार-व्यवहार के विषय पर एक नये करार की बातचीत करने के लिये जो प्रस्ताव किया था, उसे भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गोआ में खनिज अयस्क

†२३९१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में इस समय कितनी विदेशी फर्मे इस समय खनिज अयस्क के खनन और निर्यात का काम कर रही हैं ;

(ख) क्या इन फर्मों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इन फर्मों का राष्ट्रीयकरण कब किया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) गोआ में दो विदेशी फर्में हैं—सेसा गोआ लिमिटेड और मिनगोआ सोशियोदेद, मिनीएरा गोएसा, एस० ए० आर० एल०, पंजिम ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात-निर्यात व्यापारी

२३९२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश के साथ आयात और निर्यात का व्यापार करने वाले अधिकांश व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से ही संबंधित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य भागों के व्यक्तियों को भी इस दिशा में प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रोत्साहन का स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). यह सच है कि स्थापित आयातको में से अधिकांश लोग बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के प्रमुख बन्दरगाहों वाले नगरों के रहने वाले हैं। फिर भी स्थापित आयातकों को लाइसेंस देने में निरन्तर कमी की जा रही है और उनके लिये अब बहुत कम गुंजाइश रह गयी है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के चलाने तथा औद्योगीकरण में प्रगति हो जाने से देश के विभिन्न भागों में बड़े और छोटे औद्योगिक कारखाने खुलते जा रहे हैं। औद्योगिक विकास हो जाने से निर्यात को बढ़ावा देने की प्रमुख आवश्यकता के कारण छोटे औद्योगिक कारखानों तथा निर्यात बढ़ाने की योजताओं आदि के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को अधिक लाइसेंस दिये जा रहे हैं। प्रमुख बन्दरगाह वाले नगर आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभप्रद हैं और यही कारण है कि अधिकांश आयातक और निर्यातक उन्हीं स्थानों के मूल निवासी हैं। बन्दरगाह से दूर रहने वाले नये व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें नये लाइसेंस देकर इस पर अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च कर सकना संभव नहीं है। स्थापित आयातकों के अतिरिक्त दूसरे आयातकों को लाइसेंस देने के बारे में जो विद्यमान नीति है उससे बन्दरगाहों से दूर स्थित स्थानों में सीधी आयात और निर्यात व्यापार वैसे भी बढ़ता जा रहा है।

अल्प आय वाले लोगों के लिये आवास योजना

†२३९३. **श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अल्प आय वाले लोगों के लिये आवास योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ में कुल कितनी राशि का संवितरण किया गया ;

(ख) त्रिपुरा में आदिम जाति के पात्र उम्मीदवारों को कुल कितनी राशि का संवितरण किया गया ; और

(ग) १९६१–६२ में यह ऋण प्राप्त करने के लिये आदिम जाति के कितने लोगों ने आवेदन किये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २,१८,१९० रु०।

(ख) और (ग). १९६१–६२ में आदिम जाति के लोगों से ३१ आवेदन प्राप्त हुये। चूंकि ये आवेदन योजना के उपबन्धों व उपबन्धों के अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप न थे इसलिये उन्हें उस वर्ष में कोई ऋण नहीं दिया जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

किदवई नगर, दिल्ली में कम्युनिटी हाल

२३९४. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किदवई नगर नई दिल्ली के कम्यूनिटी हाल का प्रबन्ध गृह-कार्य मंत्रालय के सुपुर्द करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि विद्यमान समाज सदन भारत सेवक समाज के पास ही रहेगा । किदवई नगर में एक अन्य हाल बनाने का निश्चय कर लिया गया है । इसी प्रकार का निश्चय सरोजिनी नगर के संबंध में भी किया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान में हरिजन

२३९५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में हरिजनों के साथ सद्व्यहार नहीं होने के कारण वे भारत में आ रहे हैं या आने के अति इच्छुक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पूर्व प्राकिस्तान में हरिजन लोग अल्पसंख्यक जाति के अंग हैं । इसलिए, पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यक जातियों के प्रति जो भेदभाव बरतती है, वे हरिजनों पर भी समान रूप से लागू होते हैं । इस तरह, पाकिस्तान से निरन्तर भारत आने वाले लोगों में वे भी शामिल हैं ।

(ख) भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से इस बात पर निरन्तर बल देती आई है कि १९५० के प्रधान मंत्रियों के करार के अन्तर्गत अल्पसंख्यक जाति को जिन अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी दी गई थी, उस पर पाकिस्तान सरकार प्रभावकारी ढंग से अमल करे ।

अन्य देशों से निकाले गये भारतीय राष्ट्रजन

†**२३९६. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में अन्य देशों से कितने भारतीय राष्ट्रजन निकाले गये ; और

(ख) उन्हें इन देशों से किस आधार पर निकाला गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार १९६० मे ३७६६ और १९६१ में १८६७ भारतीय अन्य देशों से निकाले गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश निकाले के आधार प्रत्येक मामले में भिन्न हैं। सामान्यतया ये लोग अवैध अव्रजन, प्रव्रजन या स्थानीय दण्ड निधि का उल्लंघन, विदेशियों के पंजीयन प्रमाणपत्र का नवीकरण न कराना तथा ऐसे ही अन्य कारणों से निकाले गये

बड़े बड़े सूती कपड़ा, पटसन और चीनी उद्योगों को ऋण

२३९७. **श्री बाल्मीकी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में सूती कपड़ा, पटसन और चीनी के बड़े-बड़े उद्योगों को कितना कर्ज दिया गया था;

(ख) उन उद्योगपतियों के नाम ; जिन्हें कर्जा दिया गया ;

(ग) यह ऋण किन-किन वित्तीय निकायों अथवा निगमों के मार्फत दिया गया ; और

(घ) ऋण देने का आधार क्या है और ब्याज की दर कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). एक विवरण साथ में नत्थी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१६६/६२**]

सरकारी उपक्रमों में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति

†२३९८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी नौकरी कर रहा कोई अधिकारी सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में किसी महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और ये पद कौन से हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह जानकारी वाणिज्यि उद्योग मंत्रालय की १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई है जो सदस्यों को हाल में परिचालित की गई है । सरकरी उपक्रमों के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों के नामों का एक विवरण सभा पटल पर जल्दी ही रखा जायेगा ।

पान्डीचेरी

†२३९९. **श्री रेड्डियार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाण्डीचेरी के विलय के बाद अब तक उसके प्रशासन पर कुल कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) इस राज्य को विलीन करने के बाद वहां कौन सी तथा कितना संस्थाएं आरम्भ की गई हैं ; और

(ग) भारतीय संघ के कितने व्यक्ति सरकारी सेवा में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ३१ मार्च, १९६२ तक १८,१०,६६,८७३ रुपये खर्च किये गये।

(ख) सरकार ने ४५१ संस्थायें स्थापित की हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

शिक्षा संस्थायें	२७१
सहकारी समितियां इत्यादि	१२४
मेडिकल स्कूल परिवार नियोजन स्वास्थ्य केन्द्र आदि	१८
पशु-पालन एकक	१०
कृषि फार्म और नर्सरी	४
उद्योग	३
सामुदायिक विकास खण्ड	३
सूचना केन्द्र	११
सामाजिक श्रम और शिशु कल्याण संस्थायें	७

(ग) ४८३।

केनाइट[1] की खदानें

†२४००. **श्री ह० च० सोय : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सिंहभूम में मेसर्ज खर्सवान मिनरल कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही केनाइट की खदानों के मजदूरों को चिकित्सा सहायता, प्रसूति लाभ की सुविधायें नहीं दी जातीं और १५ अगस्त तथा २६ जनवरी को भी सवेतन अवकाश नहीं दिया जाता और उन्हें कम्पनी से बोनस या उपदान भी नहीं मिलता ;

(ख) क्या यह सच है कि खान निरीक्षालय ने इन खदानों की काम की दशाओं की कभी भी ध्यानपूर्वक जांच नहीं की ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) चिकित्सा सहायता, सवेतन अवकाश और प्रसूति लाभ की सभी संविहित सुविधायें उपलब्ध हैं। किन्तु, इन खदानों में कोई विवाहित महिला कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों को १५ अगस्त और २६ जनवरी को अवकाश दिया गया था। खदानों में अनिवार्य बोनस योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। किन्तु कम्पनी कुछ बोनस देती है। कम्पनी द्वारा उपदान, जो संविहित दायित्व नहीं है, के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं;

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kyanite Quanies.

रबड़ बोर्ड में वेतन-क्रम

†२४०१. **श्री मणियांगडन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कुछ पदों और सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी विभागों के अधीन पदों के वेतनक्रमों में कुछ अन्तर है जबकि इनका काम एक जैसा ही है ;

(ख) क्या इस अन्तर को दूर करने के लिये रबड़ बोर्ड से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) किन-किन पदों के वेतनक्रम भिन्न हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने बोर्ड के सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ) . रबड़ बोर्ड ने पुनर्गठन के प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ पदों के वेतन क्रम बढ़ा कर उन्हें समान कार्य वाले अन्य पदों के समकक्ष लाने की सिफारिश की थी। सरकार ने हाल में ये प्रस्ताव स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिये हैं और वे विभेद समाप्त हो गये हैं ।

गोरखपुर मजदूर भर्ती डिपो

†२४०२. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर मजदूर भर्ती डिपो से १९५६ से लेकर अब तक कितने मजदूर भेजे गये ;

(ख) इन में से कितने मजदूर गोरखपुर जिले की महाराज गंज और फरेन्दा तहसीलों के हैं ; और

(ग) इन मजदूरों में से कितने प्रतिशत मजदूर भूमिहीन हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) १,०९,६७८ ।

(ख) लगभग ३०,००० ।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

गुलबर्गा मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र

†२४०३. **श्री चन्द्रिकी** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुलबर्गा (मैसूर) में आकाशवाणी का केन्द्र स्थापित करने का सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) यह केन्द्र कब काम करने लग जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय म उप मंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) गुलबर्गा में एक २० किलो वाट मीडियम वेव रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का इरादा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आशा है कि यह ट्रांसमीटर १९६३-६४ तक काम के लिये तैयार किया जा सकेगा ।

शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें

†२४०४. **श्री जेना** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें स्थापित की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर स्थापित की जावेंगी और उन स्थानों को किस आधार पर चुना जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) दो राष्ट्रीय शिल्प संस्थायें, एक कपड़े पर हाथ से छपाई के लिये और दूसरा गुडिया और खिलौने बनाने के लिये, स्थापित करने के प्रस्ताव हैं जहां पर शिल्पियों को अग्रिम प्रशिक्षण दिया जायेगा;

(ख) हाथ से छपाई की संस्था को अहमदाबाद में स्थापित किया जा रहा है क्योंकि वहां पर हाथ से छपाई करने वाले बहुत हैं और गुडिया और खिलौना संस्था बम्बई में, वहां पर अखिल भारतीय हस्तशिल्पि बोर्ड के वर्तमान केन्द्र का पुनर्गठन करके, स्थापित की जावेगी ।

क्वार्टर देने में अत्यधिक प्राथमिकता

†२४०५. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १५ मई, १९६२ तक क्वार्टर देने में अत्यधिक प्राथमिकता के कितने मामले रजिस्टर किये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि यह काम बहुत ढील से चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस काम की प्रगति तेज करने के लिये क्या नये उपाय अपनाये गये हैं

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) २२ ।

(ख) और (ग). जिन कर्मचारियों के लिए अत्यधिक प्राथमिकता की मंजूरी दे दी गई है, उनके नाम सम्बन्धित प्रतीक्षा-सूची में सब से ऊपर रखे गये हैं, । परन्तु वस्तुतः नियतन तो तभी किया जा सकता है, जब कि मकान खाली हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शरणार्थियों का पुनर्वास

२४०६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६२ तक कितने ऐसे शरणार्थियों को कर्ज की छूट दी गई जो अभी तक नहीं बसाये जा सके हैं;

(ख) उनकी दीन अवस्था की जांच का क्या आधार है ; और

(ग) इसके कारण कितना धन बिना वसूल रहने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सारे देश के लगभग ९० लाख विस्थापित व्यक्तियों की विस्तृत जनगणना के बिना यह जानकारी देना संभव नहीं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को प्रायः संतोषजनक रूप से बसाया जा चुका है और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों से संबंधित अधिकांश पुनर्वास कार्य भी पूर्ण हो चुका है ।

(ख) उस अवस्था में ऐसे ऋण न वसूल होने वाले समझे जाते हैं जब कि उन के लेने वाले या ज़ामिन के पास न तो कोई जायदाद होती है और न ही उनकी ऋण देने की क्षमता होती है ।

(ग) जब तक सारे मामले तय नहीं हो जाते बिना वसूल की हुई धन-राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

कांच और कांच के सामान की बिक्री

२४०७. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५८ से मई, १९६२ तक किन-किन देशों से शीशे तथा इससे बने ऊंची किस्म के शोभाजनक बर्तन आदि की बिक्री के लिये व्यापार सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं;

(ख) इस प्रकार का कितना माल बाहर भेजा गया ; और

(ग) उपरोक्त वस्तुओं के लिये किन-किन देशों में नये बाज़ार पैदा किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). भारत ने हाल के वर्षों में अदन, अफ़गानिस्तान, बहरीन, बर्मा, लंका, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान (पूर्वी और पश्चिमी), सऊदी अरब, नेपाल तथा मलाया को जाने वाले कांच और कांच की बनी सभी किस्म की वस्तुओं के निर्यात व्यापार में वृद्धि कर ली है ।

इन देशों को भारत से किया गया कुल निर्यात निम्न प्रकार है :—

		लाख रु०
मई—दिसम्बर,	१९५८	१२.९४
	१९५९	२३.७२
	१९६०	२५.७२
	१९६१	२१.४८
जनवरी—फरवरी,	१९६२	४.२९

"कांच की बनी उच्च कोटि की वस्तुओं" के बारे में आंकड़े अलग नहीं रखे जाते ।

केन्द्र द्वारा मद्रास राज्य को सहायता

†२४०८. **श्री इल्यापेरूमाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में विभिन्न मदों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास राज्य को कितनी सहायता दी गयी है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : जानकारी एकत्र की जा रही है ।

अन्तरिक्ष में उड़ानें

†२४०९. **श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चन्द्रमा तक भारतीय उड़ान के लिये आयोजन करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार इस कार्य के लिये एक परियोजना स्थापित करेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष उड़ान के नये विज्ञान मे प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिये भारतीय वैज्ञानिकों को रूस अथवा अमरीका भेजने की संभावनाओं का पता लगाया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अन्तरिक्ष उड़ान के बारे मे विज्ञान की नयी शाखा में प्रशिक्षण अथवा अनुसन्धान के लिये किसी भी भारतीय वैज्ञानिक को अभी तक अमरीका अथवा रूस नहीं भेजा गया है। तथापि, निकट भविष्य में अन्तरिक्ष उडानों से प्राप्त वैज्ञानिकों आंकड़े एकत्र करने में अन्य देशों के साथ भारत द्वारा सहयोग की संभावना है । इस नये क्षेत्र में हमारी गति विधि के विकास के परिणामस्वरूप यदि आवश्यकता हुई, तो विज्ञान की इस नयी शाखा में अग्रिम देशों में भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिये भेजने के बारे में विचार किया जायेगा ।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में क्वार्टरों का आवंटन

†२४१०. **श्री दाजी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम (मुनीरका) में सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस "प्राथमिकता" तिथि से आवंटन आरम्भ किया जायेगा और किस वर्ष तक आवंटन (श्रेणी-वार) होगा ;

(ग) क्या उक्त बस्ती में वर्ष १९५५ तक के "जी" श्रेणी के क्वार्टरों के लिये पात्र सभी सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय वहां 'एफ', 'जी' और 'एच' श्रेणी के १२६४ क्वार्टर हैं । इस में निम्नलिखित प्राथमिकता तिथि वाले व्यक्तियों को आवंटन हो सकेगा :

श्रेणी	इस समय प्राथमिकता तिथि	नये क्वार्टरों के आवंटन के बाद वर्ष जिस तक आवंटन हो सकेगा
'एफ' श्रेणी .	जुलाई, १९४४	१९४५
'जी' श्रेणी .	जुलाई, १९४३	१९४८
'एच' श्रेणी .	जनवरी, १९५०	१९५३

(ग) संभवत: नहीं ।

(घ) समय-सीमा बताना संभव नहीं है । जैसे ही अधिक क्वार्टर बनेंगे, स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

चाय तैयार करने के लिये स्वचालित मशीन

†२४११. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा की एक वैन्डिग मशीन कम्पनी ने एक ऐसी स्वचालित मशीन बनायी है जो दस सैकण्ड में चाय का कप तैयार कर देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस मशीन की क्या विशेषतायें हैं ; और

(ग) क्या भारत में भी ऐसी ही मशीन बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) : (क) और (ख). जो कुछ समाचार पत्र में छपा है कि कनाडा की एक वैन्डिग कम्पनी स्वचालित वैन्डिग मशीन, जो दस सेकण्ड में बढ़िया चाय का कप बना सकती है, बनाने के लिये ब्रिटेन में एक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, सरकार को इसके अतिरिक्त कोई और अधिकृत जानकारी नहीं है । मशीन का ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । चाय बोर्ड, ब्रिटेन, में, जहां कुछ स्वाचालित वैन्डिग मशीनें बनाई गयी हैं, इसके विकास पर निकट से ध्यान दे रहा है । तथापि, उन्हें उस स्तर पर अभी पहुंचना है जिससे उपभोक्ताओं को अच्छी प्रकार तैयार की गयी चाय मिल सके ।

†मूल अंग्रेजी में

राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†२४१२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में वर्ष १९६२ में राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों के लिये कितने मकान बनाये जायेंगे;

(ख) कितनी योजनायें और कितने मकानों के लिये मंजूरी की जा चुकी हैं ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) वर्ष १९६२–६३ के लिये योजनाओं के अन्तर्गत अभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को निधि के आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । मकान बनाने का उनका कार्यक्रम प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि पर निर्भर होगा। यह संसद् द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिये आयव्ययक पारित किये जाने के बाद ही होगा ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र मे इसके आरम्भ से सितम्बर, १९५२ से ३१ मार्च, १९६२ तक राज-सहायता प्राप्त आवास योजना की प्रगति के बारे में बताया गया है । [**देखिये परिशिष्ट** ३, **अनुबन्ध संख्या** ७४] ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को श्री पोन्नद सुब्बाराव के दुःखपूर्ण निधन की सूचना देनी है । उनकी मृत्यु ७२ वर्ष की अवस्था में १८ अप्रैल, १९६२ को विजयवाडा में हुई ।

श्री पोन्नद सुब्बाराव १९५२ से १९५७ के बीच उड़ीसा के नौरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम लोक-सभा के सदस्य चुने गये थे ।]

हम उनकी मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकट करते हैं । मुझे विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य मृतक के परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकट करने में मेरा साथ देंगे ।

मेरा अनुरोध है कि सभा के सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े होकर शोक प्रकट करें ।

सभासद कुछ समय तक मौन खड़े रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): मेरे एक औचित्य प्रश्न और उसके संबंध में आपके विनिर्णय के सम्बन्ध में एक ग़लतफहमी पैदा हो गई है । मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कल प्रतिरक्षा मंत्री ने महालेखा परीक्षक की आलोचना करते हुए कहा था कि उनका काम प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना और उसके सम्बन्ध में सुझाव देना नहीं है और उनको स्वतंत्र रूप से जांच नहीं करनी चाहिये । इसके बारे में मैं एक औचित्य प्रश्न उठा रहा था पर आपने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा कि आपने मेरी बात समझ ली है और आप उससे पूर्णतया सहमत हैं। उसके बाद सभा में इतना शोर मचा कि मैं आपके विनिर्णय का अन्तिम भाग सुन ही नहीं पाया था ।

उसके संबंध में एक संवैधानिक व्यवस्था है कि ...

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब वह प्रश्न नहीं उठा सकते । अब उस विषय की चर्चा समाप्त हो चुकी है ।

यदि मैं माननीय सदस्य की बात ठीक नहीं समझ पाया था, तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब मैंने किसी दूसरे विषय का उल्लेख किया था, तो माननीय सदस्य को मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहिये था।

यदि माननीय सदस्य उस समय सुन नहीं पाये थे, तो उनको बाद में बताना चाहिये था कि उनका औचित्य प्रश्न दूसरा ही था। अन्य सदस्यों ने उस पर चर्चा भी की थी पर माननीय सदस्य तब भी स्वयं मौन बैठे रहे।

यह बड़ी विचित्र सी चीज़ है। लेकिन आज सुबह समाचार पत्रों में इससे सम्बन्धित समाचार देख कर मुझे सचमुच दुःख हुआ, क्योंकि उसे बढ़ाचढ़ा कर पेश किया गया है । मुझे कभी-कभी नियमों का पालन करने के लिये माननीय सदस्यों और मंत्रियों तक से कहना पड़ता है। कुछ दिन पहले मैंने श्री नाथ पाई से भी आसन ग्रहण करने के लिये कहा था जब वे किसी नियम के उल्लंघन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे थे । समाचार-पत्रों में उसका समाचर इस प्रकार था कि जैसे मैंने श्री नाथ पाई की कड़ी भर्त्सना की हो। उसके मराठी अनुवाद में कहा गया था कि मैंने उनकी अच्छी झाड़-झपट की । इसके बारे में भी ऐसे ही बढ़ाचढ़ा कर समाचार दिये गये हैं। प्रैस के अपने मित्रों से मेरा यही अनुरोध है कि वे ऐसी बातों में थोड़ा संतुलन रखा करें।

मैं सभा को बता दूं इसकी कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद संसद्-कार्य मंत्री मुझ से मिलने आये थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह नियमों का उल्लंघन नहीं होने देना चाहते पर कभी-कभी हड़बड़ी और कार्याधिक्य के कारण कुछ हो ही जाता है । मैं उनकी कठिनाइयां समझता हूं । कभी-कभी मुझे भी उनको नियमों की याद दिलानी पड़ती है । आशा है उसका लोग बुरा नहीं मानेंगे । लेकिन उनके सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित करते समय कुछ संतुलन तो रखना ही चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आपने कहा है कि कल के औचित्य प्रश्न के विनिर्णय के सम्बन्ध में आज फिर से प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन प्रथम लोक-सभा मे वित्त मंत्री ने महालेखापरीक्षक के बारे में कुछ कहा था। उसके बारे में एक महीने बाद औचित्य प्रश्न उठाने पर, उसे कार्यवाही से निकाल दिया गया था। अब आप एक दिन बाद भी औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस पर लागू नहीं होता।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : महालेखा परीक्षक संसद् द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। सभा में उसके सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिये जिससे उसकी प्रतिष्ठा किसी कदर भी कम हो।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : जब एक महीने बाद प्रश्न उठाया जा सकता है तो क्या एक दिन बाद नहीं उठाया जा सकता ?

†**श्री प्र० के० देव** : यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने उसकी बिना शुद्ध की हुई प्रति देखते ही यह प्रश्न उठाया है। इससे पहले मैं उठा भी नहीं सकता था। मुझे उसका अधिकार रहना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर किसी दूसरे अवसर पर चर्चा की जा सकती है अभी नहीं।

यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया हो, तो उसका उल्लेख करने से किसी भी माननीय सदस्य को नहीं रोका जा सकता। इंगलैंड की संसद् में भी यही प्रथा है। और यदि माननीय सदस्य उसका उल्लेख कर सकते हैं, तो फिर मंत्रियों को उसका उल्लेख करने से कैसे रोका जा सकता है ?

यदि इसकी और अधिक विशद विवेचना की आवश्यकता हो, मैं इसका अध्ययन करके अपना विनिर्णय दूंगा।

अब इस पर अधिक चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मंत्रियों के निवास स्थान संबंधी नियम

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६५ में प्रकाशित मंत्रियों के निवास-स्थान सम्बन्धी नियम, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १६४/६२]।

†मूल अंग्रेजी में

नकली रेशम के वस्त्र (उत्पादन और वितरण) संशोधन आदेश

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १९ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५०१ में प्रकाशित नकली रेशम के वस्त्र (उत्पादन और वितरण) संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० १६५/६२।]

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक टिकट संग्रहकर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका

†श्री दास (तिरुपति) : मैं डाक-टिकट संग्रह ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रहकर्त्ताओं के लिये टिकटों के फोल्डर जारी करने के सम्बन्ध में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक याचिका पेश करता हूं।

सभा का कार्य

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं ४ जून, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का क्रम घोषित करता हूं :—

(१) आज के आदेश पत्र के अवशिष्ट विषय पर विचार;

(२) श्रम और रोजगार, वाणिज्य और उद्योग और वित्त मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या लोक-सभा के वर्तमान सत्र के स्थगन के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है ?

†श्री सत्य नारायण सिंह : इस चालू सत्र को २२ जून, को स्थगित करने की सोच रहे हैं।

राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६२

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की पेन्शन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की पेन्शन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

अनुदानों की मांगें—जारी

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी ।

श्री च० का० भट्टाचार्य ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : श्री दी० चं० शर्मा ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले विस्थापितो के लिये की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में जो भी कहा था, उसमें मुझे एक बात और जोड़नी है । सरकार को श्री दी० चं० के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि व्यापक आधार पर ऐसे आदान-प्रदान का क्या परिणाम होगा ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले सभी शरणार्थियों को सीधे दण्डकारण्य भेज देना चाहिये ।

जो शरणार्थी ऋणों की अदायगी करने योग्य स्थिति में नहीं हैं, उनको रियायत दी जानी चाहिये । उसकी वसूली के लिये सख्ती नहीं की जानी चाहिये ।

दिल्ली में छोटी आय और साधनहीन व्यक्तियों के लिये आवास की व्यवस्था की जानी चाहिये । नयी-नयी बस्तियां इतनी दूर-दूर हैं कि एक बड़े पैमाने पर सस्ती सवारी गाड़ियों का प्रबन्ध अविलम्बनीय हो गया है ।

दिल्ली में पहले के बने हुए बंगले इतने बड़े-बड़े हैं कि उनकी जगह चार बंगले बन सकते हैं । लेकिन उन दिनों जगह की कोई तंगी नहीं थी ।

हमारा सरकारी प्रेस बिना अशुद्धियों के कोई प्रकाशन निकाल ही नहीं पाता । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

दिल्ली नगर ठेकेदारों का स्वर्ग है । माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये ।

कलकत्ता में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को निवास स्थानों और उनके किरायों के बारे में बड़ी कठिनाई पड़ती है । माननीय मंत्री को उनके कष्ट दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिये ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : श्री भट्टाचार्य और श्री गुह दोनों ने छोटी आय वाले व्यक्तियों के लिये आवास की व्यवस्था करने के सरकार द्वारा किये गये प्रयास को निराशाजनक बताया है । मैं इस से सहमत नहीं ।

द्वितीय योजना में भवन-निर्माण की विभिन्न योजनाओं के लिये ८४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से राज्यों ने ७१ करोड़ रुपये ले लिये थे । मतलब यह कि राज्यों ने ८५ प्रतिशत राशि ले ली थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम ने मध्यवित्त के व्यक्तियों के लिये भवन-निर्माण की योजनाओं की कार्यान्विति के लिये १७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। द्वितीय योजना में इस काल में दिल्ली की गन्दी बस्तियां हटाने के काम के लिये १.६ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ०.७८ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे। इसे बिल्कुल ही असंतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता।

मैं सभा को बताता हूं कि ३१ मार्च, १९६२ तक विभिन्न भवन-निर्माण योजनाओं की कुल कितनी प्रगति हुई है। भवन-निर्माण की विभिन्न योजनाओं के लिये ३१ मार्च, तक १३९.२६ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे और २,२२,५३७ मकानों का निर्माण हो चुका है, तथा १,४९,९०७ मकानों का निर्माण चल रहा है।

इस प्रकार यह मंत्रालय योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं की कार्यान्विति के लिये भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन कठिनाई यह है कि कार्यान्वित करना वास्तव में राज्यों के हाथ में है। इसलिये माननीय सदस्यों को इसके बारे में अपने-अपने राज्यों से पूछना चाहिये। उनको राज्यों पर जोर डालना चाहिये कि इस प्रयोजन के लिये व्यवस्थित राशियों का पूरा-पूरा उपयोग करें।

द्वितीय योजना के ग्रामीण भवन-निर्माण कार्यक्रम की भी आलोचना की गई है। उसके लिये योजना में पुनर्विचार के बाद ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। राज्यों ने उसमें से ३७७.४ लाख रुपये की सहायता ही ली है। अर्थात् ७५.५ प्रतिशत काम हुआ है। योजना का आरम्भ १९५७ में हुआ था, इसलिये इसे असंतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण भवन-निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गावों में सहकारिता की भावना पैदा हो। देश के ४४ करोड़ व्यक्तियों के लिये तो सरकार मकान खड़े नहीं कर सकती। तृतीय योजना का कुल व्यय ११,००० करोड़ रुपये हैं, और यदि सारे का सारा मकानों के निर्माण पर ही खर्च कर दिया जाये, तो भी मकानों की कमी पूरी नहीं की जा सकेगी। योजनापूर्ण अर्थ-व्यवस्था में हमें चीजों के लिये प्राथमिकतायें निश्चित कर लेनी पड़ती हैं। भवन-निर्माण के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है——इसको हमें समूची योजना के साथ रख कर देखना पड़ेगा। हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सभी लोगों के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी हैं। हमें अपने सुलभ साधनों के आधार पर ही, उनके ही बल पर आगे बढ़ना है। तृतीय योजना में कहा गया है किग्रामीण भवन-निर्माणकी समस्या इतनी विशाल है और उसमें कठिनाइयां इतनी हैं कि इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास की और बड़ी योजना की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये। गांवों में मकान बनाने की योजना सामुदायिक विकास का एक अंग माना जाना चाहिये। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों के लोगों में एक स्वस्थ वातावरण पैदा करना है।

तृतीय योजना का कार्यक्रम है कि देश के विभिन्न भागों के ५,००० गावों में मकानों का निर्माण किया जाये। देश में कुल ५,५८,००० गांव हैं। उद्देश्य यह है कि इस योजना को आसपास स्थित तीन-चार गांवों में आरम्भ किया जाये। इस प्रकार हमें गांवों के लोगों का सहयोग मिल सकता है, और गांवों में बेहतर सड़कों, अधिक सुविधाओं और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तब फिर दूसरे गांव उन तीन चार गांवों का अनुसरण करने लगेंगे। इस

योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिये इस योजना की सफलता की कसौटी यह नहीं है कि सरकार ने सभी गांवों में मकान बनवाये हैं या नहीं। इस योजना का उद्देश्य तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्य की सहायता करना ही है।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत भवन-निर्माण का कोई कार्यक्रम है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : मकानों के निर्माण के लिये नहीं, सड़कों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिये कार्यक्रम है।

वह एक पृथक मंत्रालय के अधीन है। इस ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक गांववाले को २,००० रुपये का ऋण दिया जा सकता है, या मकान बनाने की लागत का ६६²/₃ प्रतिशत मिल सकता है, इसमें से जो भी कम हो। शेष रकम उसे स्वयं जुटानी पड़ती है, सामग्री या श्रम के रूप में। इस प्रकार यह अपनी मदद-आप की योजना है। देश के हर व्यक्ति के लिये तो मकान खड़ा करना सरकार के लिये संभव नहीं है।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : २,००० रुपये का ऋण लेने के लिये कितनी ज़मानत देनी पड़ती है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की जा सकती है। माननीय सदस्य मेरा भाषण समाप्त हो चुकने पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी ने पूछा था कि इस ग्राम आवास योजना के लिये आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जाती। इसके लिये वह संभव नहीं है। औद्योगिक श्रमिकों के आवास की योजना के लिये तो आर्थिक सहायता दी जाती है। गांवों के लिये वह संभव नहीं है।

और, श्री नवल प्रभाकर का सुझाव है कि मकान बनाने की लागत बढ़ जाने के कारण इस ऋण की सीमा २,००० रुपये से बढ़ाकर ३,००० रुपये कर दी जाये। यदि आप ग्रामवासियों की औसत आय देखें तो १५० रुपये से कम ही बैठती है। ७२ प्रतिशत ग्रामवासियों की आय १५० रुपये प्रति माह से कम है। इसलिये वह ३,००० रुपये के ऋण की अदायगी आसानी से नहीं कर पायेगा। इसलिये इसी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं में छोटी आय वाले वर्गों के लिये आवास-योजना काफी सफल रही है। इसके अन्तर्गत ८,००० रुपये तक ऋण दिया जाता है, अर्थात् मकान की लागत का ८० प्रतिशत व्यय ऋण के रूप में दिया जाता है। श्री नवल प्रभाकर ने इसे १०,००० रुपये तक बढ़ाने का सुझाव रखा है। उनका कहना है कि मकान बनाने की सामग्री का मूल्य बढ़ जाने के कारण ८,००० रुपये में मकान नहीं बन पाता। असल में इस योजना का उद्देश्य जनता में बचत की भावना पैदा करना है। इसलिये इस राशि को बढ़ाना संभव नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इस योजना के लिये तृतीय योजना में केवल ३५ २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ? और लक्ष्य ७५,००० मकान खड़े करने का है। यदि हम ऋण की सीमा १०,००० रुपये तक बढ़ा दें, तो इतने मकान नहीं बन पायेंगे। और, ५०० रुपये या उससे कम आय वाला व्यक्ति १०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

का ऋण आसानी से नहीं चुका पायेगा। योजना का उद्देश्य ऐसे मकान बनाने का है, जिनकी लागत बहुत अधिक भी न हो।

श्री नवल प्रभाकर ने कहा है कि दिल्ली का विस्तार इतना अधिक हो रहा है कि दिल्ली के पास के गांवों को शहरी क्षेत्र मान लेना चाहिये। माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि यदि उनको शहरी क्षेत्र मान लिया जायेगा तो फिर सामुदायिक विकास योजना से वे लाभ नहीं उठा पायेंगे। पता नहीं वे क्षेत्र सामुदायिक से होने वाले लाभ को अधिक महत्व देंगे, या मकानों के लिये ऋण की अधिक राशि को। इस योजना के अन्तर्गत मार्च १९६२ के अन्त तक ४८ १२ करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिये जा चुके हैं। ९७,५६० मकानों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। ३१ दिसम्बर, १९६२ तक ६७,८३२ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

यह योजना अत्यन्त सफल रही है और राज्य सरकारें अधिक राशि की मांग कर रही हैं। इसके लिये हमने जीवन बीमा निगम से अतिरिक्त निधियां जुटाने के लिये कहा है।

हम इससे भी अच्छी एक दूसरी योजना पर विचार कर रहे हैं। चूंकि १५० या २०० रुपयों की आय वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिये हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी राशि का एक तिहाई भाग राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों या सहकारी समितियों द्वारा उन लोगों के लिये मकान बनाने पर व्यय किया जाये जिनकी आय १५० रुपये से कम है। आशा है यह योजना भी सफल रहेगी।

श्री भट्टाचार्य ने सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का उल्लेख करते हुये कहा था कि मकान तो तैयार कर दिये जाते हैं, पर सरकार उनके किराये इतने ऊंचे रखती है कि मजदूरों के लिये उतना देना आसान नहीं होता। एक तरह से उनकी आलोचना सही है, क्योंकि मकान निर्माण और उसकी सामग्री की लागत अत्यधिक बढ़ गई है। पिछले वर्ष सीमेंट पर अतिरक्त शुल्क लगाया गया था और इस वर्ष कुछ प्रकार की इस्पात की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। इससे लागत बढ़ जाती है। लेकिन राज्य सरकारें इन योजनाओं के लिये ५० प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दे रही हैं। मकान बनाने की लागत में दस प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। हमने भी इस वृद्धि के आधे भाग का भार वहन करने की घोषणा कर दी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस योजना के लिये सारी राशी केन्द्रीय सरकार ही दे रही है। हमने राज्य सरकारों को भी सलाह दी है कि वे कम से कम प्रारम्भिक काल में तो किरायों में कुछ सहूलियत अपने संसाधनों में से दें। उद्देश्य यह होना चाहिये कि लागत न बढ़े, और निर्माण के कम खर्चीले तरीके निकाले जायें।

श्री भट्टाचार्य की एक शिकायत यह भी है कि कलकत्ता के उद्योगपति अपने श्रमिकों के लिये पर्याप्त संख्या में मकानों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रश्न पर अर्से से विचार करते रहे हैं कि मालिकों पर इस योजना को अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करने के लिये जोर डाला जाये। इस प्रश्न पर योजना आयोग और अन्य ऐसे ही मंत्रालयों से परामर्श करना पड़ेगा।

श्री नवल प्रभाकर और श्री शिवचरण गुप्त ने दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना की धीमी प्रगति के बारे में असन्तोष प्रकट किया है। वह चाहते हैं कि मंत्री स्वयं समस्या की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। इसका संबंध दिल्ली के नगरपालिका निगम से है। निगम ने असल में यह काम ही देर से शुरू किया था। लेकिन अब वे बड़ी तत्परता से इसमें जुट गये हैं। आशा है कि इस मामले में तेजी से प्रगति होगी।

श्री शिवचरन गुप्त ने गन्दी बस्तियों के निवासियों के विस्थापन को कम से कम करने की दृष्टि से गन्दी बस्तियों के सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया था। हमने निर्णय कर लिया हैं

कि भविष्य में गन्दी बस्तियों के सुधार को भी उसी प्रकार की सहायता दी जायेगी, जैसी कि गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाओं को दी जाती है। अभी तक गन्दी बस्तियों के सुधार का काम केवल ऋणों के रूप में दी गई राशि की सहायता से ही होना चाहिये था। उसमें स्थानीय निकायों को बड़ी कठिनाई पड़ती थी।

गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्यक्रम की कार्यान्विति वास्तव में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आती है। श्री दी० चं० शर्मा ने बताया है कि पंजाब में गन्दी बस्तियों को हटाने के काम के लिये एक मंत्री अलग से है। यदि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें तो यह कार्यक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंजाब में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये अलग से कोई मंत्री नहीं हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** : मुझे पता नहीं। मैं तो श्री शर्मा की बात दोहरा रहा हूं।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : आवास के लिये अलग से एक मंत्री है।

†**श्री जगन्नाथ राव** : झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ योजना के संबंध में दिल्ली के दोनों माननीय सदस्य बोले हैं। उन्होंने योजना को तो पसन्द किया है, पर लगता है कि उनकी सहानुभूति अनधिकृत रूप से झुग्गी-झोंपड़ियां बनाने लेने वालों के प्रति है। यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि उनको सरकारी भूमि-सरकारीभू-गृहादि और सरकारी भूमि—— का ऐसा अनधिकृत उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। गन्दी बस्तियों में रहने वालों का मामला उनसे भिन्न है।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को वहां रहने का अधिकार था लेकिन भूमि विकास कार्य के अन्तर्गत उस भूमि को उनसे ले लिया गया अतः उनको अपने स्थान से हटना पड़ा। इसलिये अब उनको दूसरा स्थान मिलना चाहिये। लेकिन इस प्रकार से अनधिकृत रूप से कब्जा करना ठीक नहीं है। भूमि छोड़ने के लिये उनको काफी समय दिया गया, उनको नोटिस दिये गये। सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम के अधीन उनको सूचना दी गई, जांच पड़ताल की गई। और जब यह मालूम हो गया कि वे वहां रहने के अधिकारी नहीं हैं तो उनको बेदखल करने का आदेश दिया गया। अब उनको पूर्ण विकसित स्थान तथा २,००० रुपये का ऋण दिया गया है। अब यह उन तक सीमित है कि वे वहां जाये और अपने मकान आदि बनाये। लेकिन अनधिकृत रूप से वहां रहने वालों को वैकल्पिक स्थान देने की कोई जरूरत नहीं है।

आजाद भवन के पास अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान दिये गये थे किन्तु उन्होंने वह स्थान स्वीकार नहीं किया। गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये मंत्री महोदय बहुत ही सक्रिय हैं। अभी हाल में दिल्ली के मुख्य आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारयों से उन्होंने भेंट की थी और इस बारे में चर्चा भी की थी। साथ ही हर महीने भी इस बारे में विचार किया जायेगा। और ज़ो कठिनाइयां इस बारे में होंगी उन पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार राजधानी की गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये तेजी से कार्य किया जा रहा है। और इसे आगे बढ़ाने के लिये भी पूरे

†मूल अंग्रेजी में

पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों में भेजा गया है ताकि गन्दी बस्तियों को हटाने का कार्य तेजी से किया जा सके।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और भंगी आदि के लिये पृथक बस्तियां बनाने के सुझाव से सरकार सहमत नहीं है। और सरकार ने सदैव ही इसका विरोध किया है। राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे उन स्थानों की सफाई को प्राथमिकता दें जहां कि हरीजन व मेहतर लोग अधिक संख्या में रहते हैं। गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये ३७$^1/_2$ प्रतिशत सहायता तथा ३७$^1/_2$ प्रतिशत का ऋण केन्द्र द्वारा दिया गया है। जहां मेहतरों के लिये मकान बनाये जायेंगे वहां १२$^1/_2$ प्रतिशत की सहायता गृहमंत्रालय द्वारा दी जायेगी। कम आय वाले लोगों के लिये मकान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे स्थानीय निकायों, जिनमें भंगी और मेहतर भी सम्मिलत हैं, के लोगों के मकानों के लिये अपनी निर्धारित राशि में से ७$^1/_2$ प्रतिशत राशि अलग निर्धारित कर दें।

लन्दन तथा वाशिंगटन में की जाने वाली खरीद का प्रश्न भी उठाया गया है। केन्द्र, तथा राज्य सरकारों; सरकारी उपक्रमों, तथा अन्य अर्द्ध सरकारी संगठनों के लिये आवश्यक सामान (स्टोर) खरीदने के लिये मंत्रालय के अन्तर्गत एक केन्द्रीय क्रय संगठन है। संभरण तथा निवर्तन महानिदेशालय के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं की खरीद की जाती है। इनके अतिरिक्त लन्दन में इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट और वाशिंगटन में इंडियन सप्लाई मिशन है। ये सब संगठन सामान आदि खरीदने का कार्य करते हैं। इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट इंगलिस्तान तथा ऐसे स्थानों से खरीद करता है जहां कि वे चीजें नहीं मिलती हैं। इसी प्रकार इंडियन सप्लाई मिशन अमरीका —उत्तर तथा दक्षिण अमरीका से सभी प्रकार की खरीद करता है।

विदेशी विनिमय पर खर्च भी कम करने का प्रश्न उठाया गया था। वित्त मंत्रालय की विशेष पुनर्गठन इकाई ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं जिनको क्रियान्वित कर दिया गया है। मार्च १९६१ में भी विदेश मंत्री ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार की नीति तथा संभव भारत के टेंडरों के आधार पर खरीद करने की रही है। मंत्रालय के सचिव को समस्त खरीद कार्य भारत में ले आने की संभावना की जांच करने के लिये भेजा गया था। सरकार ने अधिकांश उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा उनको क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की गई है। उनकी सिफारिशों के अनुसार इंडिया स्टोर विभाग लन्दन में २५ राजपत्रित अधिकारियों तथा १३ अराज-पत्रित अधिकारियों की कमी की गई है। ऐसा करने से ५०,००० पाउंड प्रतिवर्ष की कमी हो जायेगी। साथ ही शिपिंग और फारवर्डिंग अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की जायेगी। ऐसा करने से ५०,००० पाउंड की प्रतिवर्ष और बचत हो जायेगी। सचिव ने सिफारिश यह भी की है कि इंडिया स्टोर्स विभाग जो खरीद लन्दन में करता है उसमें से कुछ खरीद भारत स्थित संभरण तथा निवर्हन विभाग करे। यह भी एक बहुत अच्छी सिफारिश हैं।

अमरीका स्थित भारतीय सप्लाई मिशन विशेषत: पी० एल० ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्न की खरीद करता है। सचिव ने यह सिफारिश की अमरीका स्थित यह मिशन खाद्यान्न की खरीद तो वहां से करे और अमरीका से ली जाने वाली मशीनों की खरीद भारत द्वारा की जाये। और इस खरीद की देखभाल संभरण तथा निर्वहन विभाग नई दिल्ली करेगा। इसके अलावा विशेष बात तो विदेशी विनिमय बचाने की है। सरकार की नीति हमेशा अपने देश से ही सामान खरीदने की रही है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। जब हमारे देश में कोई चीज नहीं मिलती तभी हम विदेशों से खरीदते हैं। संभरण तथा निवर्हन विभाग भी इस दिशा में हमारी सहायता कर रहा है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिये भी प्रोत्साहन दिया जाता हैं। संभरण तथा निवर्हन महानिदेशालय

द्वारा दिये गये प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप अब अनेक चीजों का उत्पादन देश में किया जा रहा हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा हैं कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति अपने देश में ही हो जाये। इसलिये मंत्रालय तथा महानिदेशालय यह प्रयत्न कर रहेहैं सभी चीज अपने देश में ही उपलब्ध होने लगे तथा इनका उत्पादन करने वाले उद्योगों को पूरा पूरा प्रोत्साहन मिले। तथा विदेशों से की जाने वाली खरीद भी कम से कम की जाये।

बाहर से जो चीज खरीदी जाती हैं उनका निरीक्षण करने के लिये निरीक्षक भेजे जाते हैं। यह डर प्रकट किया गया है कि कहीं ये लोग निरीक्षण के काम में कुछ गड़बड़ न कर दे। इसलिये इनके निरीक्षण की देरभाल की जानी चाहिये। इनके काम की देखभाल उपनिदेशकों द्वारा की जाती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता हैं कि यह निरीक्षण ठीक ढंग से हो अतः समय पर निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि भी की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं कि उचित निरीक्षण के प्रभाव में खराब किस्म की चीजें न खरीदी जाय। निर्माण की उत्तमता के सम्बन्ध में शिकायत का कोई कारण नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि विदेशों से जो सामान आता हैं। उसके ढोने का काम भारतीय नौवहन को मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय नौवहन को काफी काम मिलता हैं। अमरीका से जो सामान खरीदा जाता हैं उसके ढोने का काम भी नौवहन को दिया जाता हैं। इस प्रकार हमारी नीति यह है कि भारतीय नौवहन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये।

जिन चीजों का सारे भारत में महत्व होता है उनका निवर्हन टेंडरों से किया जाता हैं। और इन टेंडरों का विज्ञापन अंग्रेजी तथा सभी भारतीय भाषा के समाचारपत्रों में किया जाता हैं। ऐसी वस्तुओं की बिक्री नीलामी के द्वारा की जाती है जिनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। ऐसी स्थिति में जहां कि नीलामी का मूल्य ५ लाख रुपये से अधिक होता हैं उसकी देखभाल महानिदेशालय के एक पदाधिकारी द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार निपटान के मामले में भी पूरी पूरी देखभाल की जाती हैं। यदि किन्हीं खास मामलों के बारे मे कोई शिकायत हो तो उसकी जांच की जा सकती है।

मकान बनाने के सामान के बढ़ते हुए मूल्य का उल्लेख किया गया है। इसलिये मकान बनाना कठिन हो गया हैं। मकान बनाने एवं उनका लागत मूल्य कम करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये मंत्रालय में एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन है। इस ल्संगठन के द्वारा मकान बनाने के सस्ते तरीकों की जो खोज की गई हैं उनका व्यापक प्रचार करने का प्रबन्ध किया गया हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्थानीय समाचार पत्रों में उन तरीकों को प्रकाशित कर दें ताकि जन साधारण तक पहुंच सकें। लोक निर्माण विभाग भी इन तरीकों को सरकारी भवन बनाते समय पूरी पूरी तरह अपनाता हैं। दिल्ली की हाउसिंग फैक्टरी भी सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है।

अशोक होटल के बारे में भी कहा गया हैं कि वहां आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की संख्या अधिक नहीं हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों का रखा जाना आवश्यक हैं। होटल की आय और मजरी का अनुपात सर्वथा ठीक हैं। गत वर्ष उसमें ३१ लाख रुपये के लाभ का अनुमान है। जहां तक होटल की कार्यकुशलता की बात हैं वह बहुत अच्छा काम कर रहा हैं। कुल मिलाकर यह होटल बहुत अच्छा कार्य कर रहा हैं। इस होटल में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता हैं। साथ ही प्रबन्ध और कर्मचारियों के सम्बन्ध भी बहुत अच्छे हैं।

श्री का० रा० गुप्त (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर कि लाखों आदमियों की अदला बदली हुई थी। इससे पहले कि मैं निर्माण, आवास और सम्भरण विभाग पर बोलूं मैं पुनर्वास के बारे में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

जो संक्षिप्त सा परिचय यहां दिया गया हैं, उसके १३वें पृष्ठ पर लिखा हैं कि सन् १६४८ से पहले आये हुए मेवों को जो ज़मीन दी गई हैं वे करीब सात करोड़ रुपये की दी गई हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह बात अधिकांश में गलत है। ये वे मेव हैं, कम से कम अलवर और भरतपुर के, कि जो पाकिस्तान नहीं गये, जिनको बापू ने आश्वासन देकर यहां रखा था और उनको बसाने के लिये बापू की आत्मा आज भी, मैं समझता हूं, देख रही है और देख रही है यह भी कि कितनों को बसाया गया है और कितनी तकलीफ में वे हैं। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के सामने यह स्पष्ट रखना चाहता हूं कि आज भी अलवर में करीब चार हज़ार एकड़ जमीन उनको नहीं मिली है और भरतपुर में शायद दुगुनी और ढाई गुनी नहीं मिली है। वे इसी देश के निवासी हैं, इसी देश में रह रहे हैं और उनको ज़मीन नहीं मिली हैं। क्यों ज़मीन उनको नहीं मिली हैं, इसके अनेक कारण हैं।

प्रारम्भ से ही बापू के निधन के पश्चात् पहले तो सरकार के अफसरों में दो तरह की विचार-धारा चली। एक वे लोग थे जो इनको बाहर निकाल देना चाहते थे और दूसरे वे लोग थे जो कि उनको रखना चाहते थे और इस कशमकश में वे एक साल तक गुड़गांव में पड़े रहे। उनकी जनगणना हुई और जनगणना होने के पश्चात् यह निर्णय हुआ कि इनको बसाया जाये। किन्त इसी दौरान में बहुत से ऐसे अफसर पहुंचे जिन्होंने जहां पर इनको बसाया जाना था, उन जमीनों पर पुरुषार्थियों को भेज दिया। इससे समस्या जटिल बन गई। फिर भी बहुत बड़ी तादाद में उनको ज़मीनें मिल गईं। किन्तु अलवर ज़िले के गोविन्दगढ़ और रामगढ़, इलाके में और नगर पहाड़ी, डीग ज़िला भरतपुर वगैरह में जहां पर कि ज़मीनें हैं, वे आज तक उनको नहीं मिली हैं। इनमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास बीस बीघा जमीन थी लेकिन उनको दो बीघा जमीन भी नहीं मिली और कई तो ऐसे हैं जिनको कतई नहीं मिली है, किसी को चौथाई मिली है और किसी को तिहाई मिली है। इस तरह के लोगों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। वे बस नहीं सके हैं इसका एक कारण यह भी था कि वे लोग अपनी जमीन वापस चाहते थे और चाहते थे कि उनको उनकी ज़मीन ही मिलें। इसमे कठिनाई यह पैदा हो गई कि वहां पर बहुत से शरणार्थी भाइयों को बसा दिया गया था। इसलिये उनको आल्टरनेटिव ज़मीनें देने की बात हुई। दूसरी जगह पर जब ज़मीनें देने की बारी आई तो वहां पर कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो गये। कुछ लोगों ने पट्टेदारों के नाम पर, और कुछ डिस्प्लेस्ड परसंज जो कि हाज़िर नहीं रहते थे, उनके नाम पर कांग्रेस के भीतर अड्डे बना लिये और इस तरह से मेव लोगों को उनकी जमीनों से किसी न किसी तरह से महरूम रखा गया। ये जो अड्डे उन्होंने बनाये और किस तरह से उनको महरूम रखा गया, इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। जिस समय जनरल भोंसले डिप्टी मिनिस्टर थे तो उस समय वह वहां पर समय समय पर जाते थे इस समस्या को हल करने के लिये। लेकिन आज तो ऐसा मालूम होता हैं कि सब ने एका करके यह बता दिया हैं कि यह समस्या तो कोई समस्या ही नहीं है। राजस्थान सरकार इसके प्रति उदासीन है, वहां की कांग्रेस पार्टी तथा दूसरे दल इसके प्रति उदासीन हैं। इसमें भी राजनीति चलती हैं। वे सोचते हैं कि ये तो थोड़े से लोग हैं, हमारे क्या काम आयेंगे, इसलिये हमको दूसरे लोगों की तरफ देखना चाहिये। ये पट्टेदार कहां जायेंगे। छोटे छोटे दावेदारों को जमीनें दिलवा दी गई हैं और वे कांग्रेस के नेताओं ने दिलवाई हैं। उसमें उनकी साझी हुई। उन्होंने उनकी कुछ ज़मीनें हड़प लीं। यह समस्या बहुत गम्भीर है। मैं निवेदन करूंगा कि किसी अफसर को आप भेजें और जो सम्बन्धित लोग हैं, उनसे पूरी जांच करवायें और इस समस्या का आखिरी हल किसी न किसी तरह से निकालें। यह केवल चार या छः हजार

[श्री का० रा० गुप्त]

एकड़ देने का प्रश्न नहीं हैं, यह एक बुनियादी उसूल का सवाल है कि जो लोग भारतवासी हैं, जो भारत से गये नहीं, जो वफादारी के साथ यहां रह रहे हैं, और जिनको बापू ने आश्वासन दिया था, उनके दिये हुए आश्वासन को पूरा करना क्या हमारा फर्ज नहीं है ? इसलिये दोनों ही दृष्टियों से, उनकी आर्थिक दृष्टि से और अपने उसूलों की रक्षा की दृष्टि से इस समस्या को अविलम्ब हल करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैंने देखी वह यह कि जो पुरुषार्थी लोग वहां बसे हुए हैं उनकी ज़मीनों के बारे में भी संघर्ष मालूम पड़ रहा है। राजस्थान सरकार के दृष्टिकोण और भारत सरकार के दृष्टिकोण के बीच में भेद रहा है। वहां पर जो लोग बसे हैं वे लोग अपने आर्थिक स्थिति के कारण जो भूमि सुधार वहां हो रहे हैं, उसके अनुसार उन जमीनों की कीमत नहीं दे सकते जो आप मांग रहे हैं। आखीर में २५ मई, १९६१ के दिन वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई। उसमे सम्बन्धित लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उनके रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। उसमें यह निश्चय हुआ कि भारत सरकार केवल १ करोड़ रुपया उसका लेगी और उससे उनको राहत मिल जायेगी। लेकिन इस समेरी में इस तरह की बात का जिक्र नहीं हैं। इसके विपरीत वहां पर जो जिक्र है वह यह है कि जो पट्टेदार वहां पर बसे हुए हैं उनसे यह कीमत वसूली जायेगी जो कि साढ़े चार सौ रुपये प्रति स्टैन्डर्ड एकड़ के हिसाब से पुरुषार्थियों से ली गई हैं। क्या इसका मतलब यह लगाया जाय कि जो कुछ तय हुआ है वह सब गलत हो गया है ? वहां के पुरुषार्थी लोग इस तरह की कीमत देने के लिये तैयार हों यह संभव नहीं हो सकता। वहां पर इसके लिये जन आन्दोलन हुए हैं, लोग जेल गये हैं, पिटे हैं। इसलिय मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय को मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह से देखें।

जहां तक पट्टेदारों का प्रश्न है, उन की भी स्थिति वही है। वहां भूमि सुधार होने के बाद उन से वही कीमत लेना जायज नहीं है। उन का बाकायदा आन्दोलन चल रहा है। अफसोस यह है कि वहां की स्थिति को न समझने के कारण और जो देरी लगती है उस के कारण समस्यायें उठती हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं और लोग परेशान होते हैं। सीधी सी बात है कि जो जमीनों की कीमत पुरुषार्थियों से ली जाय वही उन से ली जाय। एक प्रश्न उठता है कि जो यह पूल है यदि उस में कमी पड़े तो वह कौन दे। यह बड़ी बड़ी समस्यायें हैं। भूमि सुधार वहां किये गये, उस के असर का फल वहां के किसानों को न मिले, इस कारण से कि पूल में रुपया देना है, मैं समझता हूं कि यह कोई वाजिब बात नहीं है। दोनों सरकारों को अपने बीच में इस को तय करना चाहिये।

इसलिये वहां की जो ज़मीनों की समस्या है वह दोनों तरह से उलझी हुई है। मेवों को वह मिल नहीं रही है और पुरुषार्थी जो हैं उन की पूरी कीमत का झगड़ा तय नहीं हो रहा है। अगर हुआ है, तो अमल में नहीं लाया जा रहा है। पट्टेदारों का झगड़ा मौजूद है। बीच बीच में जो खुदगर्ज दावेदार हैं वे उन की ज़मीनों को हड़प कर गये हैं। मेवों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि वहां एक मेवों का बोर्डिंग हाउस था। उस में सन् १९४७ में पुरुषार्थी बसाये गये। लेकिन उस के बाद बावजूद बहुत कहने के, हालांकि सरकार का फर्ज है कि उन को अलाहदा ज़मीन दे, कर्जा दे, मकान बनाये, उन पुरुषार्थियों को न जमीनें दी गईं, न कर्जे दिये गये और न मकान बनाये गये। और एक संघर्ष चल रहा है। मेव कहते हैं कि उसे खाली करो। खाली कराने के लिये जो लोग नाजायज़ तौर से बैठे हुए हैं उन को उठाया जाय तो झगड़ा पैदा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सीधी सरकार की ज़िम्मेदारी है, भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को ठीक करे। अगर राजस्थान सरकार गड़बड़ी करती है तो उसे ठीक करने का फर्ज भी भारत सरकार का है।

इसलिये जो समस्यायें हैं उनकी जिम्मेदारी सब भारत सरकार पर आती है और उस को हल करना चाहिये। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मौलाना हिफजुर रहमान यहां हमारे बीच में नहीं हैं। वे वहां की समस्याओं को जानते थे। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि जो मेवों के नुमाइन्दे हैं उनकी पहुंच यहां नहीं है। इसलिये इन सब बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हो सकता है कि दो चार महीने लग जायें, लेकिन इस का अन्तिम फैसला हो जाना चाहिये। अगर १४ वर्ष बाद भी फैसला न होगा तो कब होगा ?

अब मैं आवास के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे विचार और लोगों से भिन्न हैं। मैं समझता हूं कि यह जो कम आय वाले मकानों की योजना बनाई गई है और मध्य वर्ग वालों के मकानों की योजना बनाई गई, उस का रहस्य और ही है। जब हम अमल में देखते हैं, कम आय वाले जिस वर्ग को रुपया देना था उस को देखते हैं तो मालूम होता है कि वह नेता लोग जो कमा नहीं सकते थे, जो आज ताकत में आ कर बैठ गये थे, उन को फिक्र पड़ी सब से पहले रुपया लेने की। आप इस की एन्क्वायरी कर लीजिये, इस की जांच करवायें, यह कोई छिपी हुई चीज नहीं है, कि पहली किस्त का रुपया कहां गया, किन लोगों के पास गया। आप को मालूम होगा कि सब से पहले, राजस्थान की कई जगहों के बारे में मैं कह सकता हूं, नेताओं ने यह किया। और इतना ही नहीं किया, बड़े शर्मनाक तरीके से किया। ८,००० रु० जिस को मिला उस ने १०,००० रु० का मकान बनवाया। अभी हमारे उपमंत्री जी कह रहे थे कि उस की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। वहां एक नया तरीका खोज निकाला गया। कुछ असरदार लोगों से रुपया ले लिया गया और १०,००० रु० के बजाय २५,००० रु० का मकान बनवाया गया और आधे से ज्यादा मकान को किराये पर दे दिया गया। इसलिये कि वे हमेशा के लिये सेफ हो जायें क्योंकि पता नहीं अगले चुनाव में आ पायें या न आ पायें। इस तरह से वे मकान की किस्त भी देते रहेंगे और कुछ घर की इनकम भी होगी। यानी मंशा यह है कि उस को एक्स्प्लायट करने का अड्डा बना लें। इस तरह की मिसालें एक दो नहीं, दस बीस नहीं, सैकड़ों मिल जायेंगी। यही नहीं, यहां तक मिसालें मिल जायेंगी कि एक आदमी अलवर का रहने वाला है, जिसके पास मकान है, वह जयपुर में जा कर मकान बनवाता है। वहां लोन लेता है और उस से मकान बनवा कर किराये पर उठा देता है। अगर आप इस बात की जांच सारे देश में करें तो आप को मालूम पड़ेगा कि जो ४२ करोड़ रु० खर्च हुआ है वह इस तरह से खर्च हुआ है। नेता और उन के साथी जो हर चीज में राजनीति को घुसा लाते हैं, उन का दृष्टिकोण यह है कि किस तरह से वोट पकाये जायें, किस तरह से दूसरों को दबाया जाय, ताकि वे उन के साथ रहें। इसी दृष्टि से सारे काम होते हैं और फिर उस में साझा करना पड़ता है दूसरे लोगों का। सरकारी कर्मचारियों का भी साझा करना पड़ता है। वह सरकारी कर्मचारी जो उस जगह नहीं रहते, दूसरी जगहों पर ट्रांसफर हो जाते हैं, मकान बनाते हैं और किराये पर उठाते हैं और कहते हैं कि इस में बुराई क्या है। हमारे यहां एक कहावत हो गई है जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि :

"मकान नाम की लूट है, लूटी जाय तो लूट,
फिर पछताये होत क्या, जब अवसर जाये छूट।"

इस तरह से लोग कहते हैं कि अगर मौका हो तो फायदा उठाओ। इस लिये मैं निवेदन करूं कि यह जो रुपया आप देते हैं उस के बारे में किस को प्राथमिकता दी जाय, यह आप राज्य सरकारों के ऊपर न छोड़ें। अब तक जो हो गया सो हो गया। भविष्य के लिये देखिये कि उस का उचित उपयोग होता है या नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर उचित उपयोग नहीं होता है तो उस को गरीबों की तरफ डाइरेक्ट कीजिये।

[श्री का० रा० गुप्त]

मध्यम वर्ग की कहानी और भी अजीब है। आप की समेरी में लिखा है :

"दि स्कीम हैज बिकम वैरी पापुलर"

स्कीम बहुत पापुलर हो गई। कैसे हो गई, आम जनता का उस से ताल्लुक नहीं। १,२५० रु० महीने में पानेवाले बहुत थोड़े से लोग हैं तो यह स्कीम पापुलर किन में हो गई। उनमें स्वयम् में हो गई होगी। और यह स्कीम भी मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से अपनाई गई। प्रदेश गवर्नमेंटों के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने सोचा कि भाई ५०० रु० महीने से ज्यादा इनकम है तो वे मकान कैसे बनायेंगे। इसलिये उन्होंने पहले १,००० रु० की बात सोची, और जब १,००० रु० से ज्यादा इनकम होने लगी तो उन्होंने १,२५० रु० मासिक कर दिया, यानी १५,००० रु० साल कर दिया। आज यह दशा वहां पर है और वह लोग किस तरह के हैं जो इस से फायदा उठाते हैं ? समाजवाद का क्या यह अर्थ है कि हम उन तबकों को आगे बढ़ायें जो तबके गरीबों से सम्बन्ध नहीं रखते हैं ? गरीबी को दूर करने में कोई मदद नहीं करते हैं ? मेरा तो यह निवेदन है कि स्लम क्लिअरेंस स्कीम भी अगर आप ईमानदारी से अमल में लाना चाहते हैं तो वह तभी अमल में आयेगी जब आप उन की पेइंग कैपेसिटी देखेंगे। मैं कह सकता हूं कि १००, १२५ और १५० रु० पाने वाला आदमी दिल्ली में बड़ी मुश्किल से रूखी रोटी खा कर गुजारा कर सकता है। उसके पास कुछ बच नहीं सकता। तब फिर ऋण ले कर उसे वापस देने के लिये उस के पास सेविंग कहां से होगी, कहां से उस की बचत होगी। लेकिन इस की तरफ कौन देखता है। अगर सीधा हिसाब रखना है तो उस को मकान बना कर दीजिये। जो उस की कैपेसिटी है उस के अनुसार उस को दो कमरों का मकान बना कर दीजिये और उस से उस मकान का उतना किराया लें कि जो आज ८ और ६ परसेन्ट सूद के हिसाब के बजाय $2\frac{1}{2}$ या ३ परसेन्ट के हिसाब से आ जाय। अगर ऐसा हो तो वह दे भी सकता है। जिस आदमी को १२५ या १५० रु० महीना मिलता है या २० और २५ रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से जिस की आय है वह ८ या १० रु० से अधिक महीना किराया नहीं दे सकता।

वह इस से ज्यादा सेविंग कैसे कर सकता है। अगर आप ऋण देने की बात कहेंगे तो वह सोचेगा कि ऋण ले लो फिर देखा जायेगा। इस से क्या फायदा लोगों का होगा ? इन्फ्लेशन हो गया है, कीमतें बढ़ने के साथ पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन अगर इन्फ्लेशन घट गया तो उन का क्या हाल होगा ? तो इस तरह से आपकी सीक्योरिटी भी खतरे में पड़ जायगी। इसलिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में कम से कम स्लम क्लियरेंस की स्कीम का आधार उचित होना चाहिए। पुरानी दिल्ली तो सारी की सारी स्लम बनी हुई है। इसलिए यह योजना भी अलग आधार पर होना चाहिए, इसका आधार व्यावहारिक होना चाहिए। यह जो रुपया बरबाद किया जा रहा है उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि हम को रुपया नहीं मिलता क्योंकि हमारी पहुंच नहीं है। जिसकी पहुंच होती है उसको रुपया मिलता है। यह लोगों का दृष्टिकोण बन गया है। जहां मांग ज्यादा होती है और हम कम दे सकते हैं वहां भ्रष्टाचार बढ़ने का मौका होता है। चूंकि आपकी इस योजना से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए इसका आधार गलत मालूम पड़ता है। इसलिए जो हमारी आवास योजनाएं हैं उनकी सफलता को इससे नहीं आंका जाना चाहिए कि (कागज पर) लिखा गया कि कितने मकान बन गये, बल्कि यह देखना चाहिए कि उनके बनाने में लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, उनकी क्या भावनाएं बनीं और क्या दृष्टिकोण बना, उनका कैरेक्टर गिरा या बना यह देखने की बात है।

आप आश्चर्य करेंगे कि एक दफा क्या हुआ, कि जो रकम मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए थी उसको कुछ ऐसे सेठों को दिया गया जो लाखों का व्यापार करते हैं। उनको वह रुपया मकान

बनाने के लिए दे दिया गया । बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी लाखों का व्यापार करते हैं, उनको १५ या २० हजार रुपया क्यों दिया गया। अगर इन सब बातों के अन्दर घुसेंगे तो मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन को वास्तविकता का पता लगेगा । मैं निवेदन करूंगा कि वह जांच करायें कि पिछले ५ वर्षों में जो रुपया दिया गया है मकानों के बारे में किसी भी योजना के अन्तर्गत उसका वास्तविक उपयोग हुआ या नहीं । मैं चाहता हूं कि वह इस सारी जांच को करवा कर हाउस के सामने रखें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आप जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार योजना चल रही है । अन्यथा कागज पर तो रिपोर्ट बहुत अच्छी बना दी जायेगी कि इतने मकान बन गये और इतना रुपया लग गया ।

अभी उप मंत्री महोदय कह रहे थे कि यह काम राज्य सरकारों का है और राज्य सरकारें इसको कर रही हैं इसमें क्या कठिनाई है । अगर राज्य सरकारें करती हैं तो फिर राज्य सरका अपना फाइनेंस भी पैदा करें, आप क्यों उनको फाइनेंस देते हैं जब कि आपका कोई कन्ट्रोल राज्य सरकारों पर नहीं है और वे मन माने ढंग से काम कर सकती हैं । जब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते तो आप इस काम के लिये बजट क्यों बनाते हैं । राज्य सरकारें इसके लिये अपना बजट बनायें और इसके लिये रेवेन्यू पैदा करें और खर्च करें । लेकिन होता क्या है? जहां कोई खराबी हुई तो उसको राज्य सरकार पर डाल दिया जाता है और जहां कामयाबी हुई वहां उसके लिये आप श्रेय ले लेते हैं । यह नीति कारगर नहीं होगी । आपको यह नीति बदलनी होगी । आप समाजवाद की लम्बी चौड़ी बातें करते हैं लेकिन अमल उससे उलटा करते हैं । लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिये जो रुपया लगेगा वह एल० आई सी० का होगा । यह रुपया आता है गरीबों से, वह लगाया जा रहा है उन लोगों के लिये जिनकी आमदनी १५ हजार रुपया साल तक होती है । आजकल ज्यादातर पालिसियां छोटे लोगों की बनती हैं उनका यह रुपया है । बड़े लोगों की पालिसियों का इससे सम्बन्ध नहीं है । हमारा ढांचा कहने को समाजवाद का है लेकिन अमल ऐसा होता है कि जिससे निहित स्वार्थ पैदा होते जाते हैं । यह रुपया सरकारी लोगों और इस प्रकार के लोगों के लिये काम में आता है जिनकी आमदनी ज्यादा है । इस प्रकार आप अपनी योजना से निहित स्वार्थ पैदा करते हैं । गरीब से लेकर बड़ों की तरक्की के लिये रुपया काम में लाया जाता है । तो मेरा निवेदन है कि इस बुराई को दूर करने के लिये इस कायदे को बदलिये और इस ढंग से काम कीजिये कि भ्रष्टाचार न फैले ।

आप बड़े शहरों के लिये पांच या दस खर्ब की योजना बना लें और अमल में लावें । और यह भी देखें कि कितनी आबादी बढ़ गयी है और कितने लोगों के लिये योजना बनानी है ।

जहां तक ग्राम योजना का सवाल है मैं अर्ज करूं कि उसकी वजह से गांवों में लोगों में झगड़े हो रहे हैं । एक कहता है कि मैं पहले पहुंचूंगा तो मुझे रुपया मिलेगा, दूसरा कहता है कि मैं पहले पहुंचूंगा और वहां पर इसके लिये सौदे होते हैं । यह ठीक है कि यह योजना कार्यान्वित की गयी है । गांवों में आप रुपया देते हैं, गांव वाला उससे मकान बनाता है । लेकिन वहां पर कोई मारकेट वैल्यू नहीं है कि वह उसे बेच लेगा । तो उसके साथ बहुत सारी समस्यायें जुड़ी हुई हैं । इसलिये यह योजना कारगर नहीं हुई है । कहने को आप कहें, लेकिन अमल में कारगर नहीं हुई है । अगर इसको कारगर बनाना है तो इसका यह तरीका है कि गांव का गांव माडल गांव बनाइये और दूसरों को दिखाइये । इस प्रकार सम्भव है कि काम हो सकता है । अन्यथा स्थिति यह है कि ग्राम योजना के हर पहलू में बहुत खराबियां और कमियां हैं और उनको जब तक दूर नहीं करेंगे यह योजना सफल नहीं हो सकेगी । तो मेरा निवेदन है कि योजना के आधार को बदलना चाहिये ।

[श्री का० रा० गप्त]

एक बात मैं ईस्ट पाकिस्तान के बारे में कहूंगा। दंडकारण्य योजना बनी है। उसके बारे में लिखा है कि वहां शरणार्थी नहीं पहुंच रहे हैं और अब शरणार्थी पहुंचेंगे। उधर ईस्ट पाकिस्तान में फिर लोगों पर दबाव पड़ रहा है। यह समस्या दो देशों के बीच की समस्या है और इसको हल करने के लिये भारत सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा। इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये नहीं तो समस्या खराब होती जायेगी। कुछ भाइयों ने कहा कि पाकिस्तान बार बार ऐसा करता है। यह तो उसी दिन मालूम हो गया था जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बना ही इस आधार पर था। उनका यही तरीका है। उनकी यह योजना बीस या तीस साल की है और उसके अनुसार वह काम कर रहे हैं। हमको उनका मुकाबिला करना है और जो हमारे भाई वहां हैं उनकी तकलीफ को कम करने की हमको पूरी कोशिश करनी चाहिये और जहां जो यहां आवें उनको लेना चाहिये। तो इस में बहुत काम करना है। मेरा निवेदन है कि यह जो समस्या है वह अकेले इस विभाग की समस्या नहीं है, यह सारे देश की समस्या है। और इसी तरह इसको देखना चाहये।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि दिल्ली में आपने बड़े बड़े दफ्तर बनाये हैं और अशोका होटल बनाया है जिसके बारे में आपका अनुमान है कि ३२ लाख का मुनाफा होगा। लेकिन आप देखें कि किस वर्ग के लोग इसमें आकर ठहरते हैं और आम जनता का इसके बारे में क्या विचार है। उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। उधर आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि जनता चाहती है कि इन चीजों में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

चौधरी यु० सि० (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शीशा सामने है इसकी वजह है इधर बठने वालों के सिर में दर्द होने लगता है। इस पर काला परदा पड़ा रहना चाहिये। इसके बारे में मैं दो बार कह भी चुका हूं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस पर परदा पड़ा रहना चाहिये ताकि इससे हम लोगों को तकलीफ न हो।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : एक प्वाइंट आफ आर्डर है हिन्दुस्तान के कोने कोने से हजारों आदमी पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने के लिये आ रहे हैं। उनकी कुछ मांग है, उसको पार्लियामेंट के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन वह बिड़ला हाउस के अहाते के अन्दर गांधी जी के हत्या स्थान पर माला चढ़ा कर पार्लियामेंट हाउस आना चाहते हैं। पर उनको पुलिस ने रोक लिया है। इस लिये मेरा. . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री भू० ना० मंडल : पार्लियामेंट के सामने वह अपनी फरियाद करने के लिये आ रहे हैं। पार्लियामेंट को पिटीशन दी जा सकती है। गवर्नमेंट को कहा जाये . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये।

श्री त्यागी (देहरादून) : चेयर का हुक्म तो मानिये।

श्री भू० ना० मंडल : मैं प्रोटेस्ट में सदन से बाहर जाता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी (हिसार) : हम भी चलते हैं।

[श्री भू० ना० मंडल तथा श्री बागड़ी और श्री कृष्ण पटनायक इस के बाद सभा से चले गये]

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई मिनिस्टर को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी रूप-रेखा सदन के सामने प्रस्तुत की है, जिस को देखने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि पिछले वर्षों में एक अच्छा खासा काम हुआ है।

जहां तक हमारे उन भाइयों का सम्बन्ध है, जो कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से आये, उनकी संख्या को देख कर यह पता लगता है कि संसार के किसी भी देश में ऐसी घटना नहीं हुई कि करीब नव्वे लाख की एक बड़ी भारी आबादी एक देश से दूसरे देश में आई हो। संसार के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसा हुआ जैसे धान के पौधे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाये गये हों। बाद में धीरे धीरे हमारी सरकार ने, इस मिनिस्ट्री ने नव्वे लाख की उस आबादी को रीहैबिलिटेट किया। उस ने लोगों को कैम्प्स में रखा, सब प्रकार से उन को सहायता दी, इस बात की कोशिश की कि जो लोग अपने देश में आयें, उन को इकानोमिक पोटेंशिएलिटी दी जाये, उन को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाया जाये, उन को बसाया जाये और उन को यह न अनुभव होने दिया जाये कि वे किसी दूसरे देश से आये हैं। इस में कोई संदेह नहीं कि नव्वे लाख की आबादी को अवास देना, लोन देना, नौकरियां देना, उन के लिये व्यापार की स्थिति पैदा करना और इस प्रकार उन को बसाना एक बहुत बड़ा काम था, जो कि हमारी सरकार ने किया। इसके लिये हम उसे हृदय से बधाई देते हैं।

सरकार ने सैकेंड फाइव-यीयर प्लान में हाउसिंग प्राबलम को एक व्यवस्थित रूप में हल करने का विचार किया और इस प्रकार उस ने १९५२ में हाउसिंग सम्बन्धी योजनाओं को एक व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करने की स्थिति पैदा की। इस से पहले कहीं पर भी इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता कि प्लान्ड इकानोमी के अन्तर्गत हाउसिंग के लिये कोई व्यवस्था की गई हो, जिस में तमाम प्रदेशों से हम ने कहा हो कि स्टेटुटरी हाउसिंग बोर्ड्ज़ बनाये जायें और उनके लिये हम ने मनी ईयर-मार्क किया हो। १९५२ में यह प्राविजन रखा गया और तब से १९६१ तक ४८.८७ करोड़ रुपये की फिनान्शल एड दी गई और १,१३,२२३ हाउसिज़ बनाये गये।

जब हम हाउसिंग की समस्या को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन उस के लिए पर्याप्त फिनान्सिज नहीं हैं। लेकिन हर एक योजना के बारे में पहले सोचने की आवश्यकता होती है। सरकार ने इस पर पूरी तरह से विचार कर के इस योजना को विधिवत साकार रूप देने की कोशिश की है। जहां तक सम्भव हो सका है, उस ने अपने फिनान्शल रिसोर्सिज़ को टेप करने की कोशिश की है। लेकिन जहां सरकार हाउसिंग स्कीम कोइन्ट्रोड्यूस करना चाहती है, जहां वह यह चाहती है कि हर एक नगर में हाउसिंग बढ़े और लोगों को व्यवस्थित मकान और टेनेमेंट मिले, जहां वह यह भी चाहती है कि देहातों में भी घरों की स्थिति ठीक हो, वहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान स्लम-क्लीयरेंस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

इन सौ, डेढ़ सौ वर्षों में हमारे जिन शहरों में उद्योग बढ़े हैं और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट हुआ है, वे शहर ठीक प्लानिंग और मास्टर प्लान न होने की वजह से हैपहैज़र्ड स्थिति में बढ़े हैं और उसका नतीजा यह है कि चूंकि वहां पहले कोई प्लान नहीं था, कोई मास्टर प्लान नहीं था, इस लिये जिस ने जहां जगह पाई, वहां इंडस्ट्री एस्टाब्लिश की और उसके आस पास वहां के मजदूरों के रहने की जगह बन गई। चूंकि मुझे बम्बई का अनुभव है, इस लिये मैं आपका ध्यान बम्बई की ओर आकर्षित करना

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

चाहता हूं । आप देखें कि वहां पर करीब दो लाख ऐसे वन-रूम टेनेमेंट हैं, जहां दस दस, पंद्रह पंद्रह मजदूर एक एक कमरे में रहते हैं और उन को कोई भी एडीक्वेट सुविधा, फैसिलटी और एमिनिटी नहीं मिलती है ।

शहर में रहने का एक दुर्भाग्य यह है कि जो प्राकृतिक वातावरण हम को गांवों में प्राप्त हो सकता है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल और स्वच्छंद वातावरण, उस से हम वंचित हो जाते हैं । इंडस्ट्रीज के आस-पास जो मकान बनते हैं और बनें हैं, उनकी स्थिति आप देखें बम्बई,कलकत्ता और कानपुर में, तो आप को पता चलेगा कि वहां पर रहना कितना कठिन है । वहां पर न शुद्ध हवा है, न शुद्ध जल है और न शुद्ध वातावरण है । पेड़ और हरियाली के तो दर्शन भी नहीं होते हैं । उद्योगों में काम करने के बाद जब श्रमिक घर लौटते हैं, तो स्नान करनेके लिये पानी नहीं मिलता है । यही नहीं, उन के लिये पीने पानी की भी व्यवस्था नहीं है ।

जब हम उन लोगों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो हमारा ध्यान पंडित जी के उस वाक्य की तरफ जाता है, जो कि उन्होंने कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को देखते समय कहा था । उस समय उन के मन में इस प्रकार की भावनात्मक स्थिति पैदा हुई कि उन्होंने कहा "इन गन्दी बस्तियों को देख कर मैं सहसा इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इनको आग लगा देनी चाहिये"। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार के सुन्दर देश का निर्माण करने की कल्पना करते हैं, उस कल्पना की पृष्ट-भूमि में जब उन्होंने वे गन्दी बस्तियां देखीं, तो इस प्रकार की भावना उनके मन में पैदा हुई । वहां पर आग लगी या नहीं, मैं यह नहीं जानता । शायद नहीं लगी । लेकिन उनका इशारा इस तरफ था कि जहां मिलें या कारखाने चलते हों, जहां मिलों से धुआं निकलता हो, जहां लेबर काम करती हो, उस के आस पास अच्छे रहन सहन का वातावरण हो, अच्छे क्वार्टर्ज़ हों और सब प्रकार से अच्छी व्यवस्था हो । आखिर यह सब काम कौन करेगा ? हमारी सरकार और इस मिनिस्ट्री ने इस काम को लिया, यह एक बड़ी श्लाघनीय बात है ।

स्लम-क्लीयरेंस के लिये २८ करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है, । अगर चार पांच बड़े बड़े शहरों की समस्याओं को लेकर कोई व्यवस्था करें, तो मैं समझता हूं कि २८ करोड़ रुपये बहुत कम हैं । हम यह जानते हैं कि पैसे की बड़ी कठिनाई है और माननीय मंत्री को अधिक पैसा मिलना कठिन है, लेकिन जब उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की है, जिस में वह स्लम-क्लीयरेंस की योजना बना कर स्लम्ज़ को क्लीयर और साफ करना चाहते हैं, तो उस से हमारे पास यह अधिकार आता है कि हम उन से कहें कि वह इस २८ करोड़ के स्थान पर १०० करोड़ रुपये का इन्तजाम करें । इसका कारण यह है कि स्लम-क्लीयरेंस की जो स्थिति हमारे सामने हैं, वह दो तीन तरह की है । एक तो गन्दी बस्तियों को साफ करना है और वहां पर दूसरे अच्छे मकान बनाने हैं । दूसरी बात यह है कि वहां पर कुछ डार्मिट्रीज़ भी बनानी पड़ेंगी, जिनमें लोग रात को विश्राम कर सकें और जहां नहाने और लैट्रिन्ज़ का इन्तजाम हो । सरकार ने वन-रूम और टू रूम टेनेमेंट तो बनाये हुये हैं, लेकिन हमारे यहां लाखों लोग ऐसे हैं, जो कि बीस, पच्चीस रुपये प्रति-मास का किराया नहीं दे सकते हैं ।

बम्बई में एक एरिया है कमाठीपुरा । माननीय सदस्य, श्री मोरे, वहां कई बार गये होंगे । मैं उनकी उपस्थिति में ही यह बताना चाहता हूं कि वहां पर तीन चार ऐसी स्ट्रीट्स हैं, जो कि बड़ी कम्पैक्ट हैं । सकरी सकरी गलियां हैं । इलैक्शन के टाइम में मैं ने अन्दाज़ किया कि करीब पचास साठ हज़ार आदमी छोटी छोटी लेन्ज़ और बाई-लेन्ज़ में रात को सोते हैं । मैं फुट-पाथ पर सोने वालों,

पैवमेंट ड्वैलर्ज की बात नहीं करता हूं । वे रात को सड़कों पर इस तरह सोते हैं कि मोटर की तो बात छोड़ दीजिये, वहां से साइकिल भी नहीं जा सकती है । इस गर्मी में जहां नालियां बहती हैं या गन्दा पानी बहता है, जहां लैट्रिंज की बदबू आती है, सड़कें सकरी हैं, हवा का इन्तजाम नहीं है, पचास साठ और सत्तर हजार आदमी वहां सोते हैं । न उनके लिये कोई लैट्रिंज का इंतजाम है न ही कोई दूसरी सुविधायें ही हैं । सुबह वे अपने कामों पर चले जाते हैं और रात को सोने के लिये वहां आ जाते हैं । उस एरिया में रहने वाले लोगों को जा कर अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप इस सब चीज को ज्यादा अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे । उनके साथ नागरिकता की दृष्टि से बड़ा अपमान किया जाता है । प्राकृतिक सुविधायें तक उनको नहीं मिलती हैं । प्रकृति जो सुविधायें लोगों को प्रदान करती है, वे तक उनको प्राप्त नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि आपने जो २८ करोड़ रखा है, इसके स्थान पर आप कम से कम सौ करोड़ रखें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीस हजार के करीब हाउसिंग बम्बई में ऐसे हैं जो साठ सत्तर बरस पुराने हो चुके हैं । उनकी रिपेयर का भी आपकी तरफ से कोई इंतजाम होना चाहिये, उसका भी कोई प्राविजन आपकी तरफ से किया जाना चाहिये । वैसे तो बहुत से शहर हैं जहां पर इस तरह के मकान हैं लेकिन मैं एक पर्टिकुलर शहर की बात आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं । उनका रिपेयर का अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया तो बहुत संभव है कि वे गिर जायें और उनका गिरना गन्दी बस्ती बनने के समान होगा । उस व्यवस्था में वहां पर एक गन्दी बस्ती अस्तित्व में आ जायेगी । ऐसा न हो, इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

अब मैं हाउसिंग बोर्ड्ज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि छः प्रांतों में हाउसिंग बोर्ड बन गये हैं । मैं समझता हूं कि जब आपने हाउसिंग का इतना बड़ा काम हाथ में लिया है तो क्या वजह है कि और प्रांतों में भी हाउसिंग बोर्ड्स का निर्माण नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाये ।

देहातों की तरफ भी आपकी रिपोर्ट में इशारा किया गया है । देहातों में मकान बनाने के सम्बन्ध में आपने कहा है कि इंडिविजुअल डिमांड पर दो हजार रुपये तक दिये जायेंगे । आज की स्थिति में जबकि तमाम सामग्री के दाम बढ गये हैं, मैटीरियल के दाम बढ़ गये हैं, दो हजार रुपये पर्याप्त नहीं हैं । मेरी राय है कि इस अधिकतम राशि को बढ़ा का तीन हजार या चार हजार कर दिया जाना चाहिये । एक आदमी जो आपके पास हाथ पसारे हुये आता है दो हजार का लोन लेने के लिये तो कोई कारण नहीं है कि उसको इतना लोन न दिया जाये जिस में कि पर्याप्त रूप से वह मकान बना सके ।

मैं यह भी चाहता हूं कि शहरों में मकान बनाने के लिये आपने जो आठ हजार की लिमिट रखी है, उसको भी आपको बढ़ाना चाहिये ।

एक अंतिम बात कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूंगा । इंडस्ट्रियल लाइसेंस तो इंडस्ट्री और कामर्स मिनिस्ट्री इशू करती है । मेरा निवेदन है कि जब इंडस्ट्रियल लाइसेंस इशू किया जाता है उस वक्त उन से क्लीयरकट एग्रीमेंट कर लिया जाना चाहिये कि वे अपने कैपिटल में से एक पर्टिकुलर एमाउंट इस काम के लिये दिखायें कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्ज के लिये मकान बनाने के लिये इस्तेमाल होगी । मैं कैटेगोरिकली इस बात को कहना चाहता हूं कि तब तक उनको लाइसेंस इशू न किया जाये जब तक वे इस एग्रीमेंट को न कर लें । आज हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्ज के साथ एक खिलवाड़ हो रही है । जब कि उनकी मालिकों को जरूरत पड़ती है तब उनको वे एम्पलाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके आवास का कोई इंतजाम नहीं करते हैं । आवास का इंतजाम होना बड़ा जरूरी है । कब तक मिनिस्ट्री यह कहती रह सकती है कि वे इंडस्ट्रियल वर्कर्ज के लिये हाउसिंग बनायें और सबसिडी लें । आपने १९५२ में इस स्कीम को इनिशियेट किया और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

५०:५० बेसिस पर पैसा देना शुरू किया । इस स्कीम की बदौलत ही आज हम देखते हैं कि कई जगहों पर इंडस्ट्रियल कालोनी बन चुकी हैं, हाउसिस बन चुके हैं । अगर इस बारे में आपकी मिनिस्ट्री में इनिशियेटिव न लिया होता तो वर्कर्ज के पास एक भी नया मकान नहीं होता । यह बहुत ही अच्छा काम आपकी तरफ से हुआ है और बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है । इसकी जितनी सराहना की जाये, कम है । अब बड़ी जरूरत इस बात की है कि आप एक स्ट्रांग नोट स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजें कि आपसे पहले पूछा जाये इंडस्ट्रियल लाइसेंस इशू करने के लिये और जैसा मैंने कहा है, एग्रीमेंट लिखवा लिया जाये ।

हमने बहुत इंडस्ट्रीज़ को देखा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को देखा है और उनमें से कुछ में तो अच्छी अच्छी कैंटीन्ज़ हैं, अच्छे अच्छे हाउसिस वर्कर्ज के लिये बनाये गये हैं, जिनमें पशु पालन का भी इन्तजाम है, अच्छे अच्छे गार्डन बनाये गये हैं, अच्छे अच्छे पेड़ उनमें लगाये गये हैं और बहुत ही स्वस्थ वातावरण में उनके वर्कर्ज़ रह रहे हैं । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उन को ऐसा करने के लिये धन्यवाद देता हूं । बम्बई और कलकत्ता की हालत को मैंने देखा है । बम्बई में जहां एक ओर आरे मिल्क कालोनी है, जहां पर बड़े अच्छे तरीके से सफाई रहती है, बड़ा स्वस्थ वातावरण है, वहां दूसरी ओर कमाठीपुरा है जो एक स्लम है, नरक तुल्य है । जेलों को आप देखें तो वहां की हालत उससे कहीं ज्यादा बेहतर है । जेलों में इन पिछले दिनों में बहुत सुधार हुआ है, वहां पर एक बर्थ मिलता है, पचास साठ आदमियों को एक बैरेक रहने के लिये मिलती है, साफ सुथरी लैट्रिंज़ होती हैं, नहाने के लिये और पीने के लिये साफ पानी मिलता है । मैं तो कहूंगा कि जेल जाने वाला आदमी इन स्लम्ज़ में रहने वाले आदमियों से बदरजहा अच्छा है, उस आदमी के मुकाबिले में कहीं अच्छा है जो आज स्वतंत्र है, आजाद है लेकिन गलियों में सड़ता है और जिस की तरफ सरकार बहुत कम ध्यान देती है । मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान दे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

†**श्री वीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं कहना चाहूंगा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये अपने उत्तरदायित्व को टालने की कोशिश करती रही है । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह विस्थापित व्यक्तियों को, जो ऐसी परिस्थितियों के कारण जिनपर उनका कोई बस नहीं है यहां आ रहे हैं ; सब प्रकार की सहायता दे । दण्डकारण्य योजना की तरह त्रिपुरा के लिये भी जहां बहुत से विस्थापित लोग रह रहे हैं, भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक योजना की व्यवस्था होनी चाहिये थी । ऐसी योजना चालू करने पर आदिम-जाति के लोगों को भी लाभ होगा ।

ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के प्रति माननीय मंत्री महोदय का रवैया कुछ ठीक नहीं है । मेरा यही निवेदन है कि त्रिपुरा में बसे विस्थापित व्यक्तियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । उन मांगों में से कुछ ये हैं उन से ऋण वापस न लिया जाये, जिला क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जाये, मकान बनाने के लिये ऋण देने की नई योजना बनाई जाये, छात्रों और क्षय रोगियों को सहायता दी जाये ; लघु और मध्यम उद्योग तुरन्त स्थापित किये जायें ।

वहां पर जितना काम बाकी रह गया है उसे भी शीघ्रातिशीघ्र निपटाना चाहिये ।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच की जानी चाहिये। इस विभाग के वेतनक्रम ऐसा रखा गया है जो कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल नहीं है।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : विस्थापितों को बसाने के लिये इस मंत्रालय ने जो महान कार्य किया है वह निश्चय ही सराहनीय है। हस्तिनापुर के गंगा खादर में लगभग १४०० शरणार्थी रह रहे हैं। वहां एक चीनी कारखाना खोलने की बात थी। किसी आदमी को कारखाना खोलने की अनुमति दे दी गई थी किन्तु अभी तक वहां कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं उन शरणार्थियों का क्या होगा।

सरकारी मुद्रणालयों में कुछ विवाद उत्पन्न हो गये हैं। उन विवादों को निपटाने के लिए जो कार्य समितियां बनाई गई हैं उन्हें वित्तीय प्रकार के मामले निपटाने का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार के विवादों को निबटाने के लिये और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस प्रयोजना के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये और उसमें वित्त मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये। इसी प्रकार की बातें और विवाद हैवी इलेक्ट्रिकल भूपाल में है। अतः इस बारे में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये

कुछ श्रेणियों के कामगरों जैसे जिल्दसाजों और जिल्दों पर सुनहरी अक्षर लिखने का काम करने वालों के, जो काम पहले विदेश में कराया जाता था, वेतन क्रमों को संशोधित करना चाहिये। इस बारे में कई अभ्यावेदन सरकार को भेजे गये हैं किन्तु अभी तक कुछ नहीं हो सका है।

जहां तक प्रोत्साहन बोनस की बात है। उस बारे में भी कुछ नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को प्रोत्साहन बोनस की योजना पर भी विचार करना चाहिये क्योंकि कामगरों को इस योजना के बारे में शिकायत है। वे बहुत कठिन श्रम करते हैं किन्तु फिर भी कुछ मामले में उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता।

ऐसा मालूम होता है कि यह मंत्रालय दूसरे व्यक्तियों को किराये पर जो सामान देता है उस पर कोई अवश्रयण नहीं दिया जाता। अवश्रयण देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

श्री यु० सिं० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवास की जो समस्या है वह इतनी प्रमुख समस्या है कि जब तक यह सही रूप में हल नहीं हो जाती उस वक्त तक जो योजनायें हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं वे एक मजाक बन जाती हैं। आज इस सम्बन्ध में हमारे सामने बहुत सी समस्यायें हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये गये हैं और कुछ लोगों को रुपया दिया गया है। जिनको रुपया दिया जाता है उनकी दो तीन केटेगरीज़ कर रखी हैं और वे लोग यह रुपया तीस पैंतीस साल में वापस करते हैं। उस पर कुछ ब्याज भी लगता है और उस अरसे के बाद मकान उनका हो जाता है। इस प्रकार जो एक बड़ा बोझा उस आदमी पर मकान बनाने में पड़ता वह नहीं पड़ने पाता देखने और सुनने में यह स्कीम बहुत अच्छी लगती है। इस स्कीम से उस आदमी को जो कि लम्पसम में रुपया नहीं दे सकता उसको फायदा होता है। लेकिन जिन स्थानों पर यह काम होता है, चाहे वह सेंटर की तरफ से हो या राज्य सरकारों की तरफ से, वहां दूसरी चीज दिखलाई देती है।

सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने इस तरफ हमारे मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट किया है कि उस रुपये का ठीक तरह से उपयोग नहीं होता और यह रुपया दलबन्दी और पार्टीबाजी की बिना पर ऐसे लोगों को दिया जाता है कि इसको डिजर्व नहीं करते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यु० सिं० चौधरी]

स्थानों पर जिन आदमियों की पहुंच होती है उनको यह रुपया दिया तो जाता है मकान बनाने के लिये और वह इसको लगा देते हैं व्यापार में। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : मकान तो उन के हैं।

श्री यु० सिं० चौधरी : लेकिन वह व्यापार करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से एक दूसरी बात मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं और वह यह है कि अक्सर यह शिकायत की जाती है कि मकान बनाने में सब से बड़ा रोड़ा यह है कि आज़ादी के बाद देश में डेवेलपमेंट के बहुत से काम किये जा रहे हैं, जिन का करना बहुत ज़रूरी है और इस लिए यह बहुत मुश्किल है कि अपने लिमिटिड रीसोर्सिज़ को देखते हुए डेवेलपमेंट के कामों को रोक कर हम मेटीरियल और सामान को उन मकानों की तरफ़ ले जायें, जो कि आवास की समस्या को हल करने के लिए बनाए जा रहे हैं इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक सीमेंट और ईंटों आदि का सवाल है क्या गवर्नमेंट इस बात पर ग़ौर करने के लिए तयार नहीं है कि जिन प्रदेशो में चूना निकलता है—मेरे खयाल में हिन्दुस्तान में सीमेंट की अपेक्षा चूने की ज्यादा प्राडक्शन है—, वहां पर मकानों को चूने से बनाया जाये। अगर चूने में कोई कमी है—मेरे विचार में तो कोई कमी नहीं है—, जिस की वजह से वह सीमेंट के मुकाबले में कम पड़ता हो, तो एक्सपर्टस इस बात की जांच कर सकते हैं कि हम चूने से कितना लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैं ने कहा है, मेरे विचार में तो चूने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि लाल किला और कुतुब मीनार चूने से बने हुए हैं और इतने सालों के बाद भी वे गवर्नमेंट के बनाए हुए उद्योग भवन और अशोका होटल की बिल्डिंग्ज़ से ज्यादा ड्यूरेबल हैं। इन में जो मसाला लगा हुआ है और जिस सामान का इस्तेमाल किया गया है, अगर उस की छान-बीन करने के लिए एक रिसर्च स्टेशन खोला जाये और इस बात की जांच करने की भी कोशिश की जाये कि हम चूने से कितना लाभ उठा सकते हैं तो मेरे विचार में हाउसिंग की समस्या को हल करने में काफ़ी सहायता मिल सकती है हम देखते हैं कि सीमेंट न मिलने की वजह से बहुत से मकानों की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। इस के अलावा जिन लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज़ दिये जाते हैं, सीमेंट न मिलने की वजह वे भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं और वे कर्ज़ यूं के यूं रुके पड़े रहते हैं।

सीमेंट के बारे मे डिस्ट्रिक्टस और तहसील हैडक्वार्टर्ज़ में यह आम शिकायत रहती है एक एक आदमी का तीन चार हज़ारवां नम्बर रहता है, यानी लोगों को सीमेंट के लिए छः छः महीने तक इन्तज़ार करना पड़ता है जो सुझाव मैं ने अभी दिया है, उससे इस समस्या को हल किया जा सकता है। इसी प्रकार जिन स्थानों पर पत्थर निकलता है, वहां पत्थर और दूसरी लोकल चीज़ों से अगर मकान बनाए जायें, तो मेरे विचार में एक तरफ़ तो इस समस्या का हल निकल आयगा और दूसरी तरफ़ उस में खर्च भी कम लगेगा। मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर चूना निकलता है, वहां वह काफ़ी सस्ता पड़ता है। पंजाब के दक्षिणी इलाके में चूने और पत्थर से पंचायतघर और दूसरी बिल्डिंग्ज़ बनाई गई हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर वे हाउसिंग मिनिस्ट्री के बनाए हुए उद्योग भवन और अशोका होटल से बहुत अच्छी नहीं हैं तो मेरे खयाल में ड्यूरेबिलिटी में वे उन से कम भी नहीं पड़ेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब और दूसरे स्थानों पर जो नए शहर बसाए जा रहे हैं, मैं उन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । जहां तक मेरा खयाल है, चंडीगढ़ के डिज़ाइन वग़ैरह के लिए फ़ांस के एक एक्सपर्ट को बुलाया गया था, जिस ने उस नगर का सारे का सारा ढांचा बनाया और उसका सारा प्लानिंग किया । दरअस्ल यह एक हंसी-मज़ाक की बात है कि इस काम के लिए एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जो कि इस देश के वातावरण में नहीं पला, जिसको इस देश के सारे हालात का ज्ञान नहीं है इस में कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तानी कारीगरों के मुकाबले में उन माडर्न बातों का ज्यादा ज्ञान होगा, जिन से आज-कल की बहुत सी समस्यायें हल हो जाती हैं लेकिन इस देश के जलवायु और हालात के मुताबिक जिस प्रकार के मकान यहां पर बनाए जाने चाहिएं उस का ज्ञान हम उस में बहुत कम पाते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं आप को चंडीगढ़ का उदाहरण देता हूं मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने चंडीगढ़ को देखा होगा और उन को मिनिस्टर्ज़ की कोठियों के अलावा और विंग्ज़ को देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ होगा । अगर मैं यह कहने की गुस्ताखी करूं कि उन मकानों को बनाने में पैसे को पानी की तरह बहाया गया है, तो इस में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक गर्म मुल्क है, जहां साल में आठ नौ, दस महीने गर्मी रहती है, लेकिन आप को यह जान कर हैरानी होगी कि चंडीगढ़ के मकानों में न तो हवा मिल सकता है और न ही सूर्य के दर्शन हो सकते हैं हमारे यहां चाहे झौंपड़ी बनानी हो और चाहे कोई लम्बी-चौड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाना हो, मकान बनाने में आम कनसिडरेशन यह होता है कि हवा क्रास करे क्योंकि यह गर्म मुल्क है और हवा का आना बहुत ज़रूरी समझा जाता है । इस महत्वपूर्ण बात का वहां पर खयाल नहीं रखा गया है । वहां पर रौशनी भी नहीं आती है । मेरा ख्याल है कि उस व्यक्ति के दिमाग में केवल यह बात होगी कि जिस तरह फ्रांस में एक सर्द मुल्क में, मकान बनते हैं, उसी तरह से यहां भी मकान बना दिये जायें । इस तरह चंडीगढ़ का ढांचा, जिस पर अरबों रुपया खर्च कर दिया गया है, एक विदेशी इंजीनियर के नक्शे के आधार पर तैयार किया गया, जिस के दिमाग़ में हिन्दुस्तान केवल चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्से की शक्ल में था और बाकी सारे का सारा पैरिस था ।

श्री शाम लाल सर्राफ : (जम्मू तथा काश्मीर) सारी दुनिया उस की नक्ल कर रही है ।

श्री यु० सिं० चौधरी : मैं अर्ज़ करूंगा कि फ़ैक्ट्रीज वग़ैरह के सम्बन्ध में यह नक्ल की जा सकती है, लेकिन मकान बनाना तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उस के लिए बाहर से आदमी बुलाये जायें और उन को दस, पंद्रह हज़ार रुपए तन्ख्वाह दी जाये । हां, अगर कोई बात हमारे देश में मौजूद नहीं है, तो उसे शौक से बाहर से लाया जा सकता है । मैं कोई संकुचित दृष्टिकोण इस सदन के सामने पेश नहीं कर रहा हूं कि सरकार बाहर के एक्सपर्टस से लाभ न उठाए । उन से लाभ उठाया जाये लेकिन जो बात यहां मौजूद है, जिस को यहां के इंजीनियर वग़ैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उस पर बेतहाशा रुपया खर्च करना एक निरर्थक सी बात है ।

जहां तक शरणार्थियों का प्रश्न है, रीहैबिलिटेशन मंत्रालय प्राय: समाप्त कर दिया गया है और डिमांड्ज़ में इस का कोई ज़िक्र भी नहीं है । लेकिन सदन के काफ़ी माननीय सदस्यों ने इस समस्या की तरफ़ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है इस सम्बन्ध में मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि वह शरणार्थियों की समस्या के बारे में यह न समझें कि वह चैक में है, काबू में है, बल्कि वह इस को बढ़ती हुई समस्या समझें । मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह सरकार इस बात को अपने दिमाग़ में रख कर चले कि पूर्वी पाकिस्तान में जितनी

[श्री यू० सिं० चौधरी]

भी हिन्दू आबादी है वह सारी की सारी इस देश में आयेगी और उन लोगों के लिए एक नहीं न जाने कितनी दण्डकारण्य योजनायें बनानी पड़ेंगी पंचशील, गुडविल या सकुलरिज्म के चाहे कितने ही नारे लगाए जायें, वे लोग तो यहां आयेंगे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के शासकों की यही पालिसी है। माइनारिटीज़ को जो डेफ़िनीशन यह सरकार ले रही है, वह डेफ़िनीशन उन लोगों के दिमाग़ में नहीं है। इस लिए आज नहीं तो कल या परसों पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं को यहां आना ही पड़ेगा और इस के लिए अभी से सरकार को तैयार रहना चाहिए और ऐसे साधन जुटा लेने चाहिए कि वह उन को उस वक्त वैल्कम कर सके।

इस सम्बन्ध में अगर मैं आबादियों की ट्रांसफ़र की बात कहने की हिम्मत करूं, तो वह एक गुस्ताखी की बात होगी और सकुलरिज्म पर विश्वास करने वाला यह हाउस मुझ पर टूट पड़ेगा, इस लिए मैं कहूंगा कि आबादियों की अदला-बदली न करें, यहां के मुसलमानों को यहां ही रखें लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान के रहने वाले हैं पाकिस्तान के नेशनल्ज़ हैं उन को यहां पर क्यों लाया जा रहा है? यह लाजिक अभी तक मेरे दिमाग़ मे नहीं आया है। जो आदमी वहां पर आराम से बस रहे हैं, उन को सिर्फ़ इस लिए गुड़गांव आदि स्थानों पर बसाया जा रहा है यहां पर सकुलरिज्म का हौवा खड़ा किया जा सके। उन लोगों में पचास पर सेंट जासूस हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पुलिस उन लोगों की हरकतों से वाकिफ है और वह कह रही है कि वे लोग पाकिस्तान को खबरें भेज रहे हैं।

श्री त्यागी : कहां लाया जा रहा है?

श्री यु० सिं० चौधरी : लाया गया है गुड़गांव में। मैं सहारनपुर या देहरादून का ज़िक्र नहीं कर रहा हूं——मैं गुड़गांव का ज़िक्र कर रहा हूं, जहां उन लोगों को लाया गया है। इस तरह की भावना को बदलना चाहिए और पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं को बसाने की समस्या पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

†**श्री प० ना० कयाल** (जयनगर) : पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिये अब वहां रहना बहुत कठिन हो गया है। वहां रहने के लिये उन्हों ने भरसक प्रयत्न भी किया किन्तु नहीं रह सके। वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि वे वहां रह नहीं सकते। वहां उन्हें अपने जीवन का खतरा है इसलिये वे भारत आना चाहते हैं। एक प्रकार से उन्हें वहां से धकेला जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार यह सोच रही है कि उन्हें यहां आने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। बंगाल में इस बारे में रोष फैला हुआ है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उन लोगों के साथ भारतीयों जैसा व्यवहार करे और उन्हें भारत आने की सुविधा प्रदान करे। सरकार इन शरणार्थियों को अपने यहां बसाने के लिये भरसक प्रयत्न करे।

वे शरणार्थी जो शिविरों में नहीं रह रहे हैं, वे पश्चिमी बंगाल के लिये एक सिरदर्द बने हुए हैं। वे कलकत्ता के आसपास बस गये हैं। इसलिये कलकत्ता के विकास का काम रुक गया है। अब उन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता है। अतः सरकार को चाहिये कि वह उन की पूरी पूरी सहायता करे।

†**श्री कोहोर** (फूलबनी) : उड़ीसा राज्य भारत में बहुत पिछड़ा राज्य है। वहां अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की संख्या भी बहुत अधिक है। वे अनपढ़ हैं और लोकतंत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या है वे यह भी नहीं जानते । यही कारण है कि वे अपनी शिकायतों और कठिनाइयों के बारे में कोई आवाज़ भी नहीं उठाते । इसलिये भूतकाल में उन की काफ़ी अवहेलना की गई है ।

यह आशा थो कि स्वतंत्रता के बाद उन के साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा । किन्तु वैसा नहीं हो सका । उन के कल्याण के लिये राशि निर्धारित करने से ही तो बात खतम नहीं हो जाती । वहां के आदिम जातियों के लिये जो मकान बनाये गये हैं वे ठीक नहीं हैं । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

उड़ीसा में बहुत सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं जिन के कारण बहुत से आदिम जाति के लोग बेघरबार हो गये हैं । उन को ठीक से बसाने का काम भी समुचित रूप से नहीं किया गया है । अभी भी बहुत से परिवारों के पास रहने के लिये घर नहीं हैं । वहां के जंगल भी काट डाले गये हैं । इसलिये जंगलों से भी उन्हें खाना नहीं मिलता । चूंकि वे अनभिज्ञ हैं पढ़े लिखे नहीं हैं अतः उन्हें उद्योगों में भी नौकरी नही मिलतो ।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : श्री बागड़ी के भाषण से ऐसा पता चलता है कि उन्हें वस्तु विषय की कोई जानकारी नहीं है । जिस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उसे मुख्य भवन से अलग कर दिया गया है और वह लोक महत्व का स्थान बन चुका है । वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है । वह स ान सरकार को दिया जा चुका है वह स्वेच्छा से दिया गया है । इस लिये उसके अर्जित करने का कोई प्रश्न नहीं है । इसके अलावा बिड़ला बन्धुओं ने कलकत्ता में बिड़लाभवन सरकार को मुफ्त में ही दे दिया है ताकि वहां संग्रहालय की स्थापना हो सके । सरकार ने वहां काम भी शुरू कर दिया है ।

यह कहना उचित नहीं है कि लोक निर्माण विभाग के सारे कर्मचारी ही भ्रष्टाचार करते है । जब कभी भ्रष्टाचार के मामले की कोई बात उपस्थित हो तो उसकी जांच करनी चाहिये । यह आम शिकायत है कि ठेकेदारों को अपने बिलों की कुछ प्रतिशत राशि पदाधिकारियों को देनी पड़ती है । मंत्रालय को सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाने चाहियें । लेकिन फिर भी सारे विभाग की शिकायत करना उचित नहीं है ।

ठेके देने के मामले में ठेकेदारों का पक्ष लेने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारी कुछ विशेष चाल चलते हैं । सरकार को इनकी जांच करनी चाहिये । इसे रोकने का भी पूरा पूरा यत्न किया जाना चाहिये ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : काश्मीर तथा जम्मू के निवासियों पर भी काफी विपत्ति आई है । शरणार्थियों की समस्या का हल करने के लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया है और इस काम पर करोड़ों रुपये खर्च भी किये गये हैं । आशा है कि भविष्य में भी इस समस्या का समाधान सहानुभति के साथ किया जायेगा ।

जो लोग जम्मू तथा काश्मीर के उस क्षेत्र से आये हैं जहां अब पाकिस्तान का कब्जा है उन्हें पूरे अर्थों में शरणार्थी नहीं समझा जाता । पाकिस्तानियों से आजाद करवाये गये इलाकों के विस्थापित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्याम लाल शर्राफ]

व्यक्तियों को भी बहुत सी विपत्तियां सहन करनी पड़ी हैं। कम से कम अब तो उनके लिए कुछ किया जाना चाहिये।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य से कुछ लोग पाकिस्तान गये हैं वे अपनी सम्पत्ति यहां छोड़ गये हैं। और जो लोग पाकिस्तान से यहां आये हैं वे भी अपनी सम्पति वहां छोड़ आये हैं। इन सम्पत्तियों को वापस दिलाने के लिये कोई न कोई हल ढूंढना चाहिये। वारामूला नगर के एक हिस्से में जो थोड़े से वोहरा लोग रहते थे उनको सरकार द्वारा कुछ ऋण दिया जाना चाहिये ताकि वे कहीं अपने आप को बसा सकें।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढ निकालना चाहिये। इस प्रश्न को दल बन्दी से ऊपर उठा कर हल करना चाहिये और हम सब को कोई तरीका ढूंढ निकालना चाहिये। ऐसी बात किसी को भी नहीं सोचनी चाहिये कि उनके साथ कोई भी नहीं है।

संभरण और निपटान के सम्बन्ध में सरकार को चीज़ें खरीदते समय सहकारी समितियों, लघु उद्योगों और पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिये।

जहां तक खरीद की बात है यह प्रयत्न करना चाहिये कि वह सहकारी इकाइयों के द्वारा की जाय।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : हमारे शरणार्थी भाई बहिनो ने जो नाना प्रकार की विपत्तियां उठाई हैं वे कोई आसान बात नहीं है। पूर्वी पाकितान से जो लोग आये हैं वे बहुत ही परिश्रमी एवं ईमानदार हैं। वे बहुत कुछ अपने आप कार्य करने के लिये तैयार रहते हैं। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न किया है। और गतवर्षों के दौरान में वे यह जान सके हैं कि उनका सच्चा दोस्त कौन है ? पश्चिम बंगाल के गत आम चुनावों के परिणामों ने यह दिखा दिया है कि विस्थापित व्यक्ति अपने पुनर्वास के सम्बन्ध में सरकार की नीति से अधिकांशतः सहमत हैं।

पुनर्वास मंत्रालय को बंद करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात का कोई डर नहीं होना चाहिये कि पुनर्वास मंत्रालय के बंद हो जाने से विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसने के लिये और सहायता नहीं मिलेगी। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के पुनर्वास विभाग द्वारा यह धन उपलब्ध कराया जायेगा। यह अनुभव किया गया है कि जो कुछ भी बाकी काम रह गया है उसे हमारी सामान्य विकास योजनाओं के साथ मिला दिया जाये। और इस काम की देख भाल सामान्यतः राज्य सरकारों तथा प्रशासन द्वारा उसी रूप में की जाती रहेगी जैसे कि अब तक की जाती रही है।

पश्चिम बंगाल में बचे हुए काम का भी उल्लेख किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां के काम का अनुमान लगा लिया गया है। बस वहां की राज्य सरकार की अनुमति मिलना शेष है। उसके बाद ही आगे काम शुरु होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के शिक्षा सम्बन्धी तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं पर अब तक २० करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। उस में से १६ करोड़ रुपये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं पर व्यय हुए। विभाजन के बाद पूर्वी क्षेत्र में विस्थापित व्यक्ति बड़ी संख्या में आये और कुछ समय के लिये शिक्षा तथा सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में गड़बड़ी थी।

पूर्वी क्षेत्र से कोई सदस्य नहीं कह सकता कि बहुत अधिक नहीं किया गया है। मैं नहीं कहता कि हम ने बहुत कुछ किया हैं। मैं यह कहता हूं कि जो हम ने किया है वह थोड़ा काम नहीं है। २० करोड़ में से १६ करोड़ रुपये वर्तमान संस्थाओं को इमारत आदि बढाने के लिए ही नहीं दिये हैं, परन्तु नए स्कूल और कालिज भी खोले हैं। जहां तक पश्चिमी बंगाल में शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का सम्बन्ध है नरेन्द्रपुर एक सुन्दर संस्था है। इस ने केवल पश्चिमी बंगाल के लोगों को ही नहीं परन्तु पूर्ण भारत से लोगों को आकर्षित किया है। कभी कभी विदेश से आने वाले लोगों ने नरेन्द्रगढ़ रामकृष्ण मिशन द्वारा विद्यार्थियों के लिए किये गये काम की प्रशंसा की है। यह सब मेरे सहयोगी के कारण हुआ है। नरेन्द्रपुर संस्था देखने लायक है। जो कोई सदस्य कलकत्ता आये उस के लिये उस संस्था के देखने का प्रबन्ध कर सकता हूं। इस पर लगभग ५५ लाख रुपये लगे। इस संस्था से बड़े तीव्र बुद्धि विद्यार्थी निकले हैं जोकि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की प्रतियोगिताओं में बैठते हैं। पश्चिमी बंगाल में मृत्यु दर एक हजार में लगभग ७ हैं। लोग कहते हैं कि हम विस्थापित व्यक्तियों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। विस्थापित व्यक्तियों में मृत्यु दर सामान्य जनता में कम थी।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: जन्म दर अधिक है।

श्री पू० शे० नास्कर: क्योंकि वहां कोई परिवार नियोजन नहीं था। हम ने सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की चिकित्सा सम्बन्धी कार्यवाइयों को बढ़ाने के लिये सहायता की है। चिकित्सा सम्बन्धी क्षेत्र में हमने क्षय रोग के रोगियों पर अधिक ध्यान दिया। देश के उस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में क्षय रोग के रोगी हैं। बिरभूम जिले में हम ने निलामोई स्थान पर एक घर बनाया है। यह यथार्थ में बहुत ही आश्चर्यजनक संस्था है। हम ने और गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता की है। इस से लोगों को काफी सहायता मिलेगी। इस मंत्रालय ने वहां जो काम किया है वह आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। कई लोग मुझे बताते हैं कि आप की वित्तीय सहायता के कारण कई संस्थायें बन सकी हैं और उन का विस्तार हुआ है। इस ने पश्चिमी बंगाल में एक दो और विश्वविद्यालय खोलने में निरन्तर सहायता की है।

वर्तमान बजट वर्ष में हम ने पूर्वी क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिये बड़ी धन राशि की व्यवस्था की है। कल मेरे एक मित्र ने पश्चिमी क्षेत्र में शिक्षा संबंधी संस्थाओं के लिये कुछ अनुदानों का उल्लेख किया। यह तथ्य है कि हम ने इस के लिये वर्तमान बजट वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं की है। अब हम महसूस करते हैं कि अनुदानों की आवश्यकता है। इस वर्ष कभी इस प्रश्न पर विचार करने की प्रस्तावना है और यदि आवश्यकता होगी, तो पुनरीक्षित बजट प्राक्कलनों में व्यवस्था की जायेगी।

पहली कठिनाइयों के बाद दण्डकारण्य प्राधिकार ने संतोषजनक प्रगति की है। पश्चिमी बंगाल की पुनर्वास मंत्री हाल ही में दण्डकारण्य गयीं। उन के विचार में यह काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। कठिनाई की हालत में दोनों सभापति और मुख्य प्रबन्धक ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां गये हुए परिवार खुशहाल रहे हैं। मैं आप के द्वारा पहले तम्बुओं में रहने वाले परिवारों को वहां जाने के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री पू० शे० नास्कर]

लिये प्रार्थना करता हूं। यह तथ्य है कि पश्चिमी बंगाल और कृषि परिवारों को नहीं ले सकता। भूमि समाप्त हो चुकी है। बिना भूमि के स्थानीय श्रमिकों के लिये भी काफी भूमि नहीं है, तो विस्थापित कृषकों को कैसे लिया जा सकता है। हम ने पहले भी इस की चेष्टा की। जो भूमि पर रहते हैं उन की भूमि भी आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। हम और भूमि नहीं पा सकते। यह और समस्या है। मैं उन से भविष्य में खुशहाली के लिये दण्डकारण्य जाने के लिये प्रार्थना करता हूं। यदि हम दण्डकारण्य जाने के अवसर को न स्वीकार करें तो आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी। यदि वह पश्चिम बंगाल में ही रहने का निर्णय करें तो उन के पुनर्वास की प्रगति कम हो जायेगी क्योंकि पश्चिमी बंगाल में पहले ही लोग अधिक संख्या में हैं वे अपने, राष्ट्र, राज्य और देश के हित के लिये दण्डकारण्य में दी गई सुविधाओं का लाभ उठाये।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : श्री जगन्नाथ राव ने कहा कि स्टोर, संभरण और निपटान के सम्बन्ध में इस मंत्रालय में सब कुछ ठीक है। इस सम्बन्ध में कई शिकायतें आई हैं जो कि ठीक हैं। इस मामले में काफी सुधार हो सकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जो काम किया जा रहा है वह सामान्यतया निर्धारित स्तर से निम्न कोटि का है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकान बहुत छोटे और उनके परिवारों के अयोग्य हैं। वे विशेषकर बरसात के मौसम में स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक हालत में रहते हैं। मकानों के नक्शे भी त्रुटिपूर्ण बनाये गये हैं। क्वार्टरों में रसोई पहले आती है और रहने वाला कमरा बाद में। यदि कोई मिलने वाला आदमी आये तो पहले रसोई में आता है और बाद में कमरे में।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर दफ्तरों के नजदीक बनाने चाहियें क्योंकि उन्हें बसों में आना पड़ता है जो कि ठीक समय पर नहीं आती है।

ऊंचे अफसरों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकानों में बहुत अन्तर है। प्रथम श्रेणी के अफसरों के लिये जो मकान बनाये गये हैं उन के रसोई घर भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के रहने के कमरे से अधिक बड़े हैं। समाजवादी समाज के ढांचे में इस प्रकार की विषमता ठीक नहीं है।

नागपुर से केन्द्रीय कार्यालय दूसरे स्थान नहीं ले जाने चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो कार्यालय वहां से हटाये जायेंगे क्योंकि उन की जगह राज्य सरकार के कार्यालय लाये जायेंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कार्यालय स्थानान्तरित नहीं करने चाहियें। वे उन के लिये वहां मकान बना लें।

जिन विस्थापित व्यक्तियों के दावे अभी तक तय नहीं हो पाये हैं उन के दावे जल्दी से जल्दी तय किये जाने चाहियें। कई बार मामूली आपत्तियों के कारण दावे तय नहीं किये जाते हैं।

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों का पुनर्वास नहीं हुआ है। इस में उन्हें देखना चाहिये कि इस बात का क्या कारण है। ये विस्थापित व्यक्ति जो तम्बुओं में हैं दण्डकारण्य जाना नहीं चाहते। अब पूर्वी बंगाल से और लोग आयेंगे। अब जो लोग पूर्वी बंगाल से आये हैं उन्हें यदि सम्भव हो तो सीमान्त देशों में बसाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन जो २० मई, १९६२ को सभा में पेश किया गया था सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, जो २० मई, १९६२ को सभा में पेश किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा, श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा द्वारा १८ मई, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी रखेगी :—

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश के सब भागों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करने और सेवा सहकारी समितियों के लक्ष्य की पूर्ति के लिये भारत संघ के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक मूलभूत सहकारी कृषि समिति की स्थापना और देश में उपलब्ध समस्त साधनों और जन-सम्पर्क के माध्यम को अधिक प्रभावशाली रूप में संगठित करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें।"

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : मैं एक संशोधन पेश करता हूं :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मूल संकल्प और स्थानापन्न संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत हैं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : किसान सहकारी कृषि को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। वे कई वर्षों से शोषण के शिकार रहे हैं। नगरों में सहकारिता ने पांव जमा लिये हैं। गांवों में पहले यह ऋण संस्थाओं के रूप में आरम्भ हुई क्योंकि अधिक भूमि भूमि स्वामियों के पास थीं। ये ऋण संस्थायें अब सेवा संस्थायें कहलाती हैं। दुर्भाग्यवश हमारे सहकारी आन्दोलन में उन लोगों का बोलबाला है जिन को किसान पसन्द नहीं करते हैं। सहकारी कृषि के सम्बन्ध में किसानों के सन्देह का कारण यही है।

अभी ६० प्रतिशत ग्रामों में सहकारी संस्थायें स्थापित हुई हैं। हमारी बहुत सी जनसंख्या ग्रामों में रहती है। अभी तक इस समस्या के थोड़े से भाग का ही समाधान हुआ है।

सहकारी आन्दोलना को सफल बनाने की दृष्टि से समस्त संगठन एवं उस के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिये। किसानों में केवल इस प्रकार ही नये सिरे से भरोसा पैदा किया जा सकता है।

बहुत सी संस्थायें विगणित कर दी जाती हैं। लोग इसलिये इन संस्थाओं की सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार ने जो ऋण दिया था वह कुछ लोग हड़प कर गयें और संस्थायें बन्द हो गयीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

अब मैं सेवा संस्थाओं के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। इनकी सफलता के लिये मजबूरी और स्वेच्छा दोनों का होना आवश्यक है। एक और समस्या यह है कि बांधों के बनने से नदियों द्वारा जो प्राकृतिक खाद आया करता था वह अब नहीं आता।

हमारे देश में यहां की जनसंख्यय काफी है और भूमि बहुत नहीं है। सघन कृषि ही एक हल है। इस के लिये सहकारी आन्दोलन से काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

†श्री ब० कु० दास : हमारे कृषिक खतरा बिल्कुल नहीं लेते। वे कृषि की सब आवश्यकताओं को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिये सेवा संस्थाओं की प्रस्तावना की।

सहकारी खेती में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये।

सहकारी खेती के लिये जो अध्ययन दल नियुक्त किया था उस ने देश का पर्यटन करने के बाद कहा कि कई संस्थायें उचित ढंग से चल रही थीं और कई संस्थायें ठीक नहीं चल रही थीं। हमने सेवा सहकारी समितियों के बारे में भी अधिक प्रगति नहीं की। यदि कुछ प्रगति की गई होती, तो सहकारी खेती शुरू करना अधिक आसान हो जाता। सफलता के लिए आवश्यक है कि अग्रिम परियोजनाएं शुरू की जायें और उनके अनुभव से लाभ उठाया जाये। इन परियोजनाओं में जब सरकार ऋण देगी और इसको सामुदायिक विकास योजना के कार्यकर्त्ताओं की सहायता से चलाने का प्रयत्न करेगी, तो यह सफल हो सकेगी और उनके अनुभव से कृषक सहकारी खेती भी शुरू कर सकेंगे। इसलिये मैंने अपने संशोधन में इस बात पर जोर दिया है कि अग्रिम परियोजनाएं पहले शुरू की जाये और हमारे कार्यक्रम सफल हों, ताकि अग्रिम परियोजनाओं के बाहर शुरू की जाने वाली संस्थाएं सफल हो सकें।

†श्री पाराशर (शिवपुरी) : सहकारी आन्दोलन सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के सम्बन्ध में बात करने से पहले हमें देश के सहकारी आन्दोलन के विकास के सम्बन्ध में सही स्थिति मालूम होनी चाहिये। चाहे हम सरकारी व्यक्ति हों या गैर-सरकारी, हमें इसके स्वरूप एवं परिणाम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

यह बात ऐसी नहीं है कि खेती संस्थाओं से सेवा सहकारी समितियां सफल हो जायेंगी। सेवा संस्थाओं को इस लिए स्थापित किया जाता है कि कृषक सहकारिता आन्दोलन के लाभों को समझ सकें और अन्त में वे अपने आपको सहकारी खेती संस्थाओं में संगठित कर सकें। हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जब कुछ रिफ्रेशर कोर्स और सम्मेलन आयोजित किये जायें।

हम चाहे कितने शिक्षित हों, हमें यह समझना चाहिये कि सहकारी आन्दोलन एक प्रविधिक विषय है। यह बताया जाना चाहिये कि देश में सहकारी कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं और जनता को उसके लाभ बताने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस विषय में उनको शिक्षा प्राप्त करने का काफी अवसर दिया है। शिक्षक एक गांव से दूसरे में जाते हैं और सदस्यों को इस प्रविधिक आन्दोलन के बारे में जानकारी देते हैं। हमें इन कैम्पों, स्कूलों आदि में भाग लेने के लिये बाहर से भी सहयोगियों को बुलाना चाहिये। गैर-सरकारी अभिकरणों की भी सहायता लेनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं और इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन हर तरह से सफल हो। किन्तु मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक इसका प्रारूप इस प्रकार बदल देंगे कि इससे देश का अधिक भला हो सके। सरकार को भी इससे क्रियान्वित करने की दिशा में कुछ पग उठाने चाहियें।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट तर्जे निजाम के लिये कोआपरेटिव तहरीक का अपना मुकाम हासिल कर लेना निहायत जरूरी है और कोआपरेटिव फार्मिंग कोआपरेटिव तहरीक का एक मेराज है, उरोज है। कोआपरेटिव फार्मिंग एक दम से शुरू नहीं हो जाती है, बल्कि उसके लिये बहुत से सिलसिले हैं। कोआपरेटिव तहरीक की तमाम कड़ियों के मिलने के बाद कोआपरेटिव फार्मिंग का दर्जा आता है।

जब नागपुर सैशन में कोआपरेटिव फार्मिंग के हक में रेजोल्यूशन कांग्रेस ने मंजूर किया, उस वक्त देश भर में एक लहर उठी और मेहनतकश अवाम और उस तहरीक के मुखालिफ दो दलों में बंट गये और अलग अलग और वाजेह वाजेह रास्तों पर चले। जनता को और मेहनतकश किसानों को, जो खेतों में काम करते हैं, कोआपरेटिव फार्मिंग के उस रेजोल्यूशन से एक ऐसा उत्साह मिला कि उसने पास अपने मुस्तकबिल को एक सुहाना और शानदार मुस्तकबिल बनाया। उनके पास प्रेस नहीं है, उनके अखबारात नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने खेतों के ऊपर, मुंडेरों पर बैठ कर इस कोआपरेटिव फार्मिंग के सुहाने ख्वाब को अपना लिया, जेहनी तौर पर, और वह लोग वह वक्त देखने लगे कि जब कोआपरेटिव फार्मिंग की मंजिल करीब आयेगी और हम जो दो दो कनाल और तीन तीन कनाल, छोटे छोटे टुकड़ों पर काम करते हैं, वह इकट्ठे होकर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हमारी आने वाली नस्लें कुछ अच्छी तरह खा सकें, कुछ अच्छी तरह पहन सकें और कुछ अच्छी तरह रह सकें। लेकिन दूसरी तरफ से एक शिद्दत की मुखालिफत हुई और बड़ी बड़ी थ्योरीज सामने आईं नागपुर सेशन का कोआपरेटिव फार्मिंग का जो रेजोल्यूशन था, उस को बदलने के लिये। बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ किया गया और मुखालिफ ग्रुप ने सर धड़ की बाजी लगा कर तमाम कोशिशें कीं। मैं इन तफसीलात में नहीं जाता हूं कि उसमें कितनी सयासी तब्दीलियां आईं या क्या कुछ हुआ, लेकिन वह सब कुछ हो जाने के बाद आज अवाम की एक भारी अक्सरियत ने नागपुर सेशन के उस रेजोल्यूशन का, कोआपरेटिव फार्मिंग का खैर मकदम किया, और वह दिन और घड़ियां गिनने लगे कि किस वक्त वह उस मंजिल पर पहुंचें।

आज जब हम इस चीज का जायजा लेते हैं और जो तमाम रिपोर्टें हुईं और जो पाइलट प्रोजैक्ट बनीं या बनने वाली हैं, उनकी रफ्तार को देखते हैं तो महसूस होता है कि कहीं न कहीं कुछ खामी, कुछ कमी रह गई है, कुछ नुक्स रह गया है, वर्ना राय आम्मा जिस शिद्दत से मुनज्जम हुई थी, जिस तेजी से अवाम ने इस रेजोल्यूशन को अपनाया था, उसके तसव्वर को अपनाया था, रेजोल्यूशन को अपनाया था, उतना अमल नहीं हुआ है। उसके अपनाने में और अमल में बहुत थोड़ा बड़ा फर्क नजर आता है। मैं मानता तो नहीं हूं मगर क्या यह मान लिया जाये कि वह मुखलफीन जिन्होंने इसकी रूह को खत्म करना चाहा था उनके असरात बढ़ते बढ़ते हुकूमत तक आ गये और उन्होंने उसकी रफ्तार को कम कर दिया, और क्या मैं यह समझूं कि अवाम का जोश खरोश ठंडा हो गया है, या यह समझूं कि हुकूमत ने जो तरीकाकार अपनाया है उसमें किसी न किसी जगह पर नुक्स आ गया है? बहरहाल कुछ भी हो, इस नुक्स और कमी को देखना उनका काम है जो हुकूमत की जिम्मेदारियां सम्भाले हुए हैं। लेकिन यह चीज बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि हम उस मंजिल की तरफ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिये और जो वक्त का तकाजा है। कोआपरेटिव सैक्टर का देहात में बढ़न कोआपरेटिव तहरीक का देहात में पहुंचना ही सोशलिज्म के तर्जे निजाम की बुनियाद हो सकती है।

[श्री समनानी]

मैंने इस मिनिस्ट्री के मतालबात जर की बहस के दौरान भी कहा था कि यह कहना कि कोआपरेटिव की तहरीक जो है उस को अवाम ने कबूल नहीं किया, या यह तहरीक जो है वह अवाम में मकबूल नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है। अवाम, दूर दराज के रहने वाले अवाम, जिन्हें पढ़े लिखे लोग निहायत सीधे सादे कहते हैं,इस तहरीक को अच्छी तरह समझते हैं और अपनाते हैं,और वह इसकी तरफ बढ़ते हैं अगर कहीं रुकावट आती है। अभी एक मुअज्जिज मेम्बर साहब कह रहे थे कि उनकी तालीम का, तरबिअत का और उनकी जहनी तरक्की का इन्तजाम होना चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनकी तरबिअत का इन्तजाम होना चाहिये जिन को इस काम को मुनज्जम करना है और हुकूमत की तरफ से जिन्हें काम करना है। लोग इसके लिये पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कहीं जहनी उलझाव आता है, और इस कोआपरेटिव तहरीक से मुताल्लिक होने की वजह से मैंने आम तौर पर देखा है कि जहां कहीं जहनी उलझाव आता है, वह समझाने वाले इन्सपेक्टरों में आता है, पालिसी बनाने वालों के जहन में आता है, किसानों के जहन में नहीं आता है।

जो हम सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाते हैं या क्रेडिट सोसायटीज बनाते हैं, उनके बनाने के सिलसिले में उस रोज भी मैंने अर्ज किया था और आज भी कहना चाहता हूं कि हम जो सोसायटीज बनाते हैं, अगर सबसे पहले हम उनकी फाइनेंशल पोजीशन को न देखें, जब तक हम यह न देखें कि उन्हें किस हद तक फाइनेंस कर सकते हैं, उस वक्त सोसायटियों की तादाद बढ़ा देने से अवाम को आप तहरीक के नजदीक नहीं ला सकते हैं। बल्कि इस की उल्टी चीज को ही हम देखते हैं। अवाम तो तेजी से आगे बढ़ते हैं, हुकूमत के पास इतने जराय नहीं हैं कि इस जोश को मुनज्जम कर लें और उन को आगे बढ़ने का मौका दें। रुकावट आती है जहां फाइनेंस की बात आती है कि इतना पैसा नहीं है। पैसा न पाकर क्रेडिट सोसायटीज और सर्विस कोआपरेटिव्ज अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिये जब बैंक्स के पास आती हैं तो बैंक कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। शार्ट टर्म, मीडियम टर्म, लांग टर्म, यह टर्म वह टर्म, इतने टर्म्स हैं कि किसान घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बेहतर है कि साहूकार से २, ४ रु० ज्यादा सूद देकर बैल लाओ और काम करो, इकट्ठा काम करने से क्या फायदा? तो सब से पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिये जो रुपया फराहम करना है वह सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है, जड़ की चीज है, और जब तक वह रुपया फराहम नहीं होगा उस वक्त तक कोई सोसायटी अपनी तौर पर नहीं चल सकती है। या तो आप सीधे उनसे कहें कि जहां वे इतनी मेहनत से अपने जराय इकट्ठा कर रहे हैं वहीं रुपया भी इकट्ठा किया जाय और सिर्फ उसी जगह उनको मुनज्जम किया जाय मिल सकता है। जाहिर है कि रुपया आपको देहात में नहीं मिलेगा। जिस मेहनतकश किसान को आप मुंजिम करना चाहते हैं उसके लिये रुपए की जरूरत है और रुपया आपको फराहम करना होगा तभी काम आगे बढ़ सकता है।

दूसरा नुक्स यह आता है कि जो बड़े बड़े सैमिनार होते हैं, कानफरेंसें होती हैं, उनमें बैठ कर लोग देहात की जिन्दगी का नक्शा खींच लेते हैं कि यह चीज होनी चाहिए। तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया वही नुमायश और दिखावे का तरीका इस्तैमाल किया जाता। यही चीज उन पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिगरियां लिए हुए लोगों के दिमाग में आती हैं। आज आपके पास किसान को तरगीब देने के लिए क्या चीज है कि वह अपना चार कनाल खेत कोआपरेटिव फार्म के हवाले कर दे और खुद बैठा तमाशा देखे। वह इस चार कनाल में मेहनत करके सब्जी उगाता है, कभी गेहूं उगाता है, कभी चावल उगाता है और उसी में किसी न किसी तरह से अपने बाल बच्चों का गुजारा करता है। अब उसको तरगीब देने वाले

कहते हैं कि तुम यह जमीन दे दो और फलां भाई के साथ मिल जाओ और उसके बाद तुम्हारी कोआपरेटिव फार्म हो जाएगी । मैं अपना मफाद समझता हूं । किसान अपना मफाद समझता है । लेकिन कोआपरेटिव फार्म बनाने के लिये आप उन को कोई इंसेंटिव नहीं देते हैं । आप इस बात का इन्तिजाम नहीं करते कि जब तक कोआपरेटिव फार्म बनेगा, उसकी रिजस्ट्री होगी, उसके लिए लोन मिलेगा और दफ्तरी और बाबूआना कार्रवाईयां होंगी, उस वक्त तक किसान का काम कैसे चलेगा । इस सारे काम के होने में एक साल लग जाएगा । उसके बाद उस को फस्ल मिलेगी । उस वक्त के लिये अगर आप किसान के लिये कोई इन्तिजाम नहीं करेंगे तो कोआपरेटिव फार्म कैसे बनेगा ।

लम्बी लम्बी तकरीरों से और बड़ी बड़ी रिपोर्टों से यह तहरीक अवाम में नहीं जा सकती । किसान समझता है कि कोआपरेटिव तहरीक मेरी जिन्दगी का हिस्सा है और मेरे बालबच्चों और देश के लिए इसी में कल्याण है । लेकिन उसमे रुकावट डालने वाली यह उनको मुंजिम करने वाली ऐजंसी ही है, जो लोग कि थ्योरीज़ पढ़ कर चले आते हैं और किसानों को समझाते हैं अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो जमीन में से सोना निकलेगा । किसान समझता है कि सोना निकल सकता है और उसने इन्तहाई कोशिश करके अपने चार कनाल में से सोना निकालने की कोशिश की है और सोना निकाला है । और वह यह भी जानता है कि जब हम चार भाई इकट्ठा हो जायेंगे तो सोना जरूर निकलेगा । लेकिन जो अड़चन और रुकावट हमारे सामने आती हैं वह हमारे मुस्तकबिल को अंधेरा कर देती हैं । मुझे पता नहीं कि मैं अपना चार कनाल दे दूंगा उसके बाद मेरा क्या होगा और मैं कहां जाऊंगा । इसके लिए निहायत गौर से सोचने की जरूरत है और मौजूदा तरीके कार में तबदीली करने की जरूरत है । यह कहना सही नहीं है कि लोग कोआपरेटिव तहरीक से आगाह नहीं हैं । पहले आप एक सोसाइटी बनाते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं । हर कानफरेंस के बाद उसका नाम बदल देते हैं, मल्टी परपज सोसाइटी से उसको लार्ज स्केल बनाते हैं, फिर स्माल स्केल बनाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आपने १५ साल तक सोचा है । उस पर तजरबा कर लीजिये अगर गलत होगा तो मालम हो जायेगा ।

आपको यह नहीं समझना चाहिए कि किसान पढ़ा नहीं है इसलिए वह कोआपरेशन के फायदे नहीं जानता । वह जानता है कि अगर हम चार भाई मिल कर काम करेंगे तो हमारा भला होगा । मैं कहना चाहता हूं कि आप रोजाना इन सोसाइटियों के पैटर्न न बदले । किसान अपनी जमीन देने को तैयार हैं । कोई ऐसा किसान और गांव वाला नहीं है जो अपने हमसाये के साथ मिल कर काम न करना चाहता हो । लेकिन उसको जराये और वसाइल मुहय्या करने की जरूरत है । जो एक साल या डेढ़ साल सोसाइटी की कार्रवाई में लगेगा तब तक के लिए किसान के खाने पीने का और उसके बाल बच्चों का इन्तिजाम होना चाहिए ।

एक बात और है । जब हम सौ आदमी मिल कर काम करेंगे तो उस में बहुत से बाहर निकल जायेंगे, जिनके पास कोई काम नहीं होगा । पहले तो मैं अपना सारा वक्त अपने खेत में लगाता था और मुझे कोई और अहसास नहीं था । अब आपने अहसास करवा दिया । तो जो मेरे पास फालतू वक्त होगा उसमें मैं क्या काम करूंगा ? आप कहेंगे कि मुर्गीखाना खोल लो, या कोई कैश क्राप करने लगो । तो मुझे कोई काम चाहिए । मैं खाली नहीं बैठ सकता । मुझे बेकार बैठने की आदत नहीं है । मैं इस देश में बदकिस्मती से ऐसे दौर में पैदा हुआ हूं जब मैं आराम नहीं कर सकता, आराम मेरे नसीब में नहीं है । तो मुझे काम की जरूरत है । उसका आपको इन्तिजाम करना चाहिए ।

[श्री समनानी]

तो यह जो रिजोल्यूशन है उसकी मैं ताईद करता हूं। लोगों में इस काम के लिए रूह फूंकने के लिए, जोश पैदा करने के लिए, टैम्पो लाने के लिए यह जरूरी है कि इसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाये।

मैं निहायत सफाई से कहूंगा अपने तजरबे की बिना पर कि मैं ने देखा है कि किसान कोआपरेटिव तहरीक में शामिल होने को तैयार हैं लेकिन उस में दिखावा नहीं होना चाहिए जैसा कि मैंने पिछली दफा भी कहा था। इस काम के अमल में नुमायश और दिखावा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दिखावा सारी रूह को फना कर देता है। आप गांव वालों से कहते हैं कि तीस चालीस मेम्बर बना लो और तुम्हारी सोसाइटी बन जायेगी। लेकिन उसमें आप एक्स सरविस मैन को भी लाते हैं। एक स्कीम में सब को ले आना चाहते हैं। अब आप देखें कि यह एक्स सरविस मैन कोआपरेटिव फार्म से चालीस मील दूर रहता है। वह कैसे उसमें काम करेगा और कहां रहेगा ये चीज सोचने की हैं। तो आपको दिखावे को छोड़ कर लोगों की ख्वाहिशात और मंशा पूरा करना चाहिए। आप उनको ज़राये दीजिये और वे खुद ब खुद आगे आयेंगे। जम्मू और काश्मीर में और दूसरी स्टेट्स में भी मैं ने देखा है कि छोटे छोटे किसान कहते हैं कि हमें इकट्ठा होने दीजिये, रजिस्ट्रार वगैरह की क्या जरूरत है। लेकिन वह एक सवाल पूछते हैं कि हम जो इकट्ठा होंगे तो हम में से जो पचास आदमी बेकार होंगे उनका क्या होगा और इस सवाल का उनको जवाब नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि यह बात तुम को रजिस्ट्रार बतायेंगे या फलां साहब बतलायगे। वे लोग पूछते हैं कि इन लोगों का गुजारा कैसे होगा। उसका जवाब उनको नहीं मिलता। तो इस तहरीक में से इन खामियों को दूर करके इसमें गवर्नमेंट को अमलन कोशिश करनी चाहिए।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है कि प्रत्येक राज्य में सहकारी कृषि समितियां बनाई जायें इसका मैं विरोध करता हूं। इसके आने से जो समिति बनेगी वह भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोलेगी। जो चालाक लोग हैं वे ज्यादा हाथ मार जायेंगे और जो गरीब किसान हैं और खुद अपने हाथ से खेती करते हैं उनको उतना हिस्सा नहीं दिया जायेगा जितना उनको मिलना चाहिए। जहां जहां यह योजना बनी है वहां का यही हाल रहा है। मैं आपको मध्यप्रदेश में एक स्थान का उदाहरण देना चाहता हूं। उस स्थान का नाम सहारनपुर है। वहां एक समिति बनी थी। उसमें कई काश्तकारों को शामिल किया गया था। वह सोसाइटी आज चार लाख के घाटे में चल रही है और जिन किसानों ने जमीन दी थी वे अपना घर बार छोड़ चले गये हैं। ऐसी योजनायें सफल नहीं हो सकतीं।

आपने सुना होगा कि चीन में ऐसी योजना बनायी गयी थी। परन्तु वह असफल हो गयी है और इस कारण आज जो चीनी सेना हमारे देश पर आक्रमण कर रही है उसके पास खाने पीने का प्रबन्ध नहीं है। वह आज अन्न संकट में है। इस वक्त अच्छा मौका है कि हम उसको देश के बाहर खदेड़ दें।

†**श्री गौरी शंकर** (फतहपुर) : मैं इसका विरोध नहीं करता और सहकारी खेती के सिद्धान्त से पूरी तरह सहमत हूं किन्तु मैं समझता हूं कि यह संकल्प समय से पहले आया है। क्योंकि सहकारी खेती के बारे मे इस समय काफी गलतफहमी है। यह प्रचार किया जा रहा था कि लोगों से भूमि बलपूर्वक ले ली जायेगी और वे स्वामी नहीं रहेंगे। हम सहकारी खेती संस्थाएं स्वेच्छा से बनायें

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये और जबरदस्ती नहीं। हमें पहले सेवा सहकारी संस्थाओं का काम रखना चाहिये। और ग्रामीण लोगों को यह समझने का मौका देना चाहिये कि सहकारी आन्दोलन क्या है और इस के पक्ष में वातावरण पैदा किया जाना चाहिये।

कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह देखा गया है कि सहकारी आंदोलन चलाने में राजनैतिक गठ जोड़ भी होता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि सहकारिता आन्दोलन राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिये और इसे केवल आर्थिक विकास तक सीमित रहना चाहिये।

मैं समझता हूं कि संशोधन और मुख्य संकल्प में कोई भेद नहीं है। संशोधन में अग्रिम परियोजना शुरू करने का उल्लेख है। वास्तव में सेवा सहकारिता संस्थायें चलाना सहकारी खेती लाने की दिशा में पहला कदम है। वह प्रयोग शुरू रखना चाहिये और किसानों को अनुभव करना चाहिये कि उन से उन्हें लाभ हो रहा है। फिर वे स्वयं सहकारी खेती की ओर आकर्षित होंगे। यदि आप संकल्प या विधान पारित कर के लागू करना चाहें, तो इस समय लाभदायक नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि इसे फिलाहल वापस ले लिया जाये।

श्री शिवनारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव फ़ार्मिंग इस देश के लिये निहायत ही लाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु आज हमारे यहां जो लोग खेती को आकुपाई किये हुए हैं, खेतो पर कब्जा किये हुए हैं, उन में से कोई पार्लिमेंट के मेम्बर हैं, कोई सर्विस में हैं। आज गांवों में मजदूरी बढ़ती जा रही है और मजदूर नहीं मिलते हैं। अगर मिल कर खेती की जाये, तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, बेकारी की समस्या हल होगी और लोग मिल कर बैठना सीखेंगे। उस से देश को हर दृष्टि से लाभ होगा।

आज गांव की स्थिति यह है कि मेरे पास दो बीघे खेत है और एक बैल है; दूसरे के पास पांच बीघे जमीन है और एक बैल है और इसी तरह तीसरे के पास सात बीघे खेत है और एक बैल है। अलग अलग काम करने की वजह से ठीक वक्त पर खेती किसी की नहीं हो सकती। अगर सब लोग अपने अपने खेतों को एकत्र कर लें, तो सब बैल इकट्ठे हो जायेंगे और आषाढ़ के महीने में ठीक वक्त पर जुताई और हेंगाई की जा सकती है, जिस से हमारी फ़सल अच्छी और ज्यादा हो सकती है। आज गांवों में यह हालत है कि खेत अलग अलग होने की वजह से कोई मेड़ पर से घास भी नहीं छोलने देता। अगर को-आपरेटिव फ़ार्मिंग और को-आपरेटिव संगठन हो जायगा, तो रिज़ल्ट यह होगा कि सब किसान फले-फूलेंगे और सुखी और समृद्ध होंगे।

यह ठीक है कि को-आपरेटिव फ़ार्मिंग का नमूना, को-आपरेटिव सिस्टम फ़ारेन कंट्रीज़ से लोगों ने लिया है। डेनमार्क एक ऐसा छोटा सा मुल्क है, जो को-आपरेटिव बेसिस पर काम कर के अंडे, दूध और दूसरी ऐसी चीज़ें बेच कर अपना गुजारा करता है। लेकिन हमारे देश के लोग आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और दूसरों की कमाई पर जीवित रहना चाहते हैं।

जिन लोगों के मन में कपट और शंका है, जो इनडायरेक्ट बात करते हैं, वे खुले रूप से को-आपरेटिव फ़ार्मिंग का समर्थन नहीं करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाये कि बड़े बड़े लोग गवर्नमेंट में, असम्बलीज़ में और यहां भी हैं, जो इस विषय में हिचकते हैं और पब्लिक को फ़ेस नहीं करते हैं। हमने इलेक्शन्ज़ में पब्लिक को फेस किया। हमने उनको कहा कि हमें वोट दो या न दो, लेकिन

[श्री शिवनारायण वांसी]

को-आपरेटिव फ़ार्मिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे मुल्क का और मुल्क के बड़े बड़े विद्वानों का मिशन है। यु विल हैव टू फ़ेस इट, आपको इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन इसको फेस करते हुए आप घबराते हैं। मुल्क की जो परिस्थिति है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज अमरीका वाले, क्यूबा वाले जितनी जमीन में हम पांच मन पैदा करते हैं, उतनी जमीन में बीस बीस मन पैदा करते हैं। हमें भी उतना ही पैदा कर के दिखाना चाहिये। बहुत कम धान और जरहन इत्यादि की पैदावार हमारे यहां होती है। इसका फ़ी एकड़ एवरेज बहुत कम पड़ता है। मैं तराई के इलाके से आता हूं जहां पर धान ही धान होता है। लोग कहते हैं कि जापानी मैथड अपनाओ। लेकिन जापानी मैथड क्या है ? हमारी अपनी ही चीज को आप जापानी मैथड का नाम दे देते हैं। आज हमारा किसान उस चीज को भूल गया है। हमारे देश के बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं उस पार, उन से मैं कहना चाहता हूं कि उनमें आपस में आज कोओप्रेशन नहीं है, यह जो कोओप्रेटिव फार्मिंग है कैसे कामयाब हो सकता है। उनका अगर कोओप्रेशन ठीक ठीक मिल जाए तो हर काम ठीक हो सकता है। मेरे एक मित्र ने कहा कि ये सहयोग नहीं करते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। सही मानों में आपके अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। जब काम नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी कभी रजिस्ट्रार के सिर है पर थोप दी जाती है और कभी किसी और के सिर पर डाल दी जाती है। अगर कहीं पर गबन और लूट होती है तो उसको आपको चैक करना चाहिये। उस प्रवृत्ति पर आपको ब्रेक लगनी चाहिये।

अन्त में म इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो चीज़ है यह बड़ी सुन्दर है और इसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : मैं प्रस्तावक का इस संशोधन के लिए धन्यवाद करती हूं। उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें एक सहकारिता की भावना पैदा करनी है, क्योंकि सहकारी खेती संयुक्त खेती से बिल्कुल भिन्न है।

सेवा सहकारी संस्थाओं और सहकारी खेती संस्थाओं के बारे में कोई प्रतिवाद नहीं है। ग्रामीण जीवन में तीन स्तम्भ ग्रामीण स्कूल, ग्राम सपकारी संस्था और ग्राम पंचायत है। भूमि सुधार बहुत धीरे हो रहा है। राज्य सरकारों को इस कार्य में शीघ्रता लानी चाहिये।

जहां तक मुझे मालूम है, किसी भी सहकारी फार्म के साथ कोई कृषि वैज्ञानिक सम्बद्ध नहीं है। इन्हें अवश्य सम्बद्ध करना चाहिये। इसके साथ रेगिस्तान में सहकारी फार्म शुरू करने का भी कोई लाभ नहीं है।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गरीबों की स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। आज बिहार में, हजारीबाग और पालामऊ जिलों में उन लोगों के पास रहने तक के लिए झोंपड़ा नहीं है। आप जानते हैं कि ये गर्मी के दिन हैं और इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी सख्त धूप पड़ती है कि वह बर्दाश्त नहीं होती है। इस कड़ाके की धूप में अगर गरीब लोगों के पास झोंपड़ा रहने के लिये और सिर छिपाने के लिये न हो, तो उनकी कैसी दुर्दशा हो सकती है, इसका आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। किस तरह से उनके बाल बच्चे रहते हैं, इसका आप अन्दाज़ा लगायें। पेट भर खाने के लिये उनके पास नहीं है, तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है, रहने के लिये जगह नहीं है। मैं चाहती हूं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान करे और उनको कुछ राहत पहुंचाये।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में तो आज सैकड़ों हजारों घर बन चुके हैं लेकिन यहीं दिल्ली में ही कितने ही ऐसे गरीब हैं जिनके लिये कोई अनाथालय तक नहीं बनाया गया है, जिनके लिये एक घर तक नहीं बनाया गया है। उनके पास आज जमीन तक भी नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव कोआप्रेटिव फ़ार्मिंग के बारे में है। इसी पर आप बोलें।

श्रीमती शशांक मंजरी : उनके पास आज खेती करने के लिये ज़मीन नहीं है। आपको चाहिये कि आप उसको ज़मीन दें। उसको आपको चाहिये कि घर बनाने के लिए कर्जा दें। आप मकान बनाने के लिये कर्जा तो देते हैं लेकिन गरीब आदमी को कर्जा नहीं मिलता है और अगर कभी मिल भी जाता है तो उसमें से दस परसेंट काट लिया जाता है। आपको चाहिये कि आप गरीबों को कर्जा दें ताकि वे अपने लिये मकान बना सकें।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि उनके पास खेती की जो ज़मीन है वह बहुत थोड़ी है। उनके पास करने के लिये और कोई काम नहीं है, कोई बिज़िनेस नहीं है। ऐसी हालत में गवर्नमेंट को चाहिये कि उनकी वह मदद करे, गवर्नमेंट को चाहिये कि उनको कर्ज देकर के, उनकी ज़मीन की उन्नति करे। आपको, मैं अन्त में यही कहना चाहती हूं, कि घरों के मामले में जो उनकी हालत बहुत खराब है, उसको सुधारने की आप कोशिश करें और उन लोगों को इस काम के लिये कर्जा दें।

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: यद्यपि मैं संकल्प को अनावश्यक समझता हूं, मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं सहकारी खेती संस्थाओं और सेवा सहकारी संस्थाओं के बारे में स्थिति सदन को बता सकूंगा। इस संकल्प को तीन या चार भागों में बांटा जा सकता है। इस देश में सहकारिता का जीवन बहुत रंगीन रहा है। यह बीसवीं शताब्दी के शुरू में ऋण आन्दोलन के रूप में आरम्भ हुआ था। पन्द्रह साल बाद हमने गैर-ऋण आन्दोलन के रूप में भी धारण कर लिया। आजादी के समय तक यह आन्दोलन बहुत सीमित रहा।

सहकारी आन्दोलन की असफलता तीन कारणों से हुई है। पहला है इनका क्षेत्र, दूसरी जन संख्या और तीसरा ऋण। आजादी के समय देश के २० प्रतिशत ग्रामों में ऋण संस्थाएं थीं। ये अधिकतर एक प्रयोजन की ऋण संस्थाएं थीं। ये केवल ८ प्रतिशत कृषि जनसंख्या पर लागू होती थीं और प्रत्येक सदस्य को ४० या ४५ रुपये ऋण दिया जाता था। आन्दोलन के ४५ वर्ष बाद में परिणाम था पिछले दस वर्षों में सहकारी संस्थाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। रिजर्व बैंक ने एक ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति स्थापित की थी। पिछले दस वर्षों में हम यह नहीं कह सकते, कि सब कुछ कर लिया गया है किन्तु हम कह सकते हैं कि ६० प्रतिशत ग्रामों में सेवा सहकारी संस्थायें स्थापित कर दी गई हैं और देश की ३३ से ३५ प्रतिशत जन संख्या को इसके अन्तर्गत लाया जा चुका है। प्रत्येक सदस्य को ४० रुपये की बजाय १२० रुपये ऋण दिया जाता है। १९६०–६१ को कृषकों को २२० करोड़ रुपये तीन प्रकार के कर्जों में दिये गये। अल्पकालीन ऋण १८५ करोड़ रुपये से अधिक थे। १९५०–५१ में यह आंकड़े २३ करोड़ रुपये थे। इसका अर्थ है, गत दस वर्षों में इसका दस गुणा दिया गया।

किन्तु योजना की एक त्रुटि यह थी कि गरीब लोगों को कम ऋण मिलता था।

१९६० में श्री बैकुंठलाल मेहता के अधीन एक समिति नियुक्त की गई थी। इसकी सिफारिशें बहुत उपयोगी थीं। जमानत के बिना, छोटे भूमिधारियों को कुछ राज्यों में ५०० रुपये से २००० रुपये तक ऋण दे दिया जाता है और वह भी केवल दो हस्ताक्षरों पर।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती शशांक मंजरी]

यह स्थिति सही नहीं है कि एक प्रयोजन वाली संस्थाओं को दूसरे दिन बहु-प्रयोजनीय और तीसरे दिन सेवा सहकारी संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, इस समय देश में २,११,००० कृषि ऋण संस्थाएं हैं। सरकार उनके सेवा सहकारी संस्थाएं होने का दावा नहीं करती। इन में ७५,००० सेवा सहकारी संस्थायें हैं। हमारी योजना यह है कि तीसरी योजना के अन्त तक कुल २,३०,००० संस्थाओं में से . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संकल्प में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ राजतंत्र में कम से कम एक कृषि संस्था स्थापित की जाये।

†**श्री श्यामधर मिश्र :** मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। कुछ सेवा सहकारी संस्थाएं अब भी बहु प्रयोजनीय हो गई हैं। पश्चिम उतर प्रदेश में ऋण को गेहूं के क्रय-विक्रय से सम्बद्ध किया गया है और गुजरात में रुई के साथ, महाराष्ट्र में गन्ने के साथ जम्मू और काश्मीर में चावल के साथ। और ये सहकारी संस्थायें २६ करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरक, बीज और उपकरण बेच रही हैं।

यदि सहकारी कृषि के बारे में प्रस्तावक का संकल्प या संशोधन मान लिया जाये, तो इस का अर्थ होगा पीछे की ओर जाना। हम संकल्प को स्थिति से बहुत आगे जा चुके हैं। संकल्प के अनुसार हमें २० या २५ संस्थाएं स्थापित करनी होंगी। परन्तु आज स्थिति क्या है। तीसरी योजना में हमारी ३२० अग्रिम परियोजनाएं होंगी सहकारी खेती की।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या यह कृषि सहकारी संस्थाएं सरकारी भूमि पर बनाई जाती हैं या स्वेच्छा से ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** हमारी योजना है कि अग्रिम जिलों में ३२०० संस्थाएं हों और गैर-अग्रिम जिलों में ४०००। इनका काम यह होगा कि वे निकटवर्ती क्षेत्रों, खंडों और जिलों में संस्थाओं की उपयोगिता का प्रदर्शन करें। प्रत्येक जिले में १० से २० तक संस्थाएं होंगी। श्री मल्होत्रा के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि केवल १५ से २० प्रतिशत संस्थाएं सरकारी बंजर भूमि पर हैं। जम्मू और काश्मीर में ६ को ६ सरकारी भूमि पर हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश में १५१ संस्थाओं में से १५१ फार्म भूमि पर हैं। यह प्रतिशतता ६५ है। इसी तरह पंजाब में ६३ संस्थाएं कृषकों ने स्थापित की हैं और ९ सरकारी बंजर भूमि पर स्थापित की गई हैं। मैं अन्य राज्यों के बारे में भी आंकड़े दे सकता हूं।

†**श्री समनानी :** उन्होंने यह कहा इसलिए मैं पूछना चाहता हूं . . .

†**श्री श्यामधर मिश्र :** मुझे अपना भाषण जारी रखने दिया जाये।

सीधी बात है कि १९६१–६२ में लगभग ७०० संस्थायें बनी। १५५ विशेष परियोजना क्षेत्रों में अब भी काम कर रही है। यह जो बात कही गयी है कि वे सेवा सहकारिता संस्थायें केवल कागज़ पर ही और काम कुछ नहीं कर रही, उसके लिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को स्वयं इन संस्थाओं के कार्य को जाकर देखना चाहिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि विशेष परियोजनाओं को आरम्भ करने से पूर्व देश भर में ४००० संस्थायें थीं। कोई संयुक्त कृषि संस्थायें कहलाती थी कोई पट्टेदार कृषि संस्था के नाम से प्रचलित थी और कई ऐसी थी जो सामुहिक कृषि संस्था नाम से थी। प्राय: ये तीन प्रकार की थी। ये सब समाप्त हो गयी। इन सब का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से २५०० ऐसी थीं जिन्हें संयुक्त सामुहिक कृषि संस्थायें कहा जा सकता था। इसलिए सरकार इनकी सहायता करती है। अंश पूंजी के रूप

†मूल अंग्रेजी में

में भी धन की सहायता दी जाती है । अच्छी व्यवस्था करने के लिए भी धन की सहायता की जाती है और अनुदान और ऋण देकर भी सहायता की जाती है । इस प्रकार की सहायता सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थायों को दी जाती हैं ।

एक बात यह कही गयी थी कि ये संस्थायें स्वयं सेवक संस्थायें नहीं हैं । हमारा किसान सेवा सहकारिता का अर्थ ही नहीं समझ सकता । केवल इन संस्थाओं को बनाने वाले अधिकारी ही इससे लाभ उठाते हैं । यह ठीक है कि इस देश में ऐसी अवस्था है कि सहकारिता आन्दोलन को सरकारी प्रयत्नों द्वारा आरम्भ किया गया । परन्तु मेरा निवेदन कि अविकसित देशों में प्रायः ऐसा ही होता है । पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में लंका और जापान समेत, इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा ही था । परन्तु हम प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते, आखिर आगे तो बढ़ना ही है, लोगों में चेतना लानी है, अतः सरकार सहकारी कृषि की हर प्रकार से सहायता देने को तैयार है । मैं मैसूर राज्य का एक उदाहरण देता हूं । हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि सहकारी खेती के लिए कोई सरकार की ओर जबरदस्ती नहीं की जायेगी, इसे लोग अपनी इच्छा से करेंगे तो सरकार सहायता देगी । मैसूर राज्य की बाघीनीरा सहकारी संयुक्त कृषि संस्था का निर्माण इन्हीं लाइनों पर हुआ । इसका निर्माण १६५६ को हुआ । प्रारम्भ में इसके १०१ सदस्य थे और इनके पास २८४ एकड़ गैर-सरकारी निजी भूमि थी । सदस्य संस्था के कार्य से सन्तुष्ट नहीं थे । कारण कुछ आन्तरिक कठिनाइयां थीं और कुछ बाहर की रुकावटें थीं । परिणाम यह हुआ कि सदस्य संख्या कम होकर दो ही वर्षों में ३२ रह गयी और भूमि भी केवल ३२ एकड़ बाकी रह गयी । संस्था कार्य करती रही और भूमि के विकास का कार्य होता रहा । यह एक उदाहरण है इस प्रकार के और भी कई उदाहरण हैं जहां कि लोगों की अपनी मर्जी से इस प्रकार की संस्था बनी है । जिसकी इच्छा थी वह सदस्य बना जिसकी नहीं थी वह निकल गया, कोई जबरदस्ती हमारी ओर से नहीं की गयी । हां यह जरूर है कि हम इस मामले में प्रोत्साहन जरूर देते हैं और देते रहेंगे । यह हमारी नीति है । मैं सदन के समक्ष ऐसी शुद्ध सहकारी संस्थाओं की सूची प्रस्तुत कर सकता हूं जो कि प्रत्येक राज्य में बहुत ही सफलता से चल रही है । सारी सूची तो मेरे हाथ में है परन्तु सारी तो पढ़ने में समय लगेगा, कुछ एक के नाम बताता हूं ।

महाराष्ट्र की धूलिया संस्था, जिसे १६६०-६१ में विशेष परियोजना क्षेत्र में आरम्भ किया गया था । इसका काम बहुत ही अच्छा है । एक ही वर्ष में उत्पादन बढ़ गया है । संस्थाओं के पुनर्गठन में इस क्षेत्र में पांच छः अन्य संस्थाओं का भी विकास हो गया है जो कि विशेष परियोजना क्षेत्र नहीं है । इसी तरह इसी क्षेत्र में नवयुग सहकारी संस्था है । उत्तर प्रदेश में शिवपुर के पास खेमपुर संस्था है । इसी तरह सूची में और है । मैंने तो सलाहकार समिति के सदस्यों और संसद् सदस्यों को निमन्त्रण दिया था कि वे स्वयं जाकर इन संस्थाओं के कार्य को देखें और जो भी कमियां उन्ह महसूस हो उन्हें बतायें । हमारा तो यह है कि सहकारिता के लिए जो कुछ हमसे सम्भव है वह हम कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों और गैर-सरकारी संस्थाओं से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सहकारिता आन्दोलन के प्रसार में हमारी सहायता करे । बिना गैर-सरकारी संस्थाओं और स्वयं सेवक की सहायता के हम कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते ।

हमारी बहुत सी समस्यायें हैं और अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उन्हें हल करते हुये हम आगे बढ़ रहे हैं । दूसरी योजना के लक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं और तीसरी योजना के प्राप्त करने की हमें पूरी आशा है । कमियां और कठिनाइयां हैं और समस्यायें भी हैं । सब से बड़ी कठिनाई गैर-सरकारी नेतृत्व की है और प्रशासनिक कठिनाइयां हैं जिन्हें हम हल करने का पूरा प्रयन्न

[श्री श्यामधर मिश्र]

कर रहे हैं । प्रस्ताव के अन्त मे जन सम्पर्क साधनों के उपयोग की बात जो प्रस्तावक महोदय ने कही है उसका अधिक प्रचार नहीं हो पाया । एक ओर वह यह कहते हैं और दूसरी ओर वह स्वयं ही फरमाते हैं कि हमारा मंत्रालय मेलों और सम्मेलनों का मंत्रालय होकर रह गया है । अब इन दो परस्पर विरोधी बातों को हम कैसे एक कर सकते हैं । हमने कृषि सेवा सहकारिता पर साहित्य प्रकाशित करवाया । व्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू किया गया है । तीसरी योजना के अन्तर्गत इस प्रकार का बड़ा ही व्यापक कार्यक्रम है । एक हजार दल सारे भारत के जिलों में घूम घूम कर इस कार्यक्रम को जनता के निकट ले जाते हैं । इन सब से यह आशा की जाती है कि लोगों मे सहकारिता की चेतना फैल जायेगी । सरकार की नीति भी यह है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच एक सहकारिता क्षेत्र का निर्माण किया जाय । इसके बिना तो इस देश का न कल्याण हो सकता है न गरीब किसान आगे ही बढ़ सकता है । सहकारिता समाजवादी-समाज की स्थापना की ओर प्रथम पग है । गरीबों के हित की बात यही है । अतः मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह संकल्प और संशोधन वापिस ले ले । संकल्प में जो कुछ कहा गया है उससे कहीं अधिक वास्तव में कार्य हो रहा है, और आशा है कि हम तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे । फिर भी इस से इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिल गया यह अच्छा ही हुआ ।

श्री तुलाराम (घाटमपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो को-आपरेटिव इस समय चल रहे हैं, उनसे पैदावार कितने परसेन्ट ज्यादा हुई है । को-आपरेटिव के जरिए से जो खेती होती है, वह कितने परसेन्ट ज्यादा है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यह तो मैने ऊपर बताया है । खेती की वृद्धि १ से ५० प्रतिशत तक की है । इस बारे में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया गया । यह कार्यक्रम स्वीकार भी गत वर्ष ही हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : गवर्नमेंट कहती है कि एक हजार की को-आपरेटिव सोसाइटी बनाई जाये, जब कि रिजर्व बैंक कहता है कि चार, पांच हजार की बड़ी सोसायटी बनाई जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन में से कौन सी बात सही है ।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : गांव सहकारिता संगठन में गत १०-१५ वर्ष में ग्रामीण समिति के सर्वेक्षण के अनुसार ४०००, ५०००, ६००० की जनसंख्या मे ही बहुत सी संस्थायें बनी । बाद में यह निश्चय किया गया कि सहकारिता समिति केवल १००० की जनसंख्या में बननी चाहिए । बाद में किसी विरोध की भावना से नहीं प्रत्युत वैसे ही मेहता समिति की सिफारिश और रिजर्व बैंक के परामर्श से यह फैसला कि १००० मे ३००० की जन संख्या में एक सहकारी संस्था बननी चाहिए । यह निर्णय स्वीकृत हो गया था ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मुझे इस बात का हर्ष और सन्तोष है कि सहकारी खेती के सिद्धांत के सम्बन्ध में हम सब एकमत है । मेरे संकल्प से सहकारी खेती की हवा बनी है इससे मुझे प्रसन्नता है । इस संकल्प को प्रस्तुत करने का प्रयोजन हो यही था कि सभा में सहकारी खेती के पक्ष में वातावरण उत्पन्न हो । इस दिशा में मुझे सफलता मिली है । मेरा इस बारे में निवेदन है कि सरकार हमें इस दिशा में किये गये अपने कार्य की सक्रियता के बारे में हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री महोदय ने बार-बार आंकड़े ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है ।

मेरी धारणा है कि यदि हमें अपने कार्यक्रम में सफल होना है, तो हमें इस मामले में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिये। इस दिशा में काम की गति को तीव्र करने के भी उपाय निकाले जाने चाहिए। क्योंकि इस के लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, अत : मैं सदन की अनुमति से अपना संकल्प वापिस लेता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री ब० कु० दास अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

†**श्री ब० कु० दास** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री ब० कु० दास का संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इस संकल्प को वापिस लेने की सभा की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा अगला संकल्प लेगी ।

श्री बालमीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :—

> "इस सभा की यह राय है कि देश भर में यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण करने के हेतु कि अस्पृश्यता कहां तक दूर हो गयी है और हरिजनों और दलित वर्ग के लोगों ने कितनी आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा राजनीतिक प्रगति की है और इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए संसद् सदस्यों और गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

चौदह वर्ष की आजादी के पश्चात् भी इस सदन में इस प्रकार का एक विचार इस प्रस्ताव के रूप में आए, यह बहुत बेहतर मुझे नहीं लगता है। लेकिन आज भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाये, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो हरिजन और दलित लोगों की समस्या विकट है ।

इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस विचार पर कुछ कहने के लिए, एक और विचार मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में केवल हरिजनों तथा दलितों की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है। मेरे कुछ मित्र जिनके दिलों में जन-जातियों के प्रति प्यार है, और जो पिछड़ी जातियों के बारे में सोचते हैं, वे कहेंगे कि क्यों उन सब को छोड़ दिया गया है जबकि संविधान में इन सब का समावेश किया गया है । मैं बहुत विनयपूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक पिछड़ी जातियों का सम्बन्ध है, आर्टिकल ३४०, संविधान के अनुच्छेद ३४० के अनुसार देश के राष्ट्रपति ने बैक्वर्ड क्लासिज कमीशन कायम किया जिसके चेयरमैन माननीय काका साहब कालेलकर थे और उस कमीशन की रिकोमेंडेशन्स सौभाग्य से सरकार के सामने हैं। उन रिकोमेंडेशन्स पर कहां तक अमल हुआ है और कहां तक नहीं हुआ है, इसको सरकार जानती है, देश की जनता जानती है, आप जानते हैं। और मैं भी जानता हूं। जंगलों में रहने वाले हमारे भाई जो जन-जातियों के हैं उनको भी एक विकट समस्या है जिसकी तरफ सभी का ध्यान गया है। आदिम जाति सेवक संघ जैसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाल्मीकी]

संस्था ने तथा अनेक महापुरुषों ने और यहां तक कि बापू जी ने भी हरिजनों की समस्या के साथ-साथ उधर भी विशेष ध्यान दिया है। हमारे मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं और उनका भी उधर ध्यान गया है। संविधान के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार एक ट्राइबल कमीशन भी नियुक्त किया गया था जिसके चैयरमैन माननीय यू० एन० ढ़ेवर साहब थे और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के सामने है। उसकी रिकोमेंडेशन्स पर भी अमल होना चाहिये। बैक्वर्ड क्लासेज़ कमीशन ने भी हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दिया है और साफ तौर से कहा है कि देश में अस्पृश्यता की विभीषिका आज भी देश के अनेक भागों में और विशेषकर ग्रामों में विद्यमान है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जन-जातियों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए कमीशन आ जाने के बाद अब जो परिगणित जातियां हैं, हरिजन और अन्य दलित जातियां हैं, उनके लिए भी इस प्रकार का एक कमीशन या इस प्रकार की एक कमेटी होनी चाहिये। अगर इस तरह की मांग की जाती है तो मैं समझता हूं कि यह न तो कोई अनुचित मांग है और न ही गलत मांग है बल्कि यह मांग बिल्कुल जायज़ मांग है।

अब मैं अपने मकसद की ओर आता हूं। अथर्व वेद का मंत्र है :—

मा जीवेभ्य : प्रमद :

इसका अर्थ है, जीव के प्रति प्रमाद न किया जाए। किन्तु उसके प्रति प्रमाद किया जाता है। अस्पृश्यता की समस्या, मानवीय दृष्टि से देखा जाये तो एक ऐसी समस्या है कि जिसकी ओर अनन्तकाल से ऋषियों, महर्षियों और देश के महानतम नेताओं का ध्यान गया है और हमारे देश ने मनुष्य के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया है। वेदों में सब मानवों को अमृत पुत्रः कहा गया है। लेकिन अमृत पुत्र का अमृत पुत्र के द्वारा आज भी अपमान, आज भी अवहेलना होती है, आज भी उसको दूर दूर किया जाता है। मानव प्रेम सम्पूर्ण सन्त महात्माओं ने मानव-मानव में सम्मान तथा प्रेम के लिए एक विशेष मार्ग की ओर मानव जाति का ध्यान आकर्षित किया था। मैं इसको बंग सन्त चंडीदास जी के शब्दों में कहना चाहता हूं :—

"सबार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर नाहीं।"

सब से ऊपर और सब से बढ़ कर मनुष्य हैं, उससे बढ़ कर कोई नहीं है। लेकिन आप भी हमारे देश में मानव की महानता को लांछित करने वाले ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिन में जातीय अभिमान है, सुपीरियारिटी कम्पलैक्स है और आज भी वे मानव का अपमान करते हैं और मानव को गर्हित समझते हैं।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

अनेक घटनायें इस पैशाचिक, असामाजिक, विद्वेषात्मक अस्पृश्यता के कारण घटित होती हैं, जिनको हम कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। आज भी केवल इस अस्पृश्यता के कारण देश के अन्दर अत्याचार, कत्ल, आगज़नी, लोगों को ग्रामों से भगाना, झूठे आरोप लगाकर उनको फंसाना, आदि जैसी असामाजिक घटनायें सारे देश के अन्दर घटित होती हैं। आप भी जो हमारे दिलों पर गुज़रती है वह किस से कहें? यहां सुनता कौन है? संविधान में जो अनुच्छेद १७ है मैं केवल उसकी भावना आप के सामने रखना चाहता हूं और देश की संविधान निर्मात् परिषद्, संविधान निर्माता तथा देश के संविधान परिषद् के नायक के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, कि उन्होंने इस अनुच्छेद में यह भावना रक्खी थी कि अस्पृश्यता का निवारण किया जाये और उसके प्रत्येक रूप पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। अस्पृश्यता के कारण निर्योग्य मानना कानून अपराध होगा। यह प्रतिभावना या निर्देश जो इस अनुच्छेद में प्रदर्शित है, कहां तक पूरे हुए? ठीक है, आपने एक कानून "अस्पृश्यता। (अपराध) अधिनियम, १९५५" नाम का पास किया है। उसके अन्तर्गत छुआछूत को बरतने को दण्डनीय

बना दिया गया है। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? उसके द्वारा क्या हुआ है यह मैं आगे चल कर कहना चाहूंगा। केवल संविधान में अस्पृश्यता का निवारण कर देने मात्र से समस्या का अन्त नहीं होता है। क्या यह हिन्दू समाज से खत्म हो गई है? आज भी यह समस्या विचारों में, हमारी मज्जा में, हमारी हड्डियों में हर तरह से विराजमान में है और उसे हटाया नहीं जा रहा है यह ठीक है कि यह समस्या हिन्दू दायरे के अन्दर है, सिख दायरे के अन्दर है और उस दायरे के अन्तर्गत यह जातियां आज भी अस्पृश्यताजनित सामाजिक बाधाओं से त्रस्त हैं, जिसका परिणाम यह है कि उनको शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आज पिछड़ा रहना पड़ता है, और यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह समस्या हमारे लिए बहुत जटिल थी। आज भी हमारी अवस्था में अन्तर नहीं है, और आप ने देखा कि संसद् ने १० वर्षों के लिए इस संरक्षण को बढ़ाया। यह इस बात का सबूत है कि आज भी इन लोगों का उत्पीड़न है, आज भी इन लोगों की समस्या जटिल है और अगले दस वर्ष तक उन्हें संरक्षण दिया गया है। बार-बार इस प्रकार का विचार आया था कि कोई न कोई इस प्रकार के आंकड़े होने चाहियें कि किस हद तक यह अस्पृश्यता दूर हुई है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से वे लोग कितने आगे बढ़े हैं, इसका कोई माप दण्ड सामने आना चाहिये। लेकिन वह नहीं आया है। यह वांछनीय है और आप को ज़रूर इस बात को लेकर आगे चलना चाहिये। इस बात की जांच के लिए कोई न कोई यार्डस्टिक होनी चाहिये, ताकि इन तथ्यों का पता चलाया जा सके कि हम अपने मनोरथों में कितने सफल हुए ने।

२६ जनवरी, १९५० को जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर सन् १९५५ तक जब अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया था वह भी दण्डनीय अपराध आजतक अनेक प्रकार से उन का अपमान होता है और घटनायें घटित होती हैं। वही मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से आज भी यह विभीषिका एक विकट रूप धारण किये हुए है, उस से हमारे हरिजन भाइयों के अन्दर दलित जातियों के अन्दर रोष है और वह रोष चाहे किसी प्रकार से प्रकट हो या न हो, लेकिन यह बात जरूर है कि हम समाज में एक समान व्यवहार चाहते हैं, समान स्तर चाहते हैं, समान स्थिति चाहते हैं। यह कोई गलत बात नहीं है। आज भी मैं कहने के लिए तैयार हूं कि देश के अन्दर हिन्दू जाति या हिन्दू नेता इस बात को एक और ही रूप में लेते हैं। जहां तक दलित जातियों या हरिजनों का सम्बन्ध है, मैं कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे हिन्द धर्म से, आदि धर्म से, आर्य धर्म से अटूट सम्बन्ध है, हम उससे विच्छिन्न नहीं होना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ़ अनेक बातों के आधार पर, अनेक अमानुषिक घटनाओं के आधार पर, अवांछनीय घटनाओं के आधार पर, मैं कह सकता हूं कि हमारा उन से सम्बन्ध जरूर है मगर हजारों इस प्रकार के हिन्दू हैं जिनका संबन्ध हम से नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू जाति, स्वयम्, मिट जाना चाहती है मगर वह हरिजनों की समस्या को हल नहीं करना चाहती, अस्पृश्यता को बिल्कुल दूर नहीं करना चाहती। यह विकट स्थिति है। राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है लेकिन एक मानुषिक और मानवीय दृष्टिकोण अर्थात एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्रेम हो, उससे एक प्रकार की हमदर्दी हो, की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस तरह का समावेश है, हमारी कल्याणकारी योजनायें चली हैं वे भी एक तरीके से, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्लैनर्स एक नई दृष्टि से इस बात का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने रेनुका रे कमेटी के नाम से एक समिति बनाई। उसकी रिपोर्ट: **"रिपोर्ट आफ दि स्टेडी टीम आन सोशल वेलफेयर एण्ड वेलफेयर आफ बैकवर्ड क्लासेज"** मेरे हाथ में है। उस में भी स्पष्टतया प्रकट किया गया है कि किस प्रकार **आज भी अस्पृश्यता**

[श्री बाल्मीकी]

भयंकर रूप से विद्यमान है । और देहाती क्षेत्रों को विशेषरूप से इसे केवल कानून द्वारा दूर नहीं किया जा सकता । एक प्रकार का अध्ययन जो उस कमेटी ने किया, मैं उसको आप के सामने रख देना चाहता हूं । अस्पृश्यता की इस विभीषिका को महसूस करके ही हमारी प्लैन प्रोजेक्ट समिति के द्वारा समाज कल्याण के लिए स्टेडी टीम स्थापित की गई, जिसकी चैअरमैन श्रीमती रेणुका रे थीं । उस कमेटी ने बड़ी योग्यता से देश का ध्यान देश में बरती जानेवाली अस्पृश्यता की ओर दिलाया है अपने विचार उस पर रखे हैं और एक प्रकार से एक डेटा दिया है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । वह किस आधार पर है इस को आप समझ जायेंगे । परिगणित तथा जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में लिखा है :

"प्लैन प्रोजेक्ट समिति ने समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्ग के लिए जो स्टेडी टीम स्थापित की थी उसने अस्पृश्यता के सम्बन्ध में इस बात के देखने के लिए एक सर्वे किया है कि अस्पृश्यता निवारण किस गति से हो रहा है । टीम के निष्कर्ष नीचे दिये जाते हैं :

(क) उत्तर देने वाले ५६.७५ हरिजनों को जनसाधारण में बैठने के स्थानों तथा बर्तनों के प्रयोग में भेदभाव का अनुभव हुआ ।

(ख) उत्तर देने वाले ५६.८ प्रतिशत हरिजनों ने आम स्थानों पर जाने से संकोच प्रकट किया क्योंकि हिन्दू इस बात से नाराज होते थे ।

(ग) उत्तर देने वाले ३२.४ प्रतिशत हरिजन सवर्ण हिंदुओं पर आर्थिक निर्भरता के कारण आम स्थानों में नहीं जाते हैं ।

(घ) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की जानकारी सवर्ण हिन्दुओं में अधिक मात्रा में है जो कि ७७.७ प्रतिशत है और इसके मुकाबले में हरिजनों की जानकारी केवल ६६.७ प्रतिशत ज्ञात हुई है ।

(ङ) हरिजनों का धार्मिक बहिष्कार अभी तक समुचित मात्रा में विद्यमान है जो कि सवर्ण की संख्या से स्पष्ट है, जो कि हरिजनों को धार्मिक कामों में साथ रखते हैं ।

(च) अस्पृश्यता का दोष स्वयं अछूतों में भी है और उत्तर देने वालों में से १८.३ प्रतिशत हरिजनों ने अपने से नीची जाति के हरिजनों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करना स्वीकार किया है ।"

इस में यह प्रतिशत भावना प्रकट की गई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस का आधार कुछ भी हो, मगर समस्या है और एक विकट रूप में है । किस आधार पर यह प्रतिशत संख्या प्रकट की गई है यह देखना टीम का काम है । लेकिन मैंने वह विचार आपके सामने रखा है । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर और विशेषकर प्रथम योजना के अन्दर हमारा जो विचार चला इस समस्या की ओर टीम ने जो विचार प्रकट किया है वह भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं कि योजनाकारों ने महसूस किया था और इसी लिये अस्पृश्यता निवारण के लिए अलग से विशेष राशि की व्यवस्था की थी । प्रथम योजना में कानून और शिक्षा और लोकतांत्रिक उपायों तथा अनुसूचित जातियों के विकास द्वारा इसे दूर करने पर जोर दिया गया था बात ठीक है, कानून पास हुआ । लेकिन इस का कोई नतीजा नहीं हुआ । शिकायत या झगड़ा जो कुछ भी हो, चाहे किसी भी रूप में होता हो मुझे ऐसा लगता है कि भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी । झगड़े की आग को बढ़ाने वाले निवेदन ज्यादा हैं, उस को बुझाने वाले कम हैं, विशेषकर देहातों में । हमारी विशेषता काम पर कोई ध्यान नहीं

दिया जाता है, बल्कि इस पर उल्टे दोष मढ़ा जाता है। और विशेषकर देहातों में समझाने बुझाने और शिक्षा के द्वारा भी प्रत्यन चलते हैं। लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह सब प्रयत्न निष्फल जाते हैं। अभी मैंने पिछले इलेक्शन में देखा था कि पढ़े लिखे लोग रहते थे "जाति बिरादरी का फैसला है" अनेक समाजिक और मनोरंजक कार्यक्रम चलते हैं उनमें भी अस्पृश्यता का यह विचार जरूर आता है: मैं इस तरह की मिसालें दे सकता हूं कि उन मनोरंजक कार्यक्रमों में और उन सामाजिक कार्यक्रमों में हरिजनों के साथ अलगाव का दुर्व्यवहार बरता जाता है उनको अलग रखा जाता है। मैं ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं के भी उदाहरण दे सकता हूं जहां इस प्रकार का दुर्व्यहार किया जाता है और किया गया है।

एक बात कही गयी कि हरिजन स्वयं उठने का प्रयत्न करें और अपना स्वयं विकास करें यह बात दूर से काबिले कद्र है। लेकिन मैं बड़े ढंग से कह देना चाहता हूं कि हम उठना चाहते हैं लेकिन अभी भी लोग हमको उठने नहीं देना चाहते। हम पर अनेक दबाव हैं। मैं आंकड़ों के आधार पर सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हरिजन संस्थाएं और हरिजन स्कूल सारे देश में चलते है उनको ना के बराबर सरकार से मदद दी जाती है, जब कि और संस्थाओं को ज्यादा मदद दी जाती है। जहां हमारे स्वयं उठने की बात है, उसे बरदाश्त नहीं किया जाता है यद्यपि हममें चेतना की लौ जल उठी है। स्वयं विकास का प्रश्न भी साधनों के अभाव में स्वप्न सा प्रतीत होता है।

अस्पृश्यता अपराध का जो अधिनियम सन् १९५५ में लागू किया गया है, उसके बारे में शिकायत है और सीधी शिकायत है कि अब तक बहुत कम मामले दर्ज किये गए हैं और पुलिस बिलकुल ध्यान नहीं देती है और मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि जो शिकायतें की जाती है वे दर्ज नहीं की जातीं, और उसके पीछे कुछ आर्थिक दबाव है और कुछ सामाजिक दबाव है और बलशाली जातियों का दबाव है। इसमें सरकारी अधिकारी और पुलिस भी हमारी मदद नहीं करते। इसीलिए कानून पास होने के बावजूद भी हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है यह मैं आपके सामने साफ़ साफ़ रख देना चाहता हूं।

हमारे जो हरिजन भाई हैं वे सदियों से लुटे पिटे हैं और एक प्रकार से शरणार्थियों से बदतर हैं। मैं आप से यह जाहिर कर देना चाहता हूं कि समाज हम को एक बोझ समझता है। यह एक सामाजिक दृष्टिकोण है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है।

शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने भी यह विचार आपके सामने रखा और अपनी रिपोर्टों में सुझाव दिया है कि सारे देश के अन्दर, सारे राज्यों के अन्दर ऐसे ग्रामों को सूचियां तैयार की जाएं कि जहां अस्पृश्यता का निवारण हो गया है। इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इस तथ्य को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया, और यही नहीं बल्कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ गये हैं। लेकिन आज भी कुछ नौकरी पेशा हरिजनों को छोड़ कर और कामों में जो लोग लगे हैं उनको छोड़ कर और नगर के हिस्सों को छोड़ कर, आज भी ग्रामों के हरिजनों की, दलितों की दशा अर्ध दासता की है। वह दबाव में ही नहीं है बल्कि दूसरे के नीचे हैं और दब कर रहते हैं। उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस पर उनको डटकर सामाजिक अपमान तथा अत्याचार सहने पड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से हम कितने आगे बढ़े हैं? जिन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाता है वे हमारे सामने रखे जायें। आज आप देखें कि देश के श्रमिकों में उनका क्या स्थान है। आप देखें कि इन जातियों को एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और परमिट्स आदि में कितना स्थान प्राप्त है। इनके पास कहीं कहीं मामूली लकड़ी कोयले की दुकानें हैं, हजारों में एक। हजारों लाभकारी धन्धों के बीच इन लोगों को एक आध मुश्किल से मिलता है और बाकी दूसरे लाभ उठाते हैं। यही नहीं, बल्कि हमारा खुलकर आर्थिक शोषण होता है कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर, और इस प्रकार से जो पैतृक पेशे हैं चाहे वह

[श्री बाल्मीकी]

चमड़े का काम हो या और कोई काम हो, उनका लाभ दूसरों के हाथ में जाता है, हमारे हाथ में नहीं जाता और इस तथ्य की कोई जांच नहीं की जातो। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारा आर्थिक शोषण होता है और इस ओर कोई निगाह उठाकर नहीं देखता है। आर्थिक दृष्टि से इस दिशा में कोई उन्नति नहीं हुई है और न हम कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं, नतीजा यह है, कि ढोल पीट कर कहा जाता है कि हरिजन आगे बढ़ गये हैं। आप अपने तरीके से देखें, हरिजनों को जो विशेष रूप से बिल्कुल गरीब हैं, इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ चलाने के लिए, अपनी क्रेडिट सोसाइटी चलाने के लिए, अपने छोटे-छोटे धन्धों को चलाने के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, अधिकारियों की ओर से उनको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, आज कोई भी लाभकारी धन्धे हरिजनों के हाथ मे नहीं हैं और कोई इकानमिक कार्य उनके हाथ में नहीं हैं, वह इस वजह से कि उनको पैसे की मदद नहीं मिलतो और इसी वजह से वह बिल्कुल पिछड़ रहे हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो यह कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से हरिजनों की स्थिति अच्छी है इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। आज भी देश के ज्यादातर उद्योग धन्धे बड़े-बड़े लाभकारी धन्धे दूसरों के हाथ में हैं और वे ही उनसे पनपते हैं। वे ही सब से अधिक शोर मचाते हैं कि हरिजन आगे बढ़ गये हैं। यदि इस पहलू को ही हल कर दिया जाये तो हमारे भाग्य ही न खुल जायें।

एक बात बिल्कुल साफ है। हरिजनों को कुटीर या छोटे-छोटे उद्योग धन्धे में भी तरक्की नहीं दी जाती और उनको सहयोग नहीं दिया जाता, इसलिए उनको इससे लाभ नहीं होता। आपकी नीति-रीति हो कुछ ऐसी है कि जो धनी है उसी को कर्जा मिलेगा और उसी को रुपये की मदद मिलेगी जिसका परिणाम यह हो रहा है कि धनी अधिक धनी होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। इनमें हरिजन सब से अधिक गरीब होते जा रहे हैं।

अब मैं जमीन के प्रश्न की ओर आता हूं। जहां तक जमीन का प्रश्न है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके पास सारे देश के राज्यों के आधार पर या और किसी भी आधार पर जमीन के, चाहे वह आवास के लिए हो, या खेती के लिए हो, कोई आंकड़े नहीं हैं और न आपने एकत्र किये हैं, न ही करने की आशा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर से प्रकट किया है कि अनुसूचित जाति और इस प्रकार के वर्गों के लिए विभिन्न राज्यों और यूनियन क्षेत्रों में जो जमीनें दी गयीं, उनके सम्बन्ध में जो आंकड़े एकत्र करने का प्रयत्न किया गया उसका कोई खास फल नहीं निकला है। इस प्रकार न रहने के लिए और न खेती के लिए उनको जमीन मिल पातो है और इस आवश्यक पहलू को टाला जाता है। मुझे याद है कि डा० अम्बेडकर साहब ने, जिनके प्रति हमारा हरिजन वर्ग श्रद्धा रखता है, और हमारे हरिजनों के एक मात्र नेता बाबू जगजीवन राम ने भी कहा है कि इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। आजकल अवस्था यह है कि नौतोड़, बंजर या दूसरी सरकारी या शामलात की जमीन पंचायतों के हाथ में चली गयी है और वह हरिजनों को नहीं दी जाती, उनके हृदय में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वे दे सकें। पंचायती राज भी एक अभिशाप सिद्ध हो रहा है। यही नहीं, जो जोतों की चकबन्दी चलती है और चकबन्दी में भी जो जमीन निकलती है वह ना के बराबर हरिजनों के लिए छोड़ी जाती है। इस तथ्य को आप उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी देख सकते हैं कि वहां यह सब अनियमिततायें चल रही हैं, किन्तु राज्य सरकारें आंखें मींच कर बैठी हैं।

दुख की बात तो यह है कि इस कार्य को चलाने वाले जो अधिकारी हैं, उन के मन बिल्कुल साफ़ नहीं हैं और न वे अपने को समाजवादप्पर आधारित जनतंत्र के अनुसार ढाल रहे हैं। ऐसा

लगता है कि जब भी ग्रान्ट के रूप में पैसा देने का प्रश्न आता है, तो वे समझते हैं कि वह पैसा उन के घर से जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बाल्मीकी : मैं चार पांच मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आध घंटा ले चुके हैं। अब उन्हें दूसरे माननीय सदस्यों को भी मौका देना चाहिए।

श्री बाल्मीकी : मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा।

शिक्षा की दृष्टि से कुछ उन्नति हुई है और उस के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल हमारे बहुत विद्यार्थी बेकार हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं।

जहा तक नौकरियों के कोटे का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कुछ प्रयत्न किया है, लेकिन राज्य सरकारें इस ओर कोई ध्यान नहीं देती हैं। राज्यों और ज़िलों के स्तर पर इस काम को बिल्कुल टाला जा रहा है और इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेवाओं के मामले में उनको उनका उचित भाग भी नहीं दिया जा रहा है।

राजनीतिक दृष्टि से भी कुछ स्थान हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस बारे मे समाज मे कोई गुंजाइश मालूम नहीं होती। लोग समझते हैं कि आज भंगी तरक्की कर गये, चमार तरक्की कर गये। आज एक नई घृणा और एक नई दुर्भावना उत्पन्न होती दिखाई देती है, हालांकि हम देश के अंग हैं और देश में एक स्थान रखते हैं। पिछले चुनावों में जो बातें सामने आई हैं, उन की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम ने देखा है कि सुरक्षित क्षेत्रों में बड़ी जातियों के वोटर्ज़ न के बराबर वोट डालने के लिये आये। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा हिन्दू गांव था, जहां के लोगों ने कहा कि "कौन जाये भंगी-चमारों को वोट डालने के लिए ?" इस के अलावा मैं ने अख़बार में पढ़ा कि एक बड़ी जाति का हिन्दू वोट डालने के लिये गया और वापस आते ही नहाया। वह बोला, "मैं भंगी-चमार को वोट दे कर आया हूं, किसी ब्राह्मण को थोड़े ही दे कर आया हूं ?" यह दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। हमारी जो स्थिति है, उसका यह एक पहलू भी हमारे सामने है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से जो हमारा स्थान है, वह हमें प्राप्त होना चाहिए। मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म कर दें। कहीं ऐसा न हो कि आप को अवसर मिले और दूसरों को न मिले।

श्री बाल्मीकी : चूंकि हरिजनों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, सामाजिक दृष्टि से भी वे गिरे हुए हैं और राजनीतिक दृष्टि से उन के रास्ते में अनेक रुकावटें हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि जिस तरह से पिछड़ी जातियों के लिए एक बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन कायम किया गया और जन-जातियों के लिए शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमीशन कायम किया गया, उसी तरह हमारे लिए भी एक कमेटी नियुक्त की जाये। एक कमीशन नियुक्त किया जाये।

अन्त में आप की इजाज़त से म एक ज़रूरी विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वह एक ऐसा विषय है, जिसे मैं कह देना चाहता हूं कि दक्षिण से मेरे कुछ क्रिस्टियन फ्रेन्ड्ज़ ने लिखा है—और माननीय मंत्री जी और मंत्राणी जी भी जानते हैं—कि जो क्रिस्टियन हरिजन हैं, वे भी वही

[श्री बाल्मीकी]

गन्दे काम धंधे करते हैं, यहां तक कि मोहमेडन्ज़ भी वही काम करते हैं और वैसी ही उन को दशा है। धर्म-परिवर्तन का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि वह भी एक सामाजिक समस्या है और माननीय मंत्री जी को उधर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे इस हिन्दू फोल्ड से अलग रहते हुए भी उन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में इस समस्या का कोई हल हो, तो वह बताने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना रेज़ोल्यूशन पेश करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सिद्धय्या (चामराज नगर) :** मैं मूल संकल्प के स्थान पर अपना स्थानापन्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह स्थानापन्न संकल्प सभा के सामने है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : मैं श्री बाल्मीकी के संकल्प का समर्थन करता हूं। आशा है माननीय मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे। श्री बाल्मीकी का उद्देश्य है कि एक समिति बनाई जाये जो देशव्यापी सर्वेक्षण करके यह पता चलाये कि अस्पृश्यता का निवारण किस सीमा तक हुआ है और हरिजनों तथा दलित वर्गों ने कितनी प्रगति की है और इसके लिये उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दे।

हरिजनों और दलित वर्गों को भारतीय समाज में अपना उचित योगदान करने में समर्थ बनाना हमारा कर्तव्य है।

गांधीजी अस्पृश्यता निवारक पर बहुत जोर देते थे। यह हमारा दायित्व है।

इसके बिना राष्ट्रीय एकता की सभी बातें व्यर्थ सिद्ध होंगी।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम १९५५ से अब तक, पिछले छः वर्ष से प्रभावी रहा है। फिर भी देश में अस्पृश्यता मौजूद है। उसका लेखा जोखा करना जरूरी है।

माननीय मन्त्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर में बताया था कि अस्पृश्यता निवारण के लिये १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान केवल पांच गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। आश्चर्य की बात है कि ईश्वरशरण आश्रम को दिये जाने वाले अनुदान की राशि ७,०६,३२० से घटा कर १,५३,११० रुपये कर दी गई है। वित्तीय सहायता और अधिक गैर सरकारी संगठनों को दी जानी चाहिये।

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** ये तो अखिल भारतीय संगठनों की बात है। वैसे राज्य सरकारें भी कई संगठनों को सहायता दे रही हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मेरा मतलब यह है कि इस पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिये।

तृतीय योजना के प्रतिवेदन में अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम पर और अधिक जोर देने की सिफारिश की गई है। उसमें कहा गया है कि अब प्रचार की अवस्था से आगे बढ़ कर स्कूलों, अस्पतालों और सहकारी आवास की योजनाओं तक बढ़ाना चाहिये ; उसमें यह भी कहा गया है कि विकास कार्यक्रमों का अनुसूचित जातियों की दशा पर पड़ने वाले प्रभाव का लेखा जोखा किया जाना चाहिये। मेरा ख्याल है कि इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भंगियों की दशा जांच समिति की सिफारिशों को विचार और कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों और प्रतिरक्षा तथा रेलवे मन्त्रालयों के पास भेजा गया है। उनको यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

जेलों में भी उनकी दशा बदलनी चाहिये।

द्वितीय योजना में इस पर ७९ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, और अब तृतीय योजना में ११४ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसलिये काम और ज्यादा होना चाहिये। ९ मई को अतारांकित प्रश्न संख्या १०२३ के उत्तर में बताया गया था कि केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का अनुपात १४.६३ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों का १.९८ प्रतिशत है। प्रथम श्रेणी की सेव में अनुसूचित जातियों का अनुपात केवल १.४४ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों का ०.२१ प्रतिशत ही है। इससे पता चलता है कि १९५८.५९ के मुकाबले स्थिति में कोई अधिक अन्तर नहा आया है। १९५९–६० में शिक्षा के लिये ऐसे किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी। २३–५–६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९३ के उत्तर में बताया गया था कि अनुसूचित जातियों के सात और अनुसूचित आदिम जातियों के छः उम्मीदवारों को प्राविधिक शिक्षा के लिये विदेशों में भेजा गया था। उनको और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी वे स्वतन्त्र भारत के विकास में अपना समुचित योग दे सकेंगे।

उनकी प्रगति की रफ्तार बड़ी धीमी रही है। दिल्ली दुग्ध योजना की सेवा की निचली श्रेणियों में तो अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों को कहीं अधिक काम दिया जा सकता था। २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में बताया गया था कि योजना के कुल ३१९ कर्मचारियों में से तृतीय श्रेणी में ५ और चौथी श्रेणी में ४ कर्मचारी उनके हैं। रेलवे मन्त्रालय के अन्तर्गत ३४६० गजेटेड अधिकारियों में से १९५७ में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के केवल ९ अधिकारी थे। यह सूचना २२–८–५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२५ के उत्तर में दी गयी थी एक अन्य अतारांकित प्रश्न के उत्तर से पता चला है कि योजना आयोग के २१६ गजटेड अधिकारियों में से केवल एक ही अनुसूचित जाति का है।

यह कहना अनुचित है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोग अपने लिये विशेषाधिकार मांगते हैं। वे सदियों से गुलाम रहे हैं। उनकी निर्योग्यतायें दूर करना हमारा कर्त्तव्य है।

इसके लिये एक बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। १८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९९ के उत्तर में बताया गया था कि १९६० तक प्रत्येक मन्त्रालय को अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों में से लिये गये कर्मचारियां के अनुपात का ब्यौरा गृह-कार्य मन्त्रालय को हर वर्ष देना चाहिये था। उन्होंने वे विवरण सभा-पटल पर नहीं रखे हैं। यह अनुचित है।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से भी कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ा है।

इन लोगों के विकास के लिये आर्थिक अवसर जुटाने की आवश्यकता है। तभी उनका सचमुच विकास हो सकेगा। इस संकल्प में इसी पर विचार करने और सुझाव देने के लिये एक समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। राष्ट्रीय एकता के हित की दृष्टि से इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा अगली बार जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १ जून, १९६२
११ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३८५१—७७

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२२६	केरल में स्टार्च के कारखाने	३८५१—५३
१२२७	काफ़ी बोर्ड के कर्मचारी	३८५३—५४
१२२९	सोडा एश और कास्टिक सोडा . . .	३८५४—५६
१२३०	प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी कार्यकारी दल . .	३८५६—५७
१२३१	घटिया चीज़ों का निर्यात . .	३८५७—५९
१२३२	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात . .	३८५९—६१
१२३४	कांगो में भारतीय सैनिक	३८६१—६३
१२३५	कपड़े का दाम	३८६३—६५
१२३६	अफ़गानिस्तान से आयात किये गये मेवों के दाम . .	३८६५
१२३७	सेंसर बोर्ड नियम	३८६६—६८
१२३८	जीवन बीमा निगम द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को वितीय सहायता	३८६८—६९
१२४०	प्रधान मंत्री को फिजो का तार . . .	३८६९—७०
१२४१	बच्चों को नौकर रखना .	३८७१—७२
१२४२	यूरोपीय साझा बाजार	३८७२—७३
१२४३	पाक-अधिकृत काश्मीर के क्षेत्र पर चीनीयों का दावा . .	३८७३—७५
१२४४	बर्मा में काम करने वाले भारतीय डाक्टर . . .	३८७५—७६
१२२५	पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय समारोह	३८७६—७७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३८७७—९९

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२२१ बर्मा में भारतीय दवाइयों की मांग ३८७७—७८
१२२२ छोटे पैमाने के उद्योग ३८७८
१२२३ अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि समिति का कार्यालय ३८७८—७९
१२२४ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ३८७९—८०
१२२८ बम्बई में सहकारी आधार पर समाचार पत्र ३८८०
१२३३ मंगला बांध के निकट हवाई अड्डा ३८८०
१२३९ निर्यात की जा रही वस्तुओं का लागत मूल्य ३८८०—८१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३७९ पश्चिमी बंगाल में रोजगार दफ्तर ३८८१—८२
२३८० आन्ध्र में अखबारी कागज का कारखाना ३८८२
२३८१ उड़ीसा के ऐतिहासिक स्मारकों पर चलचित्र ३८८२
२३८२ कुटीर और लघु उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण . ३८८३
२३८३ फिल्म सेन्सर बोर्ड ३८८३
२३८४ आन्ध्र प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज किये व्यक्तियों की संख्या ३८८३—८४
२३८५ खादी और ग्रामोद्योग आयोग ३८८४
२३८६ आन्ध्र प्रदेश में तेल घानियां ३८८४
२३८७ उड़ीसा में हथकरघा उद्योग . ३७८४—८५
२३८८ उड़ीसा में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ३८८५
२३८९ मीट्रिक बांट ३८८५—८६
२३९० भारत-चीन सीमा विवाद ३८८६
२३९१ गोवा में खनिज अयस्क ३८८६
२३९२ आयात निर्यात व्यापारी ३८८७
२३९३ अल्प आय वाले लोगों के लिए आवास योजना ३८८७
२३९४ किदवई नगर, दिल्ली में कम्यूनिटी हाल . ३८८८
२३९५ पूर्वी पाकिस्तान में हरिजन ३८८८
२३९६ अन्य देशों से निकाले गये भारतीय राष्ट्रजन ३८८८—८९
२३९७ बड़े बड़े सूती कपड़ा, पटसन और चीनी उद्योगों को ऋण ३८८९

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३९८	सरकारी उपक्रमों में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति	३८८९
२३९९	पांडीचेरी	३८८९–९०
२४००	केनाइट की खदानें	३८९०
२४०१	रबड़ बोर्ड में वेतन क्रम .	३८९१
२४०२	गोरखपुर मजदूर भर्ती डिपो . .	३८९१
२४०३	गुलबर्गा (मैसूर) में आकाशवाणी केन्द्र . .	३८९१–९२
२४०४	शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थायें . .	३८९२
२४०५	क्वार्टर देने में अत्याधिक प्राथमिकता . .	३८९२
२४०६	शरणार्थियों का पुनर्वास . . .	३८९३
२४०७	कांच और कांच के समान की बिक्री . .	३८९३
२४०८	केन्द्र द्वारा मद्रास राज्य को सहायता .	३८९४
२४०९	अन्तरिक्ष में उड़ानें	३८९४
२४१०	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों का आवंटन . .	३८९४–९५
२४११	चाय तैयार करने के लिए स्वचालित मशीन	३८९५
२४१२	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना .	३८९६
निधन सम्बन्धी उल्लेख		३८९६

अध्यक्ष महोदय ने श्री पोन्नद सुब्बाराव के जो प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्य उनके सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३८९८–९९

(१) मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६५ में प्रकाशित मंत्रियों के निवास स्थान संबंधी नियम, १९६२ की एक प्रति

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा तीन की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १९ मई १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५०१ में प्रकाशित नकली रेशम के वस्त्र (उत्पादन और वितरण) संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति .

पृष्ठ

याचिका उपस्थापित ३८६६

श्रीवास ने फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षर की गई एक याचिका प्रस्तुत की ।

विधेयक पुरस्थापित ३८६६–३६००

राष्ट्रपति की पैंशन (संशोधन) विधेयक १९६२ ।

अनुदानों की मांगें . . ३६००—२४

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६२५

पहला प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया ३६२५—३७

१८ मई १९६२ को श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा द्वारा मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । श्री ब० कृ० दास ने संकल्प पर एक संशोधन प्रस्तुत किया । श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने वादविवाद का उत्तर दिया । संशोधन तथा संकल्प दोनों ही सभा की अनुमति से वापिस लिए गए ।

गैरसरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन ३६३७—४५

श्री बाल्मीकी ने अस्पृश्यता निवारण के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया । श्री सिद्दय्या ने संकल्प पर एक संशोधन प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।

GIPND—LSIII—1194—(Ai) LSD—24-9-62—150.